आईएसएसएन : 2457-015X

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

अप्रैल-सितंबर 2022
वर्ष 34 ❖ अंक 02

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

संपादक मंडल

संरक्षक
साधना वर्मा
मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

अध्यक्ष
पंकज कुमार
मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रबंध संपादक
काज़ी मुहम्मद ईसा
महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

उप प्रबंध संपादक
डॉ. सुशील कृष्ण गोरे
उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

कार्यकारी संपादक
नितीन देसाई
उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

सदस्य-सचिव
राहुल राजेश
प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

संपादकीय सहयोग
राधेश्याम मिश्र
सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

कला सहयोग
अभय मोहिते
सहायक प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

सदस्य

ब्रिज राज
महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

एस. सी. रथ
महाप्रबंधक एवं संकाय
रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै

डॉ. आशीष श्रीवास्तव
उप महाप्रबंधक एवं संकाय
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे

दिवाकर झा
सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय
स्टेट बैंक ग्रामीण बैंकिंग संस्थान
हैदराबाद

राजीव जमुआर
सहायक महाप्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051
कॉर्पोरेट ईमेल: rajbhashaco@rbi.org.in; chintananuchintan@rbi.org.in
फोन: 022-26572801

श्री काज़ी मुहम्मद ईसा, महाप्रबंधक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व),मुंबई – 400051 के लिए संपादित और प्रकाशित।

इंटरनेट (https://www.rbi.org.in/hindi) पर भी उपलब्ध।

सदस्य
ABCI
Member

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन
अप्रैल-सितंबर 2022
वर्ष 34 ❖ अंक 02

संपादकीय

भाषण

❖ भविष्य की बैंकिंग – **शक्तिकान्त दास**

आलेख

❖ आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना – **मधुसूदन सुभाष अडकी**

❖ भारत की नवाचार क्षमता का विस्तार – **समीरा सौरभ**

❖ भारत में स्वदेशी रुपे कार्ड का बढ़ता उपयोग – **दिनेश कुमार** *एवं* **अमर कडू**

❖ बैड बैंक अर्थात नैशनल असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी – **राजेश कुमार कातुलकर**

❖ क्रिप्टोकरेंसी : संकल्पनाएँ और स्थिति – **मीनू मंजरी**

❖ भारत में मुक्त बैंकिंग : वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं – **राजेश कुमार**

स्थायी स्तंभ

❖ रेग्युलेटर की नज़र से – **ब्रिज राज**

❖ घूमता आईना

राष्ट्रीय खंड – **डॉ. करुणेश तिवारी**

अंतरराष्ट्रीय खंड – **डॉ. गौतम प्रकाश**

***

इस पत्रिका के लेखों में दिये गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

***

लेआउट, साज-सज्जा और टाइप-सेटिंग : ***राहुल राजेश***
[सभी चित्र इंटरनेट से साभार]

संपादकीय...

'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' के इस अंक के साथ आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। एक दु:स्वप्न के साये से हम बाहर निकल आए हैं, एक लंबी अँधेरी सुरंग हम पीछे छोड़ आए हैं। एक अरसे के बाद हमारे उत्सवों और तीज-त्योहारों को उनकी खोयी हुयी रौनक वापस मिल पायी है। सचमुच हमारे देश की आत्मा सामूहिक उत्सवधर्मिता में अपने सबसे मुखर रूप में अभिव्यक्त होती है। आर्थिक नवनिर्माण की गतिविधियां नई ऊर्जा के साथ शुरू तो हो गयी हैं। लेकिन, स्पष्ट कहा जाए तो महामारी ही सिर्फ़ एक चुनौती नहीं थी, उसके बाद की नई चुनौतियां भी कुछ कम नहीं हैं। इस वित्तीय वर्ष में शुरू से ही वैश्विक स्तर पर ग्रोथ में एक मंदी का माहौल बना हुआ है। इस स्थिति ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं एवं उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं दोनों को प्रभावित किया है। इसका मुख्य कारण मौद्रिक नीतियों के कड़े रुख के अलावा, मुद्रास्फीति के बढ़ते दबावों को माना जा रहा है। लेकिन, यूक्रेन संकट से उत्पन्न परिस्थितियां और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की भारी कीमतें भी इसके लिए जिम्मेदार रही हैं।

इन वैश्विक चुनौतियों के तमाम तात्कालिक प्रभावों के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था ने शानदार प्रदर्शन करते हुए, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) जून 2022 में समाप्त तिमाही में 13.6 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी दर्ज की है और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना गया है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हमारे देश के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस बीच ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रिज़र्व बैंक ने 01 अक्टूबर, 2022 से यह नियम लागू कर दिया है कि कार्ड नेटवर्कों एवं कार्ड इश्यूर्स को छोड़कर ग्राहकों के कार्ड का ब्योरा कोई दूसरी संस्था संग्रहीत नहीं कर सकती। इस नए ग्राहक-हितैषी फ्रेमवर्क को 'टोकनाइजेशन' कहा जाता है जो आजकल बहुत चर्चा में है।

*इसी तरह रिज़र्व बैंक ने एक और अहम कदम उठाते हुए डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पर एक अवधारणा पत्र प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि माननीया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी, 2022 के बजट में यह घोषणा की थी कि डिजिटल रुपया चालू वित्त वर्ष में प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रा का इतिहास अपने एक नए चरण के प्रवेशद्वार पर खड़ा है। अभी तक लगभग 100 देश डिजिटल मुद्रा शुरू करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। उक्त अवधारणा पत्र में कहा गया है कि थोक डिजिटल मुद्रा और खुदरा डिजिटल मुद्रा जारी करना अधिक उपयुक्त होगा। खुदरा डिजिटल मुद्रा की मदद से जहां सुरक्षित भुगतान किया जा सकेगा, वहीं थोक डिजिटल मुद्रा की सहायता से वित्तीय क्षेत्र के निपटान को अधिक किफायती तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए **'दक्ष'** नामक एक नयी 'सुपटेक' पहल की शुरुआत की है। यह एक उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली है जो एक वेब-आधारित 'एंड-टू-एंड वर्कफ्लो एप्लिकेशन' है। इसके माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों, एनबीएफसी आदि जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं में अनुपालन संस्कृति को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनुपालन अपेक्षाओं की निगरानी अधिक कुशलता से कर सकेगा।*

*भारतीय रिज़र्व बैंक वर्ष 2001 से आवधिक भुगतान विज़न दस्तावेजों के माध्यम से भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली को एक व्यापक स्तर पर विकसित करने की दिशा में लगातार योजनाबद्ध रूप से प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में रिज़र्व बैंक ने नया **'भुगतान विज़न 2025'** जारी किया है। भुगतान विज़न 2025 का मुख्य **विषय 'ई-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीटाइम' (4ई)** है और इसका उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित, सुदृढ़, तेज़, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करना है। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि बैंकिंग क्षेत्र संरचना और कार्यप्रणाली के मोर्चे पर अभूतपूर्व*

परिवर्तनों के दौर से गुजरने वाला सेक्टर है। नवोन्मेष की ऊर्जा तथा फ्रंटियर्स टेक्नोलॉजी की बाढ़ में जिस तरह संगठन, प्रक्रिया, कार्यप्रणाली आदि के बंधे-बंधाए पुराने फ्रेमवर्क और प्रोटोकॉल्स सर्वव्यापी रूप से टूट-फूट रहे हैं और एक बदले हुए विश्व में देश, समाज, संगठन, व्यापार, बाजार, व्यवस्थाओं के प्रादुर्भाव को नए सिरे से गढ़ने, उन्हें पारिभाषित करने और संचालित करने की तात्कालिक अनिवार्यताएं पैदा हो रही हैं, उसे ही नई शब्दावली में 'डिसरप्शन्स' कहा जा रहा है।

पत्रिका के वर्तमान अंक में इन चर्चित विषयों में से कुछ पर जरूर आपको पढ़ने के लिए रुचिकर आलेख मिलेंगे। कुछ पर हम अगले अंकों में कोशिश करेंगे कि विवेचनापूर्ण सारगर्भित आलेख प्रकाशित करें। हर बार की तरह इस बार भी आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्तरीय एवं सुरुचिपूर्ण आलेख प्रकाशित किए गए हैं। इसके अलावा, 'रेग्युलेटर की नज़र से' तथा 'घूमता आईना' जैसे नियमित स्तंभों के अंतर्गत देश-देशांतर के नवीनतम बैंकिंग एवं वित्तीय घटनाक्रम की पठनीय जानकारियां दी गयी हैं। प्रसंगवश, आप सुधी पाठकों से भी अनुरोध है कि वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में ऐसे विमर्शों पर अपना शोधपरक मौलिक लेख लिखकर हमें भेजें, जिनमें बदलते समय और उसके साथ मनुष्य के जीवन में आ रहे बदलावों की कोई तस्वीर उभरती हो – वह किसी सामयिक बहस को आगे बढ़ाता हो, नए प्रश्न खड़े करता हो या नए मुद्दे उठाता हो। लेकिन वो प्रश्न समय की कसौटी पर वैध प्रश्न हो, जिसका सरोकार मनुष्य के लिए एक बेहतर सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाओं के निर्माण एवं प्रबंधन के साथ जुड़ा हो।

सदैव की भांति इस अंक के संयोजन एवं संपादन में हमें अपने विद्वत संपादक मंडल के वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्यों का पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन मिला है। इस अंक में भी विषयों की विविधता और प्रासंगिकता को संतुलित करते हुए आलेखों का समावेश किया गया है।

इस अंक के मुख्य आकर्षण के रूप में पाठकों के लिए 'भविष्य की बैंकिंग' (बैंकिंग बियोंड टुमोरो) विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर महोदय के एक महत्वपूर्ण भाषण को संकलित किया गया है। इस बार अंक में आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना, 'भारत की नवाचार क्षमता का विस्तार, भारत में स्वदेशी रुपे कार्ड का बढ़ता उपयोग, बैड बैंक अर्थात नैशनल असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी, क्रिप्टोकरेंसी : संकल्पनाएँ और स्थिति और भारत में मुक्त बैंकिंग : वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं जैसे विषयों पर आलेख शामिल किए गए हैं। इस बहुमूल्य योगदान के लिए हम सभी लेखकों और स्तंभकारों के प्रति आभारी हैं।

हमें आशा है कि बैंकिंग एवं आर्थिक जगत के सामयिक मुद्दों पर विशेषज्ञता, छानबीन, विश्लेषण और नवीनतम आंकड़ों के साथ लिखे गए ये आलेख सुधी पाठकों का ध्यान आकृष्ट करेंगे और उनको एक व्यापक आर्थिक परिदृश्य के समकालीन संदर्भों में सोचने-समझने की नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। उम्मीद है कि पत्रिका का यह नवीनतम अंक आपकी अपेक्षाओं एवं मूल्यांकन की कसौटी पर हर बार की तरह खरा उतरेगा। आपका कोई सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं।

शुभकामनाओं सहित।

- काज़ी मु. ईसा
प्रबंध संपादक एवं महाप्रबंधक

भाषण

भविष्य की बैंकिंग

- शक्तिकान्त दास
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

(22 जुलाई, 2022 को मुंबई में आयोजित बैंक ऑफ बड़ौदा के वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन में दिया गया भाषण)

बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंकिंग सम्मेलन में, इस विशिष्ट जनसमूह के बीच उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और सम्मेलन के विषय के रूप में 'भविष्य की बैंकिंग' (बैंकिंग बियोंड टुमॉरो) का चयन करने के लिए मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को बधाई देता हूँ। यह देखते हुए कि तीव्र गति से हो रहे नवोन्मेष, महत्वपूर्ण बदलावों और नए कारोबारी मॉडलों के उभरकर आने से बैंकिंग परिदृश्य दूरगामी परिवर्तनों का साक्षी बन रहा है; मैं समझता हूँ कि इस विषय पर सक्रिय चर्चा करना समीचीन होगा।

2. आज मैं अपने सम्बोधन में वर्तमान समष्टिआर्थिक स्थिति पर बात करूंगा और बैंकों द्वारा निभाई जा रही विशेष भूमिका तथा बैंकिंग क्षेत्र की नई प्रवृत्तियों को रेखांकित करूंगा। मैं भविष्य की बैंकिंग के संभाव्य स्वरूप और उससे जुड़े अवसरों और चुनौतियों को भी रेखांकित करने का प्रयास करूंगा।

समष्टिआर्थिक परिस्थिति: आज हम कहाँ खड़े हैं

3. हम एक अस्थिर समय में जी रहे हैं। यूरोप में लगातार जारी युद्ध और महामारी ने वैश्विक समष्टिआर्थिक परिदृश्य को अत्यधिक अनिश्चित बना दिया है। कई देश अनपेक्षित रूप से उच्च मुद्रास्फीति और खाद्य महंगाई, आपूर्ति शृंखला बाधाओं और उत्पाद एवं श्रम बाज़ारों में मांग-आपूर्ति असंतुलनों का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक तेज गति से मौद्रिक नीति को सख्त बनाए जा रहे हैं, जिससे एक आसन्न मंदी का भय पैदा हो रहा है। वस्तुओं की कीमतें जून की तुलना में नरम जरूर हुई हैं, पर अब भी ऊपर बनी हुई हैं। अमेरिका में उच्चतर ब्याज दरों और इसके साथ-साथ वैश्विक निवेशकों के बीच जोखिम से बचने की बढ़ती प्रवृति के कारण, सुरक्षित निवेश की मांग और अमेरीकी डॉलर की मजबूती तीव्र हो गई है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई), यहाँ तक कि कुछेक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) की मुद्राएँ भी अमेरिकी डॉलर के मुक़ाबले कमजोर हो रही हैं। परिणामस्वरूप, मुद्रास्फीतिकारी दबाव बढ़ रहे हैं और बाहरी स्रोतों से निधियाँ जुटाना महंगा होता जा रहा है, जिससे उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिरता संबंधी चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं। समग्र रूप से देखें तो अस्थिर भूराजनीतिक परिस्थिति के बीच वैश्विक परिदृश्य संकटपूर्ण बना हुआ है, वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था को विघटित और खंडित करने वाली ताकतों को युद्ध और महामारी से शह मिल रही है।

4. ऐसे वातावरण में, भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है क्योंकि उसका समष्टिआर्थिक मूलभूत आधार मजबूत है। वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त पूंजी है, आस्ति गुणवत्ता संकेतक बेहतर हुए हैं, तुलनपत्र ज्यादा सुदृढ़ हैं, और बैंक लाभप्रदता की स्थिति में लौट आए हैं। ऋण-मांग में भी अच्छा सुधार हो रहा है। व्यापारिक आघातों और पूंजी के बाहर जाने से पैदा होने वाले प्रभावों का सामना करने के लिए बाह्य क्षेत्र पर्याप्त रूप से निधिकृत है। आरबीआई की हाल ही में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यह रेखांकित करती है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली आघातसह बनी हुई है और चल रही आर्थिक बहाली को समर्थन दे रही है। बैंक अपनी न्यूनतम पूंजी अपेक्षा के स्तर से नीचे

खिसके बिना ही गंभीर दबाव परिदृश्यों का सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। रिज़र्व बैंक प्रतिकूल चुनौतियों के प्रति लगातार सजग है और वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सक्रियतापूर्वक कदम उठाने के लिए तत्पर रहेगा।

5. विदेशी मुद्रा बाजार में हुई हालिया गतिविधियों से तीखी बहस छिड़ गई है और रुपये के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर तक गिर जाने के अंदाज लगाए जा रहे हैं क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो फंड भारत से बाहर निकल रहे हैं। मैं इस मुद्दे के सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए तथ्यपरक ढंग से अपनी बात रखना चाहूँगा।

6. सबसे पहले यह स्वीकारना जरूरी है कि मौद्रिक नीति में वैश्विक सख्ती के प्रसार-प्रभाव, भूराजनीतिक परिस्थिति, वस्तुओं- खासकर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि बने रहना और महामारी के प्रभावों का लंबा खिंचते चले जाना- इन सभी के एक साथ आ जाने से, दुनिया के सभी देश अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। यहाँ तक कि रिज़र्व मुद्राएँ, जैसे कि जापानी येन, यूरो और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग भी इससे अछूती नहीं रही हैं। पोर्टफोलियो फंड आस्तियां बेच रहे हैं और सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहे हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ (ईएमई) पूंजी के बाहर जाने, मुद्रा अवमूल्यनों और रिज़र्व में गिरावटों से विशेष रूप से प्रभावित हुई हैं, जिससे इन देशों में समष्टिआर्थिक प्रबंधन जटिल हो गया है।

7. दूसरी बात, भारत पर इन भारी प्रसार-प्रभावों का असर अपेक्षाकृत कम पड़ा है। वस्तुतः, भारतीय रुपया अपने उन्नत और ईएमई समकक्षों की तुलना में बेहतर बना हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आधारभूत व्यवस्था सुदृढ़, अघातसह और अक्षुण्ण है। आर्थिक बहाली क्रमशः मजबूत हो रही है। चालू खाता घाटा अधिक नहीं है। मुद्रास्फीति स्थिर हो रही है। वित्तीय क्षेत्र पूरी तरह पूंजीकृत और सुदृढ़ है। जीडीपी की तुलना में बाह्य कर्ज अनुपात कम हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है।

8. तीसरी बात, इस तथ्य को स्वीकारते हुए कि आयात और कर्ज चुकौती संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने तथा पोर्टफोलियो बहिर्वाहों के कारण बाजार में मांग के मुक़ाबले विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वास्तव में कमी है, पर्याप्त विदेशी मुद्रा चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए, आरबीआई बाजार में अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति कर रहा है। आखिरकार, यही वह उद्देश्य है जिसके लिए हमने विदेशी मुद्रा भंडार जमा किए थे, जब पूंजी के अंतर्वाह मजबूत थे। और, मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा, आप छाता इसलिए खरीदते हैं कि जब बारिश हो तो वह काम आए!

9. चौथे, बकाया ईसीबी के सर्वाधिक भाग को हानि से सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी ढंग से बचाव-व्यवस्था की गई है। इसे मैं विस्तार से बताता हूँ। भारतीय रिज़र्व बैंक की जून 2022 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के अनुसार, 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बकाया ईसीबी में से 44 फीसदी यानि 79 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए बचाव-व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें मुख्य रूप से पेट्रोलियम, रेलवे और बिजली क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की देनदारियां शामिल हैं जिनके पास ऐसी आस्तियां हैं जो स्वाभाविक रूप से बचाव/हेज करने की विशेषता रखती हैं।

इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के मामले में विदेशी मुद्रा जोखिम होने की स्थिति में सरकार द्वारा भार उठाया जा सकता है। ऐसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। शेष 39 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ईसीबी बकाया कुल ईसीबी का 22% है। इसमें भी उन कंपनियों के उधार शामिल हैं जिनके पास विदेशी मुद्राओं में प्राप्त होने वाली आय के रूप में स्वाभाविक हेजिंग है। इस प्रकार कुल बकाया ईसीबी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा वास्तव में बिना किसी सुरक्षा के/ अनहेज्ड है। कॉरपोरेट संस्थाओं को अंततः समझौताकारी तालमेल बैठाना पड़ता है क्योंकि एक ओर यदि कॉर्पोरेट संस्थाएं अपने विदेशी मुद्रा जोखिम को पूरी तरह से हेज करते हैं, तो उधार लेने की लागत बढ़ जाती है और विदेशी मुद्रा में सस्ते उधार लेने का लाभ नहीं मिल पाता है।

दूसरी ओर, विनिमय दर दबाव में होने की स्थिति में उन्होंने जितनी राशि को हेज नहीं किया है उतनी ही ऋण चुकौती की राशि बढ़ जाती है। इसी कारण यथायोग्य हेज अनुपात की अवधारणा अस्तित्व में

आई, जो हेजिंग के अनुपात की गणना करता है, जिससे पोर्टफोलियो में परिवर्तन कम होता है। हमारे आंतरिक शोध का अनुमान है कि भारत के लिए यथायोग्य हेज अनुपात 63 प्रतिशत के आसपास होना चाहिए। स्वाभाविक हेजिंग और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के जोखिम को ध्यान में रखते हुए, भारत के विदेशी ऋण में ईसीबी के स्टॉक के मामले में इष्टतम हेजिंग अनुपात को बनाए रखने की शर्त को संतोषजनक रूप से पूरा किया गया है।

10. अंतर्वाह को प्रोत्साहित करने के उपायों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के कारण, रुपये का मूल्य अपेक्षाकृत सुचारू और व्यवस्थित रहा है। अचानक होने वाले और अस्थिर कर देने वाले बदलावों से बचते हुए, हमने यह सुनिश्चित किया है कि उम्मीदें बरकरार रहें तथा विदेशी मुद्रा बाजार स्थिर तरीके से काम करे और उसमें तरलता बनी रहे। विदेशी मुद्रा बाजार पर हमारा ध्यान बना रहेगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि रुपये का स्तर बुनियादी स्तर के अनुरूप हो। मैं यह दोहराना चाहूंगा कि हमारे मन में रुपये को लेकर कोई विशिष्ट स्तर नहीं है, लेकिन हम इस स्तर के उचित विकास को सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इसकी अस्थिर चाल और तीव्र उतार-चढ़ाव हमें पूर्णतः अमान्य है।

बैंक विशेष संस्थाएं होती हैं- उनमें स्थायित्व अपेक्षित है

11. बैंक विशेष हैं और वे किसी अन्य वाणिज्यिक संस्था की तरह नहीं हैं। वे केवल शेयरधारकों के हितों के संरक्षक नहीं हैं बल्कि मूल रूप से जमाकर्ताओं के विश्वास के संरक्षक अधिक हैं। बैंकिंग प्रणाली के केंद्र में जमाकर्ता होते हैं। देश में एक मजबूत, विश्वसनीय और स्थिर वित्तीय प्रणाली के लिए जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बैंकों के लिए यह हमेशा याद रखना महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा नियोजित धन जमाकर्ताओं का है और यह उचित जोखिम प्रबंधन, शासन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में परिलक्षित होना चाहिए।

12. बैंकों के संबंध में यहा भी अपेक्षा की जाती है कि विनियामक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद वे स्थायी संस्था बने रहें। वे सुदृढ़ विनियामक और पर्यवेक्षी प्रथाओं द्वारा शासित होती हैं। सुदृढ़ कार्यप्रणाली और जोखिम प्रबंधन, जो बैंक के कामकाज का अभिन्न अंग है, को सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी स्वयं बैंकों की होती है। पूंजी, चलनिधि और प्रावधानीकरण मानदंडों के संदर्भ में विनियामकीय निर्देशों से परे जाना और उनसे आगे जाना सुशासन और मजबूत जोखिम प्रबंधन का संकेत होगा। यह बैंकों के भविष्य को सुरक्षित करेगा और उन्हें तनाव की स्थितियों के दौरान अपने स्वयं की बैलेंस शीट का सहारा लेने में सक्षम बनाएगा।

13. इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि जहां बैंकिंग के कारोबार में शेयरधारकों का हित महत्वपूर्ण है, वहीं जमाकर्ताओं का हित और भी महत्वपूर्ण है। बैंकों के शेयरधारकों को दीर्घावधि लाभप्रदता और बाजार मूल्यन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। यह निवेशकों को मध्यम से दीर्घावधि में सृजित होने वाले मूल्य के लिए बैंकिंग संस्था की ओर देखने के लिए प्रेरित करेगा। यह दृष्टिकोण बैंकिंग के एक नए प्रतिमान की शुरुआत करेगा और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर साबित होगा।

भविष्य के लिए बैंकों की तैयारी

बैंकिंग का बदलता परिदृश्य

14. बैंकिंग क्षेत्र मंथन के दौर से गुजर रहा है। भविष्य में ग्राहकों की बैंकिंग उद्योग से अपेक्षाएँ बढ़ जाएँगी बैंकों को ग्राहकों की पसंद और प्राथमिकताओं में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रत्येक बदलाव मौजूदा और नई संस्थाओं के लिए विशिष्ट अवसर और चुनौतियां पेश करेगा। यह ध्यान में रखना होगा कि कभी-कभी बदलाव इतने अचानक हो सकते हैं कि उनका अनुमान लगाना असंभव होगा। हालांकि, मुझे लगता है कि 'भविष्य की बैंकिंग' (i) उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने, उत्पादों और सेवाओं के अनुकूलन, उन्नत व्यवसाय और प्रक्रिया स्वचालन और (ii) सुदृढ़ अभिशासन ढांचे, बेहतर सूचना प्रबंधन, काम करने के तरीके में बदलाव, आघातों को सहने की बढ़ी हुई क्षमताओं के निर्माण और बैंकों के लिए एक अधिक जिम्मेदार सामाजिक और पर्यावरणीय भूमिका के साथ उपयुक्त व्यवसाय मॉडल के विकास को प्राथमिकता देगी।

मैं उपर्युक्त बातों को विस्तार से रखना चाहता हूँ।

डिजिटलीकरण में वृद्धि, व्यक्ति अनुकूल सेवाओं की पेशकश और फिनटेक कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम

15. बाजार संरचना और प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। फिनटेक कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम से अथवा स्व-उन्नयन के माध्यम से पारंपरिक बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाने में हुई वृद्धि ने नए जमाने के बैंकिंग के विचार को प्रतिध्वनित किया है। इससे अभिनव उत्पादों, सेवाओं और नए व्यापार मॉडल का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस संदर्भ में, यह अक्सर कहा जाता है कि बैंकों को फिनटेक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा जो पहले से ही वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। आज के ग्राहक, विशेष रूप से खुदरा ग्राहक, बैंकों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें त्वरित, विश्वसनीय और व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराएँ। इसलिए, प्रासंगिक बने रहने के लिए, बैंकों को प्रभावी और समय पर व्यापार निर्णय लेने, अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझने और उन्हें व्यक्ति अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए नई और परीक्षण में उपयुक्त पाई गई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता होगी। भविष्य की बैंकिंग के लिए प्रौद्योगिकी और संगठनात्मक क्षमता में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी।

मुक्त बैंकिंग (ओपन बैंकिंग)

16. वैश्विक स्तर पर देखें तो नई प्रौद्योगिकियों और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) की उपलब्धता से बैंकिंग अधिक 'खुली' होती जा रही है जो बैंकों के साथ-साथ फिनटेक के बीच भी अंतर-संचालन की अनुमति देती है। इस आयाम ने ग्राहक अनुकूल उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों तक तेजी से और बेहतर रूप से पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रतिभागियों के बीच पारस्परिक सहयोग हेतु अद्वितीय अवसर उपलब्ध कराये हैं। अन्य विकसित देशों के विपरीत, भारत ने एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया है, जहां विनियामक और बाजार, दोनों ने मिलकर ओपन बैंकिंग के विकास के लिए काम किया है। भारत में ओपन बैंकिंग की शुरुआत करने में यूपीआई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यूपीआई की सफलता, अकाउंट एग्रीगेटर (एए) संरचना के क्रियान्वयन और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने के साथ भारत में नए बिजनेस मॉडल का उदय हो रहा है। ग्राहकों को, अपनी सूचनाओं का बेहतर उपयोग करने और व्यापक तथा समृद्ध सेवा समूह का लाभ उठाने के लिए, सुविधा प्रदान करने हेतु कई बैंक नए युग के सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं।

उपयोगकर्ता अनुकूल ऐप, वेबसाइट नैविगेशन और उन्नत ग्राहक सेवा

17. नए तकनीक-प्रेमी ग्राहकों और बैंकिंग जगत में डिजिटलीकरण की लहर को देखते हुए, बैंकों के लिए जरूरी है कि वे संचार के डिजिटल और कागज आधारित रूपों के बीच एक अच्छा संतुलन भी बनाएं। हालांकि बैंकों के ऐप्स और वेबसाइटों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से परिवर्तन हुए हैं, फिर भी ग्राहकों के लिए आसान नैविगेशन की सुविधा मुहैया कराए जाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। प्रकटीकरण और सूचनाओं तक पहुंच को सरल बनाने तथा वेबसाइट और मोबाइल ऐप्लिकेशन का उपयोग करने में ग्राहकों को मदद करने के लिए चैटबॉट जैसी नवोन्मेषी सुविधा देने से बैंकिंग अनुभव में काफी वृद्धि होगी।

वित्तीय समावेशन

18. वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में व्यापक कार्य हुए हैं और उसमें सतत सुधार भी हुए हैं जो रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए वित्तीय समावेशन सूचकांक में परिलक्षित होते हैं। वेतन भुगतान, सरकारी नकद अंतरण और घरेलू विप्रेषण जैसी डिजिटल भुगतान प्राप्तियां वित्तीय समावेशन अभियान में सहायक साबित हुई हैं। जनधन-आधार-मोबाइल त्रय (जेएएम ट्रिनिटी) की प्रेरणा के परिणामस्वरूप वंचित और अल्प सेवा प्राप्त लोगों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है। यद्यपि डिजिटल प्रौद्योगिकियां, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने के लिए बाधाओं को दूर करने का एक शक्तिशाली तरीका पेश कर रही हैं, फिर भी हमें उन लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होने की भी आवश्यकता है जिनकी इन सेवाओं तक पहुंच नहीं है। पारंपरिक शाखा बैंकिंग में मानवीय संवाद अभी भी कई मायनों में ग्राहकों के लिए प्रासंगिक होगा। कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों को समय पर और निर्बाध ऋण प्रदान करने की भी आवश्यकता है। जहां आरबीआई अपने नियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से एमएसएमई जैसे क्षेत्रों को ऋण देने की पहल को प्रोत्साहित करने

में लगा हुआ है, वहीं अन्य हितधारक जैसे बैंक और फिनटेक कंपनियां भी लागत-प्रभावी और निर्बाध तरीके से डिजिटल क्रेडिट वितरण तंत्र उपलब्ध करवाने के लिए सहयोग कर रही हैं।

सोशल मीडिया और सूचना माध्यमों का उपयोग

19. सोशल मीडिया लाखों ग्राहकों तक पहुंचने का एक वैकल्पिक मंच है। भारतीय लोग औसतन प्रतिदिन लगभग 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया के उपयोग के विश्लेषण से बैंकों को अलग-अलग ग्राहक समूहों की पहचान करने, नए ग्राहक बनाने और वित्तीय समावेशन योजनाओं को आगे बढ़ाने में अपनी रणनीतियों की समीक्षा करने में मदद मिल सकती है। सोशल मीडिया का उपयोग ग्राहक शिकायत निवारण प्रबंधन में भी किया जा सकता है।

साइबर सुरक्षा

20. डिजिटल बैंकिंग में प्रगति के साथ-साथ, साइबर सुरक्षा सभी हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी रहेगी। बैंकों द्वारा आईटी सिस्टम का बढ़ता उपयोग, दूरस्थ कार्य व्यवस्था, ग्राहकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को त्वरित रूप से अपनाने के साथ-साथ विभिन्न सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष पर निर्भरता बढ़ने से व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों की वहनीय क्षमताओं में वृद्धि की आवश्यकता होगी। इसमें साइबर हमलों के कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे को बाधित करने, अक्षम करने या नष्ट करने या गोपनीय जानकारी और डेटा चोरी करने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास के खिलाफ मजबूत सुरक्षा का निर्माण करना शामिल है। बैंकों को अपने कर्मियों की क्षमता में निरंतर वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। निरंतर ज्ञान अर्जन और समय से आगे रहना और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।

जलवायु संबंधी जोखिमों के संबंध में व्यापक और रणनीतिगत दृष्टिकोण

21. आने वाले समय में जलवायु संबंधी जोखिम एक प्रमुख जोखिम क्षेत्र होगा। इस तरह के जोखिम बैंकों की कारोबारी प्रणाली को प्रभावित करेंगे। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यवसायों और उद्योग को वित्त पोषण की बढ़ी हुई आवश्यकताएं, जलवायु संबंधी जोखिम प्रबंधन पर उठाए गए वैश्विक परिवर्तनों से काफी प्रभावित होंगी। निवेश संबंधी निर्णय लेते समय विभिन्न हितधारक पहले से ही पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) को एक महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं। वैश्विक जलवायु के प्रति स्थिरता बनाए रखने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वित्तपोषण वाली परिसंपत्तियों के मूल्यांकन सहित बैंक अपने व्यवसायों को तेजी से इनके अनुरूप बना रहे हैं। बैंकों को उचित व्यावसायिक रणनीति विकसित करने और संबंधित जोखिमों का आकलन करने के लिए आभिशासन ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, जलवायु जोखिमों को दूर करने के लिए एक दूरदर्शी, व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता होगी।

समग्र रूप से ...

22. आने वाले समय में उम्मीद है कि बैंकिंग की दुनिया अधिक परस्पर सहयोगी होने के साथ-साथ ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगी, जिसमें नए खिलाड़ी होंगे जो नवीन वित्तीय उत्पादों की पेशकश लेकर आएंगे। बैंकों को उचित व्यवसाय मॉडल, संवहनीयता, स्थिरता और उपभोक्ता को केंद्र में रखते हुए इस गतिशील वातावरण का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उचित अभिशासन सफलता का मूल है और इससे समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हितधारकों को डिजिटल धोखाधड़ी, डेटा उल्लंघनों और साइबर अपराधों से बचाने के लिए उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अंततः, बैंकिंग एक सेवा है, और बेहतर ग्राहक सुरक्षा और अनुभव को वह प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिसके वे हकदार हैं। विनियामक की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए, नए परिवर्तनकारी नवाचारों को स्थायी तरीके से समायोजित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इतिहास गवाह है कि जब-जब प्रौद्योगिकी, बाजार सहभागियों और विनियामकों ने हाथ मिलाया है, तब-तब क्रांतिकारी नवाचार और संवृद्धि हुई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल के हमारे बैंक इसे साकार करेंगे।

धन्यवाद।

***

आलेख

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना

- मधुसूदन सुभाष अडकी
निदेशक, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग,
केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों को जारी रखने और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशक आधार बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक के 05 फरवरी, 2021 के विकास और विनियामक नीति वक्तव्य में 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' योजना की घोषणा की गई थी। इसमें रिज़र्व बैंक ने खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में प्रत्यक्ष निवेश करने की सुविधा प्रदान करने हेतु केंद्रीय बैंक के साथ गिल्ट प्रतिभूति खाता खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था। 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' योजना 12 नवंबर, 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।

इस योजना के तहत, खुदरा व्यक्तिगत निवेशक ऑनलाइन पोर्टल https://rbiretaildirect.org.in के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट (आरडीजी) खाता खोल सकते हैं। यह योजना व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करती है। आरडीजी खाता पूरी तरह नि:शुल्क होता है एवं इसमें किसी तरह के मध्यस्थ की जरूरत नहीं होती है। हाँ, बैंकों के पेमेंट गेटवे के लिए लागू शुल्क को वहन करना होगा।

योजना के प्रमुख बिंदु

इस योजना के तहत व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ 'खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता' (आरडीजी एकाउंट) खोलने और उसे नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। खुदरा निवेशक एक गैर-पेशेवर निवेशक होता है, जो प्रतिभूतियों या फंडों, जिसमें म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) आदि शामिल हैं, को खरीदता एवं बेचता है। किसी गिल्ट खाते की तुलना बैंक खाते से की जा सकती है, किंतु इस खाते में पैसे के बजाय ट्रेज़री बिल या सरकारी प्रतिभूतियों को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। गिल्ट खाते इस योजना के प्रयोजन के उद्देश्य से उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खोले जा सकते हैं।

यह ऑनलाइन पोर्टल पंजीकृत उपयोगकर्त्ताओं को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक जारीकर्ता और 'नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग सिस्टम' (एनडीएस-ओएम) तक पहुँच प्रदान करेगा। रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2005 में 'नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग सिस्टम' की शुरुआत की थी। यह सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिये एक

इलेक्ट्रॉनिक, स्क्रीन-आधारित, ऑर्डर संचालन व्यापार प्रणाली है। यह व्यक्तिगत निवेशकों के लिये सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा को आसान बनाने हेतु वन-स्टॉप समाधान है। रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों एवं म्यूचुअल फंड से परे, सरकारी ऋण प्रतिभूतियों के स्वामित्व का प्रजातंत्रीकरण करना चाहता है।

वर्तमान सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाज़ार

सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में संस्थागत निवेशकों का दबदबा है जो बैंक, म्युचुअल फंड और बीमा कंपनियों जैसे बड़े बाज़ारों को नियंत्रित करते हैं। ये संस्थाएँ 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक आकार में व्यापार करती हैं। इसलिये ऐसे छोटे निवेशक जो छोटे आकार में व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिये द्वितीयक बाज़ार में चलनिधि की कमी है। प्राथमिक बाज़ार वे होते हैं जहाँ प्रतिभूतियाँ बनाई जाती हैं; जबकि द्वितीयक बाज़ार वह होता है जहाँ निवेशकों द्वारा उन प्रतिभूतियों का कारोबार किया जाता है। उनके लिये अपने निवेश से बाहर निकलने का कोई आसान तरीका नहीं होता है। इस प्रकार वर्तमान में प्रत्यक्ष सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार खुदरा निवेशकों के बीच लोकप्रिय नहीं है।

इस योजना के लाभ

1. ईज़ ऑफ एक्सेस में सुधार

यह छोटे निवेशकों के लिये सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) ट्रेडिंग की प्रक्रिया को आसान बना देगा। इसलिये यह सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाएगा और 'ईज़ ऑफ एक्सेस' में सुधार करेगा।

2. सरकारी उधार की सुविधा

यह उपाय अनिवार्य 'हेल्ड टू मेच्योरिटी' (ऐसी प्रतिभूतियाँ जो परिपक्वता तक स्वामित्व के लिये खरीदी जाती हैं) प्रावधानों में छूट के साथ वर्ष 2021-22 में सरकारी उधार कार्यक्रम को सुचारु रूप से पूरा करने की सुविधा प्रदान करेगा।

3. घरेलू बचत का वित्तीयकरण

सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में प्रत्यक्ष खुदरा भागीदारी की अनुमति देने से घरेलू बचत के विशाल पूल के वित्तीयकरण को बढ़ावा मिलेगा और यह भारत के निवेश बाज़ार में 'गेम-चेंजर' हो सकता है।

सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेश बढ़ाने हेतु किये गए अन्य उपाय

1. प्राथमिक नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी

गैर-प्रतिस्पर्द्धी बोली का अर्थ है कि एक व्यक्ति दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी में मूल्य उद्धृत किये बिना भाग ले सकता है। शेयर बाज़ार खुदरा बोलियों के लिये सेवा समूह (एग्रीगेटर) और सहायक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

2. द्वितीयक बाज़ार में एक विशिष्ट खुदरा क्षेत्र की अनुमति

सरकारी प्रतिभूतियाँ केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली एक व्यापार योग्य साधन होती हैं। ये सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करती हैं। ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्पकालिक या दीर्घकालिक होती हैं।

आमतौर पर एक वर्ष से भी कम समय की परिपपक्वता वाली अल्पकालिक प्रतिभूतियों को ट्रेज़री बिल कहा जाता है जिसे वर्तमान में तीन रूपों में जारी किया जाता है, अर्थात् 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। आमतौर पर एक वर्ष या उससे अधिक की मेच्योरिटी वाली दीर्घकालिक प्रतिभूतियों को सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है।

सरकारी प्रतिभूतियों में व्यावहारिक रूप से डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है, इसलिये इन्हें जोखिम रहित गिल्ट-एज्ड उपकरण भी कहा जाता है। गिल्ट-एज्ड प्रतिभूतियाँ सरकार और बड़े निगमों द्वारा उधार ली गई निधि के साधन के रूप में जारी किये जाने वाले उच्च-श्रेणी के निवेश बॉण्ड हैं।

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध प्रतिभूतियां

अब प्रश्न यह उठता है कि रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर किन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। तो ये वे कुछ सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिनमें आम निवेशक निवेश कर सकता है:

(i) भारत सरकार के खजाना बिल (टी-बिल)

(ii) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां (डेटेड जी-सेक)

(iii) राज्य विकास ऋण (एसडीएल)

(iv) राजकीय स्वर्ण बाँड (एसजीबी)

रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आरडीजी) खाता कौन खोल सकता है?

[क] व्यक्तिगत खुदरा निवेशक (नैसर्गिक व्यक्ति) को (आरडीजी) खाता खोलने की अनुमति है। निवेशकों को यह खाता खोलने के लिए निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी होती हैं:

(i) भारत में व्यवस्थित रुपया बचत बैंक खाता

(ii) आय कर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन)

(iii) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) के उद्देश्य से कोई आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी)

(iv) वैध ई-मेल आईडी

(v) पंजीकृत मोबाइल नंबर

आरडीजी खाता एकल रूप में या पात्रता मानदंड को पूरा करते अन्य रिटेल निवेशक के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है।

[ख] अनिवासी रिटेल निवेशक, योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु पात्र हैं।

निवेशक ऑनलाइन फॉर्म भरके ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी का प्रयोग करके फॉर्म को अधिप्रमाणित और प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्राथमिक बाजार भागीदारी

सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्राथमिक नीलामी में भागीदारी हेतु गैर-प्रतिस्पर्धी योजना और एसजीबी निर्गम के लिए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश के अनुसार प्रतिभूतियों की भागीदारी और आवंटन होगा। प्रति प्रतिभूति केवल एक बोली की अनुमति है। बोली की प्रस्तुति पर कुल भुगतान योग्य राशि प्रदर्शित की जाएगी। निपटान दिवस पर आरडीजी खाते में क्रेडिट द्वारा निवेशकों को आवंटित प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी।

द्वितीयक बाजार लेनदेन – एनडीएस-ओएम

पंजीकृत निवेशक एनडीएस-ओएम (ऑड लॉट सेगमेंट/आरएफक्यू) के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर द्वितीयक बाजार लेनदेन लिंक प्राप्त कर सकता है। भुगतान निम्नलिखित में से किसी भी तरह से किया जा सकता है:

ट्रेडिंग घंटे शुरू होने से पहले या दिन के दौरान निवेशक को सहबद्ध बैंक खाते से नेट बैंकिंग/यूपीआई का प्रयोग करते हुए सीसीआईएल (एनडीएस-ओएम के समाशोधन निगम) के नामित खाते में निधि अंतरित करनी होगी। वास्तविक अंतरण/सफल संदेश पर ऑर्डर खरीदने के लिए निधीयन सीमा (खरीद सीमा) दी जाएगी। ट्रेडिंग सत्र की समाप्ति पर निवेशक को क्रेडिट की अतिरिक्त राशि रिफंड कर दी जाएगी।

यूपीआई सुविधा का प्रयोग करते हुए, जिससे लिंक्ड बैंक खाते में फंड ऑर्डर जो सेटलमेंट के दिन इस खाते से डेबिट किया जाएगा, रखने के समय अवरुद्ध किया जा सकता है। खरीदी गई प्रतिभूतियां निपटान दिवस पर आरडीजी खाते में क्रेडिट कर दी जाएंगी।

बिक्री के लिए चिह्नित प्रतिभूतियां, ऑर्डर किए जाने से ट्रेड निपटान तक ब्लॉक कर दी जाएंगी। बिक्री लेनदेन से निधियों के निपटान की तारीख पर सहसंबद्ध बैंक खाते को क्रेडिट किया जाएगा। पंजीकृत निवेशक निम्नलिखित निवेशक सेवाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं:

खाता विवरण

रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाते में प्रतिभूतियों की होल्डिंग की लेनदेन हिस्ट्री और बकाया स्थिति उपलब्ध लिंक से हासिल की जा सकती है। सभी लेनदेन अलर्ट ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।

नामांकन सुविधा

विधिवत हस्ताक्षरित निर्धारित फॉर्मेट में नामांकन फॉर्म को भरा और अपलोड किया जा सकता है। इसमें अधिकतम दो नामांकन किए जा सकते हैं। पंजीकृत निवेशक की मृत्यु होने पर, मृत्यु प्रमाणपत्र और ट्रांसमिशन फॉर्म की प्रस्तुति पर आरडीजी खाते में उपलब्ध प्रतिभूति आरडीजी खाते में या नामिती के किसी अन्य सरकारी प्रतिभूति खाते में प्रेषित की जा सकती है। आरडीजी खाते में रखी प्रतिभूतियां गिरवी/ग्रहणाधिकार के लिए उपलब्ध होंगी।

उपहार लेनदेन

रिटेल डायरेक्ट निवेशक को अन्य रिटेल डायरेक्ट निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियां उपहार करने की सुविधा ऑनलाइन रूप में उपलब्ध होगी।

शिकायत निवारण

रिटेल डायरेक्ट योजना से संबंधित कोई प्रश्न या शिकायत पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकती है, जिसे लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ), मुंबई, भारतीय रिज़र्व बैंक देखेगा और समाधान उपलब्ध कराएगा। निवेशक टोल फ्री नंबर **1800 267 7955** पर सोमवार से शनिवार सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक संपर्क कर सकते हैं एवं इसके लिए निर्दिष्ट ई-मेल support@rbiretaildirect.org.in पर भी संपर्क कर सकते हैं।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी प्रक्रिया

केवाईसी सत्यापन करने के दो तरीके हैं- सीकेवाईसी आधारित और वीडियो केवाईसी। इन दोनों की प्रक्रिया निम्नवत है:-

सीकेवाईसी: अपना पैन कार्ड नंबर और जन्म तिथि दर्ज करते हुए सीकेवाईसी में उपलब्ध विवरण प्राप्त करें। पता विवरण, अपने हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति, बैंक खाते का विवरण और नामांकिती (नॉमिनी) का ब्योरा दें। आधार से जुड़े अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को प्रस्तुत करके आधार का उपयोग करते हुए उपयोगकर्ता अनुबंध फॉर्म को प्रमाणित करें।

वीडियो केवाईसी: यदि आपका डेटा सीकेवाईसी डेटाबेस में मौजूद नहीं है, तो आपको वीडियो केवाईसी पद्धति का विकल्प चुनना होगा। अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करें। यूआईडीएआई की वेबसाइट से अपने आधार का एक्सएमएल वर्जन डाउनलोड करें और अपलोड करें। एक्सएमएल वर्जन को डाउनलोड करते समय निर्दिष्ट 4-अंकीय पिन का उपयोग करें। पता विवरण, अपने हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति, बैंक खाते का विवरण और नामांकिती (नॉमिनी) का ब्योरा दें। उस समय उपलब्धता के आधार पर, बाद में या तुरंत के लिए समय स्लॉट चुनकर वीडियो केवाईसी पूरा करें। आधार से जुड़े अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को प्रस्तुत करके आधार का उपयोग करते हुए उपयोगकर्ता अनुबंध फॉर्म को प्रमाणित करें।

प्राथमिक बाजार नीलामियों की आवधिकता एवं न्यूनतम निवेश राशि

आगे दी गई तालिका के अनुसार, प्राथमिक नीलामियां आमतौर पर सप्ताह के निर्दिष्ट दिनों में आयोजित की जाती हैं, पर छुट्टियों या अन्य कारणों से ये दिन बदल सकते हैं। भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों

क्र.सं	सरकारी प्रतिभूतियां	प्राथमिक नीलामियां सामान्यत: होने के दिन	न्यूनतम निवेश राशि (12 नवंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार)
1	भारत सरकार के खजाना बिल (टी-बिल)	बुधवार	₹10,000
2	भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां (डेटटेड जी-सेक)	शुक्रवार	₹10,000
3	राज्य विकास ऋण (एसडीएल)	मंगलवार	₹10,000
4	राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी)	आरबीआई द्वारा अपनी प्रेस विज्ञप्ति में साप्ताहिक विंडो की घोषणा	एक ग्राम स्वर्ण

और राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) के लिए अर्धवार्षिक सांकेतिक कैलेंडर आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं, जबकि ट्रेजरी बिल और राज्य विकास ऋण के लिए तिमाही संकेतक कैलेंडर प्रकाशित किए जाते हैं। विवरण के लिए आरबीआई की वेबसाइट https://rbi.org.in देखें। जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है कि इस योजना का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशक की सहभागिता बढ़ाना है। योजना शुरू होकर लगभग नौ महीने हुए हैं और इसमें खुदरा निवेशकों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए प्रचार-प्रसार और निवेशक जागरूकता पर जोर दिया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन के पाठक इस योजना की जानकारी अपने परिचितों को देंगे ताकि इसका लाभ आम निवेशक को भी मिल सके।

***

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड (सोवरिन गोल्ड बॉण्ड - एसजीबी) क्या है? इसे कौन जारी करता है?

ये बॉण्ड सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिनका अंकित मूल्य स्वर्ण ग्राम में होता है। स्वर्ण अपने पास रखने का यह एक वैकल्पिक माध्यम है। निवेशकों को निर्गम मूल्य नकद रूप में अदा करना होता है। बॉण्ड की मीयाद समाप्त हो जाने पर नकद राशि प्राप्त होगी। यह बॉण्ड भारत सरकार की ओर से रिज़र्व बैंक जारी करता है।

स्रोत: आरबीआई वेबसाइट

भारत की नवाचार क्षमता का विस्तार

- समीरा सौरभ
आर्थिक सलाहकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

नवाचार, अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। प्रौद्योगिकी और इसका तेजी से विस्तार कृषि, विनिर्माण और सेवाओं सहित लगभग सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। नवाचार और प्रौद्योगिकी में प्रगति यह तय करने में महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय और उद्यम, देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ दुनिया भर में उनके विस्तार में किस तरह से भाग लेते हैं।

वर्तमान में, दुनिया तेजी से बदल रही है और गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिए नई तकनीकों को लाकर निरंतर नवाचारों के माध्यम से व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने की आवश्यकता है। विश्व नवाचार युग के बीच में है जो महामारी से पहले शुरू हुआ था। लेकिन पिछले दो वर्षों में डिजिटल विकास में आई तेजी से अब यह आगे बढ़ रहा है। इंटरनेट की तेज गति और 5जी मोबाइल तकनीक, बेहतर कनेक्टिविटी के आधार के रूप में काम कर रही है और नए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा दे रही है।

भारत में वर्तमान में 105 यूनिकॉर्न (स्टार्ट-अप) हैं। बड़ी संख्या में स्टार्ट-अप का होना, भारत के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में 2015 में 81 से 2021 में 46 तक पहुंचने का एक कारण है। हाल के वर्षों में भारत में बड़े पैमाने पर टेक स्टार्ट-अप के पोषण पर ध्यान केंद्रित करने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के कारण निश्चित रूप से प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। उदाहरण के लिए, 2016 में सरकार द्वारा शुरू की गई 3 बिलियन डॉलर की 'स्टार्टअप इंडिया' पहल ने उद्यमियों को सूक्ष्म-वित्तपोषण और कम ब्याज दर की पेशकश करके डिजिटली मार्ग प्रशस्त करने में मदद की है।

भारत ने, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है। सरकार ने संक्रमितों का पता लगाने के लिए आरोग्य-सेतु ऐप की शुरुआत की, जिसे 21 दिनों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया गया था। इस ऐप का एक हिस्सा, कोविन पोर्टल, भारत द्वारा निष्पादित दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की डिजिटल रीढ़ बनने में अपनी सफलता के लिए वैश्विक प्रशंसा प्राप्त कर चुका है।

ये नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार के उदाहरण हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय व्यापार और प्रौद्योगिकी में परामर्श और सहायता प्रदान कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी की कई शाखाएं, उद्यम को सफल बनाने और उच्च विकास हासिल करने के लिए बीज पूंजी सहायता और पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए अन्य व्यवसायों के साथ नेटवर्किंग कर रही हैं।

एमएसएमई चैंपियंस योजना

मार्च 2022 में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई चैंपियंस योजना के तहत एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2022 के साथ एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम शुरू की। इसका प्राथमिक उद्देश्य रचनात्मकता को बढ़ावा देना, सहायता करना और एमएसएमई क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और विधियों की मदद करना है।

एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की तीन पूर्व योजनाओं ऊष्मायन (इन्क्यूबेशन), डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) का संयोजन है। ये तीनों योजनाएं एकीकरण और संयोजन के साथ अलग-अलग इकाइयों के रूप में कार्य करेंगी। देश में नवाचार को प्रोत्साहित, सवंर्धित और समर्थित करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण रखने के दृष्टिकोण से ऐसा किया जा रहा है। एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम एक मेजबान के रूप में कार्य करेगी जो उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी, उनके विकास में मार्गदर्शन करेगी और उन व्यावसायिक प्रस्तावों की आर्थिक रूप से मदद करेगी जो समाज को सीधे लाभान्वित करेंगे।

एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य उद्यमियों को एक मंच प्रदान करके भारत में नवाचार को प्रोत्साहित करना और इनक्यूबेशन तथा डिजाइन उपायों के माध्यम से विचारों को विकसित करने से लेकर नवाचार में संपूर्ण मूल्य शृंखला को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में अवधारणा के विकास, डिजाइन प्रतिस्पर्धात्मकता और बौद्धिक संपदा के संरक्षण और व्यावसायीकरण के लिए उपयुक्त सुविधाएं और सहायता प्रदान करने का है। भारत में एमएसएमई की संख्या बढ़ाने और उनके विकास में सहायता के लिए ऐसा किया जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों, संस्थानों, सरकारी निकायों और अनुसंधान संस्थानों के बीच ज्ञान साझा करने और सहयोग के माध्यम से भारत में नवाचार और समस्या-समाधान की संस्कृति पैदा करना भी है। यह योजना नए व्यवसायों के विभिन्न चरणों में भागीदारी बढ़ाने, प्रौद्योगिकी तक आसान पहुंच और बाजार में विचारों को बढ़ावा देने में मदद करने की उम्मीद में वित्त पोषण प्रदान करेगी। विभिन्न एजेंसियां जो इस योजना का हिस्सा हैं, उद्योग और अकादमिक दिग्गजों और विचारकों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेंगी। इसके साथ, भारत सरकार व्यवसायों को विकसित करने और नवाचारों को बढ़ावा देने की इच्छा रखती है जो व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और टिकाऊ होने के साथ-साथ समग्र रूप से समाज को लाभान्वित करेंगे। एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम तीन योजनाओं- इनक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर का संयोजन होगी। ये तीनों योजनाएं अलग-अलग इकाइयों के रूप में काम करेंगी।

इन्क्यूबेशन

'इनक्यूबेशन' चरण के तहत पहला कदम होस्ट इन्स्टीच्यूट (एचआई) नामक पात्र संस्थानों की मान्यता है, जो एक बिजनेस इनक्यूबेटर (बीआई) के रूप में कार्य करेगा। संस्थानों को तकनीकी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, पेशेवर संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, ऊष्मायन गतिविधियों में शामिल गैर-सरकारी संगठनों और प्रक्रिया में भाग लेने वाले केंद्र या राज्य सरकार के संस्थानों में से चुना जाएगा। इसके बाद चयनित संस्थान एमएसएमई और अन्य से विचार आमंत्रित करेंगे।

एचआई द्वारा विचारों की सूची के संक्षिप्तीकरण के बाद, परियोजना प्रबंधन इकाइयां (पीएमयू) पहले चरण की जांच करेंगी और जांच किए गए विचारों को डोमेन विशेषज्ञ चयन समितियों (डीईएससी) को आगे भेज देंगी। फिर विचारों को निम्नलिखित पाँच कार्यक्षेत्रों में विभाजित किया जाएगाः

1. कृषि और संबंधित उद्योग 2. स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन विज्ञान 3. बिजली और संबंधित उप-उद्योग 4. सेवाएं 5. विविध क्षेत्र।

पांच डोमेन विशेषज्ञ चयन समितियां (डीईएससी) शॉर्टलिस्ट किए गए विचारों का मूल्यांकन करेंगी और उन्हें परियोजना निगरानी तथा सलाहकार समिति (पीएमएसी) को भेजेंगी। स्वीकृत विचारों को विकास के लिए योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार प्रति विचार अधिकतम 1.5 लाख रुपये (19,600 डॉलर) की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। एचआई को संबंधित संयंत्रों तथा मशीनरी की खरीद और स्थापना के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

डिजाइन

'डिजाइन' घटक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र और डिजाइन विशेषज्ञता को एक साझा मंच पर लाना है। इसका उद्देश्य लागत प्रभावी और टिकाऊ डिजाइन समाधान प्रदान करना और आगे सुधार में मदद करना है। योजना को दो भागों में बांटा गया है- डिजाइन परियोजना और डिजाइन जागरूकता कार्यक्रम। डिजाइन परियोजना का उद्देश्य परामर्श और उपायों के माध्यम से कार्यनीतियों और डिजाइन से संबंधित उत्पादों के विकास के लिए एमएसएमई को संसाधन उपलब्ध कराना है।

डिजाइन जागरूकता परियोजना का उद्देश्य संगोष्ठियों, वार्ताओं और कार्यशालाओं के माध्यम से व्यवसायों के बीच डिजाइन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह योजना एमएसएमई के बीच उद्योग में डिजाइन और नवाचारों के महत्व को फैलाने पर केंद्रित है। इस योजना के तहत, एमएसएमई अपने डिजाइन, कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को प्रस्तुत करेंगे। स्वीकृत डिजाइन परियोजनाओं को अधिकतम 40 लाख रुपये (52,000 डॉलर) दिए जाएंगे। विद्यार्थी डिजाइन परियोजनाओं के लिए, अधिकतम 2.5 लाख रुपये (3,250 डॉलर) वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित 'आइडिया हैकाथॉन 2022' में पाँच स्टार्ट-अप्स को 15-15 लाख रुपये के अनुदान के लिए चयनित किया गया है।

ये हैं- एनाटोमिक प्रा. लि., मल्हारी परियोजना, नियो इनोवेटिव सोल्युशंस एलएलपी, इंटेलिजेंट डेंटल इनोवेशन प्रा. लि. और स्पार्क बैटरीज। ये स्टार्ट-अप्स स्वास्थ्य, कृषि, इलैक्ट्रिक वाहनों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

- नियो इनोवेटिव सोल्युशंस एलएलपी ने 'सोयाबीन रीपर एंड कलेक्टर' डिजाइन किया है।
- इंटेलिजेंट डेंटल इनोवेशन प्रा. लि. ने डेंटल क्राउन और बृजेज़ को स्वतः हटाने के लिए एक उपकरण डिजाइन किया है।
- एनाटोमिक प्रा. लि. ने चोट के उपरांत दीर्घकालिक और सर्जिकल परिणामों के प्रबंधन करने के लिए पुनर्वास चिकित्सा हेतु पोर्टेबल टेक्नॉलॉजी आरंभ की है।
- स्पार्क बैटरीज ने शीघ्र चार्ज होने वाली सोडियम क्लोराइड बैटरी डिजाइन की है।
- मल्हारी परियोजना ने पाइरोलिसिस प्रौद्योगिकी की शुरुआत की है।

ऐसे अनेक एमएसएमई और इनोवेटिव उद्यमी देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव के लिए जरूरी स्टार्ट-अप अपरिस्थितिकी तंत्र में सहायता करके, वैश्विक रूप से देश को आगे ले जाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

आईपीआर

'आईपीआर' घटक का मुख्य उद्देश्य भारत में बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूकता फैलाना और एमएसएमई को पेटेंट के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य एमएसएमई के नवाचारों, विचारों और ज्ञान-संचालित व्यावसायिक रणनीतियों की रक्षा करना है। आईपीआर योजना के तहत पात्र एजेंसियों में एमएसएमई विकास संस्थान, प्रौद्योगिकी केंद्र, सरकारी निकाय, विभाग, स्वायत्त संगठन, एमएसएमई भारत उद्योग संघ, गैर-लाभकारी निकाय,

गैर सरकारी संगठन, अनुसंधान तथा शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल हैं।

आईपीआर योजना के तहत विभिन्न स्तरों की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: विदेशी पेटेंट के लिए 5 लाख रुपये (6,500 अमरीकी डॉलर), पेटेंट के लिए एक लाख रुपये (1,300 अमरीकी डॉलर), जीआई पंजीकरण के लिए 2 लाख रुपये (2,600 अमरीकी डॉलर), डिजाइन पंजीकरण के लिए 15,000 रुपये (200 अमरीकी डॉलर) और ट्रेडमार्क के लिए 10,000 रुपये (150 डॉलर)।

एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम के तहत, भारत सरकार प्रासंगिक विश्व प्रथाओं को सीखने की सुविधा के लिए उद्योग जागरूकता गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं को शुरू करने की योजना बना रही है। सरकार ने ऊष्मायन और व्यवसायों के विकास के लिए वित्तीय सहायता के वास्ते बीज पूंजी सहायता भी स्थापित की है। इसके लॉन्च के कुछ महीने बाद, 36 करोड़ रुपये (4.7 मिलियन डॉलर) से अधिक की वित्तीय सहायता के लिए लगभग 900 विचारों को मंजूरी दी गई है। विभिन्न योजनाओं और पहलों द्वारा समर्थित होने से, भारत में एमएसएमई क्षेत्र में भविष्य में भारी वृद्धि हो सकती है।

सरकार की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य विश्व की अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देना तथा विनिर्माण में सहायता करना और ज्ञान आधारित नवीन एमएसएमई या उद्यमों में नवीनतम तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना है। सरकार एमएसएमई-प्रौद्योगिकी केंद्रों के साथ काम करने में भी मदद करती है। प्रौद्योगिकी केंद्र, एक अभिन्न अंग के रूप में व्यवसाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एमएसएमई मंत्रालय ने 18 प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) विकसित किए हैं, जिन्हें पहले टूल रूम (10) और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (8) के रूप में जाना जाता था, जो पूरे देश में फैले हुए थे। प्रौद्योगिकी केंद्रों की पहुंच बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने 15 नए ऐसे केंद्र भी शुरू किए हैं, जिनके लिए देश भर में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। प्रौद्योगिकी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका देश में एमएसएमई उद्यमों की उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच के माध्यम से सहायता करना और तकनीकी परामर्श सहायता तथा प्रतिभाशाली श्रम प्रदान करना है। ये युवाओं को स्कूल से लेकर स्नातक और इंजीनियर बनने तक विभिन्न स्तरों पर तकनीकी कौशल विकास उपलब्ध कराते हैं।

इन प्रौद्योगिकी केंद्रों में टूल एंड डाई मेकिंग में डिप्लोमा, सीएडी/सीएएम में पाठ्यक्रम, उन्नत एम्बेडेड प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, कृत्रिम मेधा तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स में पाठ्यक्रम, सुगंध तथा स्वाद निर्माण में पाठ्यक्रम, फुटवियर निर्माण और डिजाइन आदि में डिप्लोमा जैसे कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं।

नवाचार संवर्धन

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के स्टार्टअप, इनोवेशन और आईपीआर डिवीजन ने देश में प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले और नए तथा उभरते हुए स्टार्टअप-इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने को गति प्रदान करने के लिए कई सक्रिय और क्रमिक उपाय किए हैं। बदलती गतिशीलता के अनुरूप, यह सक्रिय दृष्टिकोण लगातार बाधाओं को दूर कर समग्र तकनीकी स्टार्टअप विकास बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई सर्वोत्तम प्रथाओं से निर्मित होता है। इस दिशा में कुछ प्रमुख पहल हैं:

प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और उद्यमियों का विकास (टाइड 2.0)

इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सामाजिक प्रासंगिकता के सात अग्र-पहचाने गए क्षेत्रों में मुख्य रूप से आईओटी, एआई, ब्लॉक-चेन, रोबोटिक्स इत्यादि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहे स्टार्टअप की मदद करने वाले

इनक्यूबेटरों को वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए टाइड 2.0 की शुरुआत की थी। इसे 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत 51 इन्क्यूबेटरों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इससे अंततः पाँच वर्षों की अवधि में लगभग 2000 टेक स्टार्ट-अप्स जुड़ेंगे। 5 वर्षों की अवधि में इस योजना का कुल परिव्यय 264.62 करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए पहचाने गए सात चुनिंदा विषयगत क्षेत्रों के दायरे में निम्नलिखित हैं:

1. स्वास्थ्य सेवाएं 2. शिक्षा 3. कृषि 4. डिजिटल भुगतान सहित वित्तीय समावेशन 5. बुनियादी ढांचा और परिवहन 6. पर्यावरण और स्वच्छ तकनीक 7. स्वच्छ ऊर्जा समाधान

टाइड केंद्र

51 टाइड 2.0 इन्क्यूबेशन केंद्रों में उन उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किए जाने हैं, जिनके पास ऊष्मायन सुविधाएं हैं और बड़ी कंपनियों, उद्योग निकायों, उद्योग समूहों के साथ संबंध स्थापित हैं ताकि उनके बड़े व्यवसाय संचालन में आवश्यक परामर्श और नवीन व्यवसायों का संभावित समावेशन प्रदान किया जा सके। पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता का लाभ उठाने के लिए, एक-स्तरीय दृष्टिकोण में टाइड 2.0 को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

इसके लिए यह परिकल्पना की गई है कि 51 टाइड केंद्रों में से प्रत्येक को नीचे संक्षेप में दिए गए तीन अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाएगाः

समूह 1 केंद्र : समूह 1 केंद्र स्टार्टअप को मेंटरिंग, क्षमता निर्माण, निवेश और निवेश के बाद की सलाह सहित सहयोग प्रदान करेगा।

समूह 2 केंद्र: समूह 2 केंद्र बड़ी संख्या में इच्छुक उद्यमियों और छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले स्टार्टअप बनाने में सक्षम बनाएगा।

समूह 3 केंद्र: समूह 3 केंद्र नए क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को आरंभ और प्रचारित करेंगे। ये आमतौर पर ऐसे इनक्यूबेटर होंगे जो हाल में शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किए गए हैं।

समूह 3 केंद्र अनुपस्थित/निष्क्रिय पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्रों में उद्यमिता और नवाचार गतिविध्यिों को आरंभ और प्रचारित करेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का स्टार्टअप हब

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय टेक स्टार्टअप स्पेस में सार्थक तालमेल बनाने की दिशा में टेक स्टार्टअप समुदाय के लिए एक विलक्षण, गतिशील, सहयोगी मंच के रूप में टाइड 2.0 योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप हब योजना की शुरुआत की थी। एमएसएच को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) द्वारा पांच साल की अवधि में 5.18 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय से कार्यान्वित किया जा रहा है। एमएसएच एक राष्ट्रीय समन्वय, सुविधा और निगरानी केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभिन्न नवाचारों के नेतृत्व वाली स्टार्ट-अप गतिविधियों को एकीकृत करता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की पहल

कई सरकारी योजनाएं, बच्चों में नवीन रूप से सोचने, कई समस्याओं के लिए आउट ऑफ द बॉक्स समाधान निकालने और बाधाओं को तोड़ने तथा विज्ञान में अपने साहसिक कार्य शुरू करने के लिए विश्वास पैदा कर रही हैं।

नवप्रवर्तन, नए भारत के सपने को साकार करने की कुंजी है। दूर-दराज के क्षेत्रों के स्कूली बच्चे दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के अभिनव समाधान लाने के लिए सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। होशंगाबाद, मध्य प्रदेश की एक छात्रा नवश्री ठाकुर ने एक बहु-उपयोगी रसोई मशीन विकसित की, जिसे उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यक्रम में प्रस्तुत किया और इसके लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इसी प्रतियोगिता में कर्नाटक के ओवैस अहमद के शॉक एब्जॉर्बर लगे स्ट्रेचर को दूसरा पुरस्कार मिला।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम- इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च (इंस्पायर) योजना के तहत, मानक (मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज) अवार्ड का लक्ष्य विज्ञान और सामाजिक अनुप्रयोगों में निहित एक मिलियन मूल विचारों/नवाचारों को बढ़ावा देना है। इससे विशेष रूप से कक्षा 6 से 10 के स्कूली बच्चों में रचनात्मकता और नवीन सोच की संस्कृति पैदा की जा सकेगी। यह हर साल इसमें भाग लेने के लिए स्कूलों का आह्वान करता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, अपने स्वायत्त निकाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया (एनआईएफ) के साथ ये पुरस्कार निष्पादित करता है। वर्ष 2020-2021 में इसे देश भर के 2 लाख से अधिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों से 6.53 लाख विचार प्राप्त हुए। उनमें से सर्वश्रेष्ठ को जिला, राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में प्रदर्शन के लिए चुना गया है।

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण पृष्ठभूमि की रश्मि कुमारी, जिनके पास पहले अपने भविष्य के बारे में आत्मविश्वास और निर्णय की कमी थी, 'स्टैम' में अपना करियर बनाने की इच्छुक हैं। इसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का 'विज्ञान ज्योति' कार्यक्रम धन्यवाद का पात्र है। यह कार्यक्रम देश के 100 जिलों में नौवीं से बाहरवीं कक्षा की लगभग 10,000 युवा लड़कियों को उत्कृष्टता के उच्च शिक्षण संस्थानों में 'स्टैम' के कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यह छात्रवृत्ति, नज़दीक के वैज्ञानिक संस्थानों का दौरा, विज्ञान शिविर, प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यान और करियर परामर्श जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।

बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने वाले अन्य कार्यक्रम किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (केवीपीवाई), विज्ञान ओलंपियाड कार्यक्रम और भारत नवाचार विकास कार्यक्रम (आईआईजीपी) हैं। बुनियादी विज्ञान में अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मेंटरशिप और छात्रवृत्ति सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बैंगलोर द्वारा प्रशासित और कार्यान्वित यह कार्यक्रम, अनुसंधान के लिए प्रतिभा और योग्यता वाले छात्रों की पहचान करता है, उन्हें विज्ञान का अध्ययन करने और अनुसंधान में करियर बनाने के लिए असाधारण रूप से प्रेरित छात्रों को, अपनी क्षमता का एहसास कराने में मदद करता है।

राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्व-विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच विज्ञान और गणित में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, मुंबई विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड मीट में भागीदारी के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के माध्यम से विद्यार्थियों के चयन तथा प्रशिक्षण के लिए नोडल संगठन है।

इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, लॉकहीड मार्टिन और टाटा ट्रस्ट की एक त्रिपक्षीय पहल है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर सामाजिक प्रभाव पैदा करने और भारत में औद्योगिक परिवर्तन लाने के लिए नवाचारों का चयन और भारत सरकार की 'स्टार्ट-अप इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन करना है। ये विजेताओं को अनुदान, प्रस्तावित प्रौद्योगिकी समाधानों के उनके प्रोटोटाइप

को सक्षम करने और सामाजिक, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक लाभ के लिए इन प्रौद्योगिकियों और समाधानों के मूल्यांकन और लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास करते हैं। इन सभी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से रचनात्मक समाधान खोजने और नए भारत के सपने को साकार करने में युवाओं को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नवाचार में भारत की प्रगति जलवायु कार्रवाई और नेट-जीरो ट्रांजिशन को भी आगे बढ़ा रही है। भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है। 106 देशों का यह समूह, सौर प्रौद्योगिकियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए सरकार ने हाल में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे उपायों को बढ़ावा देने में सहायक नीतियों को लागू करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम कर रहा है। तकनीकी और उद्यमशीलता क्षमताओं से लाभ प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए भारत सरकार के सुधारों की दिशा संतुलित, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देते हुए इसके मजबूत फोकस को उजागर करती है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि आविष्कार तब होते हैं जब लोग दूसरों से अलग सोचते हैं। एक प्रभावी नवाचार के लिए, सरल और सुगम के साथ-साथ, किसी विशेष ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कोई भी तकनीक या आविष्कार इतना सरल होना चाहिए कि लोग उसके कामकाज के बारे में समझ सकें। ऐसे सभी नवीन विचार और उन्हें वास्तविकता में बदलने का आग्रह एक उत्कृष्ट दिमाग को सफलता की ओर ले जाता है। भारत सरकार ऐसे सभी नवोन्मेषकों और उद्यमों को आगे आने और कुछ नया तथा उपयोगी आविष्कार करने के अपने बड़े सपनों में भरोसा कायम करने के लिए पूरा सहयोग देने को प्राथमिकता दे रही है।

***

भारत में स्वदेशी रुपे कार्ड का बढ़ता उपयोग

- दिनेश कुमार, उप महाप्रबंधक
अमर कडू, प्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

वर्षों से भारत में मुद्रण और परिचालन की लागत अधिक होने के कारण, करेंसी नोटों पर निर्भरता को कम करने के लिए लेस-कैश अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई थी। भारत में 'प्लास्टिक मनी' और प्रौद्योगिकी के विकास ने इस कल्पना को वास्तविकता में बदल दिया है। जब हम हार्ड कैश के स्थान पर लेनदेन के लिए किसी भी प्रकार के एटीएम कार्ड का उपयोग करते हैं, तो इस कार्ड को 'प्लास्टिक मनी' के रूप में जाना जाता है और इससे होने वाले लेनदेन को 'कैशलेस भुगतान' कहा जाता है। पहले हम पैसे निकालने के लिए बैंक जाते थे और लंबी कतारों में लगकर हमें पैसे मिलते थे। इस समस्या से निजात पाने के लिए बैंकों ने एटीएम मशीनों से पैसे निकालने के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड प्रचलन में लाये। भारत में बैंक प्रमुखतः तीन प्रकार के एटीएम कार्ड यानि रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड जारी होते है। अब, जब लोगों ने बैंक गए बिना, एटीएम मशीनों से पैसे निकालना शुरू कर दिया है तो हम कह सकते हैं कि ये कार्ड एक प्रकार के 'पेमेंट गेटवे' कार्ड है।

वीज़ा और मास्टरकार्ड

वीज़ा कार्ड और मास्टरकार्ड विदेशी भुगतान गेटवे हैं जो दुनिया के अधिकांश बैंकों को भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं। मास्टरकार्ड और वीज़ा कार्ड में कोई खास अंतर नहीं है। वे अंतरराष्ट्रीय कार्ड हैं; जिनके माध्यम से आसानी से हर जगह भुगतान किया जा सकता है। हालांकि, न तो वीज़ा और न ही मास्टरकार्ड वास्तव में किसी को कोई क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है। ये दोनों भुगतान विधियां हैं। भुगतान विधियों का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए वे विभिन्न देशों के बैंकों पर निर्भर रहते हैं। इस कारण, ब्याज दरें, रिवार्ड, वार्षिक शुल्क और अन्य सभी शुल्क बैंक द्वारा लगाए जाते हैं और इसलिए, जब हम क्रेडिट कार्ड संबंधी अपने बिल का भुगतान करते हैं, तो हम कार्ड जारी करने वाले बैंक या संस्थान को भुगतान करते हैं न की वीज़ा या मास्टरकार्ड को।

रुपे कार्ड क्या है?

रुपे, बैंकों द्वारा पेश किया जाने वाला एक घरेलू भुगतान नेटवर्क है। वर्तमान में रुपे कार्ड भारत के अलावा कई अन्य देशों (जैसे- सिंगापुर, बहरीन, सउदी, भूटान आदि) में भी उपयोग किया जा सकता है। वीज़ा/मास्टरकार्ड जैसी अन्य अंतरराष्ट्रीय सेवाओं की तुलना में इन कार्डों में कम प्रोसेसिंग शुल्क लगता है और प्रोसेसिंग तेज़ गति से होती है तथा कमीशन भी कम है। भारत में इसका व्यापक रूप से एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपयोग किया जाता है। देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनपीसीआई

की स्थापना हुई जिसके द्वारा रुपे कार्ड की पहल की गई। इसे भारतीय भुगतान प्रणाली में वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसे विदेशी गेटवे के एकाधिकार को कम करने के लिए उतारा गया था। रुपे सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय 'मेड इन इंडिया' भुगतान प्रणाली और डेबिट कार्ड को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थे। भारत के राष्ट्रपति ने मई 2014 में रुपे कार्ड राष्ट्र को समर्पित किया था।

भारत सरकार और आरबीआई ने देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से वंचित लाखों लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए यह पहल की। पिछले साल 31 दिसंबर तक, देश भर के विभिन्न बैंकों से भारतीय ग्राहकों को 68 करोड़ से अधिक रुपे कार्ड जारी किए गए हैं और इन 68 करोड़ में से लगभग 31 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खाताधारकों को जारी किए गए हैं। जन-धन योजना के तहत उपयोग और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रुपे का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने से बाज़ार में इसकी हिस्सेदारी बढ़ी है। हालांकि, रुपे द्वारा जारी किए गए कार्डों की संख्या भले ही अधिक है लेकिन रुपे अभी भी बाज़ार में लेनदेन की मात्रा और मूल्य में अपने अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में बौना ही है। वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसे स्थापित कार्ड नेटवर्क जो अब तक कार्ड दुनिया का नेतृत्व कर रहे थे, उनके लिए भारत जैसे विशाल बाजार में रुपे कार्ड में वृद्धि एक चुनौती के समान ही है। दोनों कार्ड नेटवर्क इस बात से परेशान हैं कि भारत सरकार रुपे कार्ड के उपयोग को बढ़ावा दे रही है और इसके ग्राहकों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। दरअसल, वीज़ा आईएनसी द्वारा अमरीकी सरकार को शिकायत की गयी थी कि भारत सरकार द्वारा रुपे को बढ़ावा देने से देश में वीज़ा की संभावनाओं को नुकसान हो रहा है। साथ ही, यह मुद्दा 2018 में मास्टरकार्ड द्वारा भी उठाया गया था। मास्टरकार्ड ने कहा कि संरक्षणवादी उपाय वैश्विक प्लेयरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड में क्या अंतर है

क्या आपने कभी गौर किया है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर रुपे कार्ड या वीज़ा या मास्टर कार्ड लिखा होता है, भले ही हमने कार्ड किसी भी बैंक से लिया हो। ऐसा क्यों है, उनमें क्या अंतर है, रुपे कार्ड का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं आदि प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं। मास्टरकार्ड, वीज़ा और रुपे के बीच यह अंतर हैं कि वीज़ा द्वारा 1958 में शुरू की गई यह पहली वित्तीय सेवा है तथा मास्टरकार्ड की स्थापना 1966 में हुई थी। जबकि, रुपे को 2014 में लॉन्च किया गया था। रुपे कार्ड भारत के अलावा कुछेक देशों में ही स्वीकार किया जाता है जबकि, वीज़ा और मास्टरकार्ड दुनिया के लगभग सभी में देशों में स्वीकार किए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों नेटवर्क लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं।

रुपे मुद्रा डेबिट कार्ड

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण के लाभार्थी रुपे मुद्रा कार्ड के लिए पात्र हैं। मुद्रा कार्ड का उपयोग विविध आहरण करने और कार्यशील पूंजी सीमा को कुशल और उत्पादक तरीके से प्रबंधित करने तथा क्रेडिट प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। कार्डधारक खरीदारी के समय विशेष मर्चेंट ऑफरों का भी लाभ उठा सकते हैं।

रुपे किसान क्रेडिट कार्ड

कृषि क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा की गई पहल के अंतर्गत रुपे किसान क्रेडिट कार्ड उन किसानों को प्रदान किया जाता है जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत खाता है।

मास्टरकार्ड, वीज़ा और रुपे की तुलना		
विशेषताएँ	रुपे	वीज़ा और मास्टर कार्ड
दायरा	रुपे कार्ड एक भारतीय घरेलू डेबिट कार्ड है।	वीज़ा या मास्टर कार्ड एक अंतरर्राष्ट्रीय प्रणालीगत डेबिट कार्ड है।
प्रोसेसिंग शुल्क	रुपे का प्रत्येक लेनदेन भारत में होता है, इसलिए बैंकों को भुगतान गेटवे पर कम सेवा शुल्क देना पडता है। घरेलू कार्डों पर लगभग 23 प्रतिशत कम प्रोसेसिंग शुल्क लगता है।	वीज़ा, मास्टरकार्ड के प्रत्येक लेनदेन का प्रोसेसिंग भारत के बाहर होता है, इसलिए बैंकों को भुगतान गेटवे पर अधिक सेवा शुल्क देना होता है।
प्रोसेसिंग गति	रुपे कार्ड का डेटा प्रोसेसिंग और सत्यापन भारत में होता है इसलिए इसकी प्रोसेसिंग तेज गति से होती है।	वीज़ा या मास्टर कार्ड एक अमरिकी कंपनी है और जब हम इसके कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोसेसिंग और सत्यापन के लिए डेटा कंपनी के सर्वर पर चला जाता है, जिससे प्रोसेसिंग की गति कम हो जाती है।
नेटवर्क शुल्क	रुपे कार्ड भुगतान नेटवर्क में शामिल होने के लिए तिमाही शुल्क का भुगतान नही करना होता है। कोई भी बैंक रुपे नेटवर्क से बिना किसी शुल्क के जुड़ सकता है।	बैंकों को वीज़ा डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड जैसे विदेशी भुगतान नेटवर्क में शामिल होने के लिए तिमाही शुल्क का भुगतान करना होता है।
कार्ड प्रकार	रुपे कार्ड का उपयोग करने की कुछ सीमाएं हैं क्योंकि यह ऑनलाइन लेनदेन के लिए केवल डेबिट कार्ड प्रदान करता है।	वीज़ा या मास्टर कार्ड डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों प्रदान करता है।
डेटा सुरक्षितता	अंतरराष्ट्रीय कार्ड की तुलना में, रुपे कार्ड अधिक सुरक्षित हैं क्योंकि इसका संचालन केवल भारत के भीतर ही सीमित है। इसलिए, डेटा केवल राष्ट्रीय गेटवे के बीच साझा किया जाता है।	वीज़ा डेबिट कार्ड या मास्टरकार्ड का उपयोग करके, ग्राहक के डेटा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधित किया जाता है और इसलिए डेटा की चोरी का जोखिम अधिक होता है।
ज्वाइनिंग शुल्क	रुपे कार्ड के मामले में बैंकों को अंतरराष्ट्रीय कार्ड से संबन्धित अपने नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है यानी बैंकों के लिए कोई ज्वाइनिंग शुल्क नहीं है।	अंतरराष्ट्रीय कार्ड के मामले में, बैंकों को नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।
बैंक नेटवर्क	रुपे कार्ड सार्वजनिक क्षेत्र, चुनिंदा निजी बैंकों, ग्रामीण और सहकारी बैंकों द्वारा जारी किया जाता है।	अंतरराष्ट्रीय कार्ड ऐसे छोटे बैंकों को अपने नेटवर्क में शामिल नहीं करते है
बीमा कवर	भारत सरकार दुर्घटना बीमा प्रदान करती है।	किसी प्रकार का बीमा उपलब्ध नहीं है।

जन-धन योजना से रुपे को लाभ

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत, सरकार नए खाताधारकों को केवल रुपे डेबिट कार्ड जारी करती है। डेबिट कार्ड बाजार में अपनी उचित हिस्सेदारी बनाने के मामले में रुपे के लिए यह बहुत बड़ा कदम है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत अब तक 31.74 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यह भारत में जारी किए गए 90 करोड़ डेबिट कार्डों का 34.5 प्रतिशत हिस्सा है।

सरकार का समर्थन

वीज़ा आईएनसी ने यह भी शिकायत की थी कि उसके व्यवसायों के लिए जोखिम कारकों में से एक कारक, विभिन्न देशों की सरकारों के दायित्व और / या अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों पर प्रतिबंध हैं जो उन्हें कुछ देशों में कार्ड सेवा प्रदाताओं के विरूद्ध प्रतिस्पर्धा करने से रोक सकते हैं, जिसमें चीन, भारत और रूस जैसे महत्वपूर्ण भी शामिल हैं। लेकिन भारत सरकार घरेलू कार्ड नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से रुपे के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

लागत की दृष्टि से लाभ

रुपे, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा जीरो-एमडीआर मानदंड के तहत आता है, यानी इन नेटवर्क पर लेनदेन के लिए व्यापारियों से कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, रुपे बनाम वैश्विक नेटवर्क का उपयोग करते समय बैंकों के लिए परिचालन लागत कम होती है। मास्टरकार्ड और वीज़ा कार्ड जारी करने वाले बैंक अपने नेटवर्क के लिए त्रैमासिक शुल्क का भुगतान करते हैं। लेकिन रुपे को बैंकों को इस शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है, जिससे ग्राहकों को कोई प्रोसेसिंग या लेनदेन शुल्क नहीं देना पड़ता है।

आगे की राह

वीज़ा और मास्टरकार्ड आमतौर पर प्रीमियम ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं, जबकि रुपे पहली बार बने उपभोक्ताओं को सेवा दे रहा है। लेकिन अब रुपे भी अधिक व्यय करने वाले प्रीमियम ग्राहकों की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। भविष्य में रुपे अपने मौजूदा ग्राहकों को समय के साथ अपने प्रीमियम उत्पादों का उपयोग करने में अधिक सफल हो सकता है।

क्या रुपे क्रेडिट क्षेत्र में भी वीज़ा और मास्टरकार्ड के लिए एक बड़ा खतरा होगा?

भारत का क्रेडिट बाजार तुलनात्मक रूप से छोटा है लेकिन यह खुला और प्रतिस्पर्धी बाज़ार है। अगले कुछ वर्षों में इसके 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है । इसका मतलब है कि सभी प्रतिस्पर्धियों को उनके उत्पादों के आधार पर बाजार में उचित हिस्सा मिल सकता है। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने वीज़ा और मास्टरकार्ड के संचालन पर रोक लगाई है, जिससे रूस के लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन प्रतिबंधों ने घरेलू भुगतान प्रणालियों के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया है।

रूस में, वीज़ा और मास्टरकार्ड के पास देश के कुल कार्डों का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा था तथा उनके कुल राजस्व का 4 प्रतिशत हिस्सा था। भारत में कार्ड बाजार में वीज़ा कार्ड का 44% हिस्सा है और मास्टरकार्ड का कुल बाजार हिस्सेदारी का 36% हिस्सा है लेकिन अब स्वदेशी रुपे कार्ड के चलन से इसमें गिरावट की संभावना आएगी । साथ ही भारत में बैंकों को व्यापारियों और ग्राहकों को सब्सिडी प्रदान कर कार्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः हम कह सकते है कि रुपे कार्ड दुनिया के उन्नत लेनदेन प्रसंस्करण कार्डों के लिए एक प्रतिद्वंदी बनकर उभरा है। आने वाले समय में अपने उत्पाद, नेटवर्क, आवश्यकता और अवसर मिलने पर अवश्यंभावी यह विदेशों में भी अपने पैर जमाने में कामयाब होगा। साथ ही भारत में भी बैंकिंग और कार्ड

प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक ले जाने में सुलभता होगी। रूस आर्थिक प्रतिबंधों के कारण भुगतान प्रणाली की समस्या और बदलती हुई वैश्विक गतिविधियों को देखते हुये वह दिन दूर नहीं होगा जब विश्व पटल पर अन्य कार्डों की तुलना में रुपे कार्ड अपनी गहरी पैठ स्थापित करने में सफल होगा।

***

*[**अस्वीकरण:** लेख में व्यक्त विचार पूरी तरह से लेखकों के हैं और वे उस संगठन को नहीं दर्शाते हैं जिससे वे सम्बंधित हैं।]*

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का कार्डधारकों को अपने कार्ड्स का टोकनाइज़ेशन कराने हेतु प्रोत्साहन

कार्डधारकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने आदेश दिया है कि 1 अक्तूबर 2022 से कार्ड नेटवर्क्स तथा कार्ड जारीकर्ताओं को छोड़कर, कोई दूसरी इकाइयां कार्ड डेटा जैसे कि कार्ड नंबर, कार्ड के एक्सपायरी की तिथि आदि (कार्ड ऑन फाइल या CoF) को स्टोर नहीं कर सकती हैं। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्डधारकों को कोई असुविधा न हो, आरबीआई ने CoF टोकनाइज़ेशन पेश किया है। टोकनाइज़ेशन इसलिए किया जाता है ताकि कार्डधारक को प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर कार्ड के विवरण न भरने पड़ें, साथ ही, मर्चेन्ट कार्ड के विवरण को स्टोर या उनका इस्तेमाल न कर सके, जिसके फलस्वरूप कार्ड के विवरणों के खोने की संभावना तथा उससे जुड़े दुरुपयोग से बचा जा सकता है। टोकन का इस्तेमाल कार्ड ट्रांजेक्शन्स की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाता है तथा यह कार्डधारकों के हित में है।

टोकनाइज़ेशन या कार्ड–ऑन फाइल (CoF) टोकनाइज़ेशन क्या है?

1. टोकनाइज़ेशन (या CoF टोकनाइज़ेशन) कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है।
2. टोकनाइज़ेशन डेबिट या क्रेडिट कार्ड के विवरण को एक अनोखे वैकल्पिक कोड, जिसे **''टोकन''** कहते हैं, से बदलने की प्रक्रिया है।
3. टोकनाइज़ेशन केवल ऑनलाइन/ई–कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के लिए विनिर्धारित किया गया है और यह आमने–सामने या पॉइन्ट ऑफ सेल (POS) ट्रांजेक्शन्स के लिए नहीं है।
4. टोकनाइज़ेशन प्रत्येक कार्ड के लिए ऑनलाइन/ई–कॉमर्स मर्चेन्ट के यहां केवल एक बार ही करने की ज़रूरत है। कार्ड विशेष तथा ऑनलाइन/ई–कॉमर्स मर्चेन्ट विशेष के लिए प्रत्येक टोकन अलग होता है। कार्डधारक किसी कार्ड का अनगिनत ऑनलाइन/ ई–कॉमर्स मर्चेन्ट्स के साथ टोकनाइज़ेशन करा सकता है।
5. किसी टोकन का इस्तेमाल उसी मर्चेन्ट को भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए उसे बनाया गया हो, न कि किसी और मर्चेन्ट को भुगतान करने के लिए।
6. एक बार टोकन बनाने के बाद, कार्डधारक को भविष्य के ट्रांजेक्शन्स के लिए टोकन का विवरण एंटर करने या याद रखने की जरूरत नहीं। टोकनाइज़्ड कार्ड की पहचान के लिए, चेकआउट प्रक्रिया के दौरान कार्ड के अंतिम चार अंकों को डिस्प्ले/प्रदर्शित किया जाएगा।
7. कार्डधारक अपनी इच्छानुसार अपने टोकन्स के रजिस्ट्रेशन को समाप्त भी कर सकते हैं।

किसी कार्ड का टोकनाइज़ेशन कैसे करें?

1. टोकनाइज़ेशन का विकल्प चुनने के लिए कार्डधारक को मर्चेन्ट वेबसाइट एप्लिकेशन पर वन–टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा।
2. रजिस्टर करने के लिए कार्डधारक को अपने कार्ड का विवरण भरना होगा तथा सहमति देनी होगी। कार्ड जारीकर्ता प्रमाणीकरण के अतिरिक्त घटक जैसे कि OTP के ज़रिए इस सहमति को मान्य करेगा।

कार्डधारकों को एक सुरक्षित, संरक्षित, बाधारहित तथा सुविधाजनक अनुभव पाने के लिए अपने कार्ड्स का टोकनाइज़ेशन कराने की सलाह दी जाती है।

इस परामर्शिका (एडवाइज़री) को आरबीआई द्वारा केवल सूचनार्थ तथा सामान्य मार्गदर्शन के लिए जारी किया गया है। किसी स्पष्टीकरण या व्याख्या के लिए, आरबीआई द्वारा जारी संबंधित परिपत्रों तथा अधिसूचनाओं की मदद ली जा सकती है।

बैड बैंक अर्थात नैशनल असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी

- राजेश कुमार कातुलकर
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

वित्त और वाणिज्य जगत ही नहीं बल्कि सामान्य बोलचाल में भी 'बैड' शब्द कभी अच्छा नहीं माना जाता है। सभी जानते हैं कि अँग्रेजी शब्द *बैड* का अर्थ नकारात्मक भाव से लिया जाता है। मसलन *बैड लोन*, *बैड डेट*, *बैड फेज़*, *बैड रेट* इत्यादि। लेकिन हाल ही में *बैड बैंक* शब्द का प्रयोग नकारात्मक भाव से नहीं बल्कि किसी नयी योजना के लागू करने की प्रत्याशा में किया जा रहा है। इस नाम को लेकर सभी के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे जैसे- क्या है ये बैड बैंक (Bad Bank)? इसकी क्या जरूरत है? यह कैसे काम करेगा? क्या उद्योग जगत को इसका कोई लाभ मिल पाएगा? आइये, हम इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं।

नैशनल असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी (एनएआरसीएल) यानी तथाकथित बैड बैंक जिसे अनर्जक आस्तियों (एनपीए) या खराब लोन वाले उधार दाताओं (कपनियों) को मजबूत करने तथा समग्र रूप से मदद करने के लिए तैयार किया गया है। 15 सितंबर, 2021 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत नैशनल असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी (एनएआरसीएल) यानी तथाकथित बैड बैंक द्वारा जारी की जानेवाली प्रतिभूतियों के लिए 30,600 करोड़ रुपये की बैकस्टॉप* सुविधा का अनुमोदन किया गया। इस नयी संरचना में एनएआरसीएल वाणिज्यिक बैंकों की बहियों से दो लाख करोड़ रुपयों के ऋण अधिगृहीत कर लेगा। सबसे पहले देखते हैं, बैड बैंक और खासकर एनएआरसीएल किसे कहते हैं। बैड बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो बैंकों से अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को अधिगृहीत करगी तथा उनका समाधान करेगी। जो बैंक अपनी अनर्जक आस्तियां बैड बैंक को बेच देंगे, वे खराब ऋणों के भार से मुक्त हो जाएंगे तथा इसके पश्चात वे उधार चाहने वाले उधारकर्ताओं को नए ऋण अग्रिम देने के साथ ही अपने कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान दे पाएंगे। स्वच्छ तुलन पत्र से, जरूरत पड़ने पर उधारदाताओं को नयी पूंजी उठाने में अपेक्षाकृत आसानी होगी। एनएआरसीएल नामक कंपनी, उधारदाताओं द्वारा ही बनाई जा रही है तथा इसकी 51 प्रतिशत स्वामित्व भागीदारी सरकारी बैंकों द्वारा वहन की जाएगी। इन सरकारी बैंकों द्वारा प्रथम चरण में लगभग 90,000 करोड़ रुपये की पूर्णतः प्रावधानीकृत अनर्जक आस्तियां अधिग्रहीत कर लेना प्रस्तावित है। चूंकि बड़े आकार और खराब ऋणों का समाधान करना ध्यान में रखा गया है अतएव अधिग्रहीत की जाने वाली प्रत्येक अनर्जक आस्ति का न्यूनतम आकार 500 करोड़ रुपये होगा। एनएआरसीएल का दीर्घकालिक लक्ष्य दो लाख करोड़ रुपये वाली अनर्जक आस्तियों का समाधान करने में मदद करना है, दूसरे चरण में शेष आस्तियों को निम्न प्रावधानों के साथ अंतरित किया जाना अपेक्षित है।

कैसे परिचालित होगा एनएआरसीएल

बैड बैंक किसी अनर्जक आस्ति (एनपीए) के उधारदाता समूह के लीड बैंक को एक प्रस्ताव (ऑफर) देकर आस्ति अधिगृहीत करेगा। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के अनुसार, एनएआरसीएल बैंकों को उनके मूल्यांकन के आधार पर 15% नकद

भुगतान करेगा तथा शेष राशि को प्रतिभूति प्राप्तियों के द्वारा प्रदान किया जाएगा। बदले में, इन प्राप्तियों को सरकार द्वारा 30,000 करोड़ रुपये की बैकस्टॉप सुविधा द्वारा गारंटीकृत किया जाएगा। एनआरसीएल की सहायता के लिए सरकारी और निजी बैंक- दोनों एक इंडिया डेट रिज़ोल्यूशन कंपनी (आईडीआरसीएल) यानी भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड) तैयार करेंगे जो अधिगृहीत आस्तियों का प्रबंधन तथा उनके अंतिम रिज़ोल्यूशन या समाधान प्रक्रिया के लिए उनके मूल्य को सुधारने का प्रयास करेगी। साथ ही रिज़ोल्यूशन या समाधान पूरा हो जाने के बाद मूल्य की बची हुई 85% प्रतिभूति के रूप में धारित शेष, बैंकों को प्रदान कर दी जाएगी।

केंद्र सरकार यह बैकस्टॉप क्यों दे रही है?

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के विशाल पैमाने तथा व्यक्तिगत स्वरूपों को देखते हुये सरकार की ओर से दी जाने वाली बैकस्टॉप समाधान प्रक्रिया को विश्वसनीयता प्रदान करती है तथा एक आकस्मिक बफ़र प्रदान करती है। पाँच वर्ष तक वैध रहने वाली गारंटी, समाधान के समय उपयोग की जा सकती है अथवा यदि प्रतिभूति प्राप्तियों तथा वास्तविक उगाही के अंकित मूल्य में कोई कमी आती है तो उसे कवर करने के लिए तरलता रहेगी। केंद्र सरकार की गारंटी से इन प्राप्तियों की तरलता में वृद्धि होगी, जो कारोबार योग्य होंगी। साथ ही, आस्तियों का समूह बनेगा। बहुत संभावना है कि अनेक मामलों में मूल्य की उगाही अधिग्रहण की लागत से अधिक हो जाएगी, अतएव गारंटी पर जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी।

बैंकिंग जगत के लिए भविष्य की दिशा क्या है?

सरकार अपेक्षा करती है कि पर्याप्त पूंजी और अपनी गारंटी के साथ दो संस्थाएं यथा एनएआरसीएल तथा आईडीआरसीएल का निर्माण करने से दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की त्वरित कार्रवाई को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे उनका बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इन दबावग्रस्त आस्तियों और प्रतिभूति प्राप्तियों के धारक बैंक सफल समाधान प्रक्रिया के लाभ प्राप्त करेंगे। समाधान में विलंब को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि एनएआरसीएल केंद्र सरकार को एक गारंटीकृत शुल्क दे, जो कि समय के साथ बढ़ता रहेगा। तथापि बैड बैंक अवधारणा के आलोचकों का दावा है कि अनर्जक आस्तियों का कुछ हिस्सा सरकार द्वारा गारंटीकृत करने से बैंकरों द्वारा जोखिम आकलन करने में ढिलाई आ जाएगी और इस प्रकार नए खराब ऋण बनने लगेंगे। एक अन्य मत लिया जाए तो इस संदर्भ में "बैड बैंक रिजोल्यूशन्स एन्ड बैंक लैंडिंग" विषय पर इन्टरनेशनल बैंक ऑफ सैटलमेंट के एक वर्किंग पेपर में यह पाया गया है कि बैड बैंक विभाज्यिकरण, तुलन पत्र साफ-सुथरी करने में प्रभावी होते हैं तथा बैंक की देनदारी को तभी बढ़ावा मिलता है यदि आस्ति विभाज्यिकरण के साथ पुन: पूंजीकरण को भी सम्मिलित किया जाए। उक्त अध्ययन में वर्ष 2000 से 2016 के दौरान 15 यूरोपीय बैंकिंग प्रणालियों में से 135 बैंकों को कवर किया गया है तथा इस अध्ययन में यह अवलोकन किया गया है कि कहीं भी सिर्फ पुन:पूंजीकरण या सिर्फ आस्ति विभाज्यिकरण का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इससे उधार को प्रोत्साहन मिलेगा और भविष्य में अनर्जक आस्तियां घटेगी।

दिवालिया हो चुके बैंकों को उबारना चाहिए या उन्हें डूबने दिया जाए?

एक प्रश्न पैदा होता है कि बैंकों को ऋण से उबारने की क्या जरूरत है? क्यों न बैंकों को खुद ही अपनी हानियों को पहचानने दिया जाए और दिवालिया हो चुके बैंकों को डूबने दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सी. पी. चन्द्रशेखर के अनुसार, बैंकों को उबारने के दो मुख्य कारण हैं- पहला, इसमें जमाकर्ता शामिल होते हैं। यदि बैंकों को डूब जाने दिया गया तो वे जमाकर्ता, जो इस भरोसे विनियामक फ्रेमवर्क के अधीन अपेक्षा कर रहे थे कि उनके धन की रक्षा की जाएगी, उस विनियामक फ्रेमवर्क का भरोसा क्षीण हो जाएगा। ऐतिहासिक तौर पर हमने देखा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों को उबारकर या बड़े बैंकों के साथ समामेलित कर उन्हें डूबने से बचाया जाता है ताकि जमाकर्ता के हितों की रक्षा हो सके। दूसरा- एक प्रणालीगत समस्या खड़ी हो जाती है। यदि बैंक डूबते हैं तो इससे एक प्रकार का संक्रामक प्रभाव उत्पन्न होता है और प्रणालीगत समस्याएँ आ जाती हैं। बैंक, निपटान प्रणाली और ऋण प्रवाह के मुख्य स्तंभ हैं और उन्हें गिर जाने देना एक समस्या खड़ी करेगा। अंत में बैंकों को खराब

आस्तियां को बट्टे खाते में डालने देना भी एक पर्याय है तथा फिर सरकार उन्हें पुनर्पूंजीकरण कर सकती है। लेकिन इससे सरकार के वित्त को बहुत बड़ा आघात पहुँचेगा। कोई यह प्रश्न पूछ सकता है कि इससे बैंक अधिक उदासीन या लापरवाह नहीं हो जाएंगे? इसके लिए आपको प्रणाली (सिस्टम) के जोखिम और बैंकों को उबारने के आदर्शवादी संकट के जोखिम की तुलना करनी होगी। सबसे बड़ी समस्या प्रणालीगत जोखिम की है। दूसरा, यहाँ पर अधिकांशतः बैंक सरकारी स्वामित्व में होते हैं, अतः किन्हीं अर्थों में समस्या, सरकार द्वारा बैंकों को निश्चित प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की स्वीकृति का परिणाम होती है।

बैंको को सीधे पूंजी प्रदाय भी की जा सकती है, बैड-बैंक के माध्यम से ही क्यों?

इस पर प्रोफेसर चंद्रशेखर की राय है कि- हमें इसे बैंकों में लंबी अवधि में बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुए खराब ऋण से निबटने के विभिन्न प्रविधियों के संदर्भ में देखना होगा। पहले हमारे पास लोक अदालतें थी, फिर ऋण वसूली ट्रायब्यूनल, फिर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 अर्थात सरफेसी (SARFAESI) एक्ट, जो ऋणदाताओं को ऋण वसूली के लिए अधिक शक्तियाँ प्रदान करता है। उसके बाद हमारे पास दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी कोड) आया। इसमें यह अभिभूत था कि आईबीसी शीघ्र समाधान देगा और बैंकों को जो हेयरकट यानि मार्जिन लेना होगा वह अपेक्षाकृत छोटा होगा। यदि मार्जिन (हेयरकट) बड़े हों तो इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकेगा। जब आईबीसी प्रारम्भ हुआ था तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि वसूली की बहुत उच्च दर मिलने वाली है। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, वसूली की दर तेज़ी से घटती गयी। तो कहना यह है कि बैड बैंक प्रविधि को अपनाने से सरकार को यह लगता है कि वह इस विरोधाभास से पार पा लेगी।

भारत में पहले से ही अनेक निजी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ हैं, तब इस सरकारी कंपनी की क्या आवश्यकता है?

आदित्य बिड़ला समूह के प्रमुख अर्थशास्त्री अजित रानाडे के अनुसार, एनएआरसीएल एक आस्ति समाधान का मंच प्रदान कर रहा है जो कि बैंकों द्वारा बैंकों के लिए होगा। करीब 28 निजी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ रही हैं जिनकी कार्यक्षमता ठीक नहीं थी। बैड-बैंक के तहत आस्ति अधिग्रहण तथा संरक्षकत्व को आस्ति समाधान से पृथक कर दिया गया है। वहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर का मत है कि सरकार दो लाख करोड़ रुपये में से लगभग 30,600 करोड़ रुपये को कवर करने की स्थिति में है। इसका मतलब है कि आप उस स्थिति में है जहां बैंकों पर बोझ बना रहेगा और वे अपनी लाभप्रदता में चोट खाते रहेंगे। दूसरी ओर, यदि आप चूककर्ताओं को देखें तो उनमें से बड़ी संख्या में बड़े कारोबारी हैं जो अपने बड़े ऋणों को बहुत भारी डिस्काउंट पर समाधान प्राप्त कर इस उधारी से मुक्त हो जाएंगे। इससे हो सकता है कि बैंकों को नयी हानियाँ नहीं उठानी पड़ेंगी, लेकिन उनकी हानियाँ तो विद्यमान रह जाएंगी, जबकि जिन्होंने चूक की, उनकी बड़ी संख्या में आस्तियां जब्त होने बच गयी। इसके विपरीत दूसरा तर्क यह दिया जा सकता है कि बड़े कारोबारी अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाएंगे। यदि वे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं जिसे सिद्ध किया जा चुका है, तो उसके लिए कार्रवाई करने की अलग प्रक्रिया है।

बैड बैंक के स्वामी भी वही बैंक हैं जो खराब ऋण के वाहक हैं

इस पक्ष पर अर्थशास्त्री रानाडे कहते हैं कि आईडीआरसीएल के लिए कर्मचारी, उनके वेतनमान आदि अलग होंगे। उदाहरण के लिए, जब भारतीय स्टेट बैंक एक आस्ति प्रबंधन कंपनी चलाता है, तो उसके कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों से अलग वेतनमान पर कार्य करते हैं। तो हमें बैंक स्टाफ, उनके वेतनमान, प्रतिभा आदि को देखना होगा जिससे फर्क पड़ेगा। अंतर यह है कि विद्यमान आस्ति प्रबंधन कंपनियों के मामले में मूल्य के लिए कोई गारंटी नहीं है जो प्रतिभूति प्राप्तियों से वसूली जाती है। नयी संरचना में औसत खरीद कीमत कम होगी, लेकिन मूल्य के शेषभाग के लिए प्रतिभूति प्राप्तियों को सरकार द्वारा 30,600 करोड़ रुपये तक कवर किया जाएगा। यही प्रोत्साहन में बदलाव लाता है। इस पहलू पर प्रोफेसर चंद्रशेखर का विचार है कि कुछ चीजों में स्पष्टता का अभाव है। पहला, वह छूट (डिस्काउंट) है जिसपर एनएआरसीएल तथा बैंकों के मध्य समझौता होना है।

एक बार खराब ऋण एनएआरसीएएल की बहियों में चढ़ जाएगा, उसे आईडीआरसीएल को दे दिया जाएगा। अब निजी आस्ति पुनर्निर्माण कंपननियों के मामले में होता आया है कि दोनों संस्थाएं अपने-अपने प्रबन्धकीय शुल्क प्रभार लगाएँगी। इस प्रकार इन आस्तियों के प्रबंधन और निपटान करने के लिए प्रभारित किया जाने वाला प्रबंधकीय शुल्क उनकी लागत का बड़ा हिस्सा बनेगा। इन खराब ऋणों पर कार्रवाई कर उन्हें निबटान करने के लिए मिलने वाले प्रोत्साहन की अधिकतम संभावित कीमत क्या होगी, यह स्पष्ट नहीं है।

क्या इसमें जड़ों तक फैली बैंकिंग समस्या का हल मिलेगा या यह भी एक मरहम है?

सच तो यह है कि पिछले कुछ वर्षों में अनर्जक आस्तियों के अनुपात का आकार बढ़ते ही जा रहा है। हमने इसके लिए विभिन्न उपाय किए हैं। अब हमें इस समस्या को व्यवस्थापन योग्य बनाना है। इस आशय से बैड बैंक समग्र अनर्जक आस्तियों का छोटा-सा हिस्सा ले रहा है। लेकिन अनर्जक आस्तियां बढ़ती ही रहेंगी। खराब ऋण कारोबारी चक्रों की एक कार्य प्रणाली है अर्थात जब कारोबार चक्र मंदा होता है तो अनर्जक आस्तियों का अनुपात बढ़ता है और जब कारोबार चक्र तेज़ होता है तो इनका अनुपात घटने लगता है। इसके पीछे मुख्य बात है- इसे व्यवस्थापन योग्य बनाए रखना। लेकिन यह सोच पर्याप्त नहीं है। एक दूसरे नज़रिए से देखें तो इसमें संरचनागत मुद्दा शामिल है। 1980 और 1990 के दशकों के विरुद्ध अब के समय में ऋण चूककर्ताओं का बड़ा हिस्सा कार्पोरेट (बड़ी कंपनियां) ऋण का है।

ऐसा क्यों हुआ? पहले के समय में पूंजी-प्रोत्साहन की परियोजनाओं के वित्तपोषण को सरकारी बजट या विकास वित्तपोषण में की विशिष्ट सरकारी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से किया जाने के रूप में देखा जाता था। एक मार्ग यह भी था कि इन निवेशों को सक्रिय बॉण्ड बाज़ार के माध्यम से दीर्घकालिक उपलब्ध पूंजी द्वारा वित्तपोषण किया जा सकता था। सरकार ने तय किया कि वह निवेशों का वित्तपोषण करने के लिए संसाधन नहीं जुटा सकती और फैसला किया कि वित्तीय संस्थाएं वाणिज्यिक बैंकों का निर्माण करें। अतएव इन निवेशों के वित्तपोषण करने का बोझ सरकार ने सरकारी बैंकों को हस्तांतरित कर दिया। और बैंक इतना सब करने की अवस्था में नहीं है क्योंकि बड़ी मात्रा में तरलता (नकदी) और परिपक्वता का बेमेल है। तो हमें यह समस्या पेश आयी क्योंकि बैंकों पर एक निश्चित किस्म के वित्तपोषण का बोझ डाल दिया गया, जिसे बैंकों को नहीं दिया जाना चाहिए था। आज यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि क्या बैड बैंक का ऋणों की वसूली वाला दृष्टिकोण विद्यमान योजनाओं से बहुत भिन्न होगा और यह भी कि इससे बेहतर समाधान या उगाही के परिणाम मिलेंगे।

***

क्रिप्टोकरेंसी : संकल्पनाएँ और स्थिति

- मीनू मंजरी
प्रबंधक, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

किसी भी केंद्रीय प्राधिकार को दरकिनार करके वित्तीय लेनदेन कर पाने की स्वतंत्रता ही आज क्रिप्टोकरेंसी का सबसे बड़ा आकर्षण लगता है। जैसा कि सबसे अधिक लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसियों में से एक, इथर, के सह-संस्थापक वितालिक ब्यूटेरिन ने कहा है- "जहाँ अधिकांश प्रौद्योगिकी परिधि पर के कामगारों के छोटे-मोटे कामों को ऑटोमेट करती हैं, वहीं ब्लॉकचेन केंद्र को ही ऑटोमेट करता है"।[1] ब्लॉकचेन वह प्रौद्योगिकी है जिसके आधार पर क्रिप्टोकरेंसी काम करती है।

आधार संकल्पना

क्रिप्टोकरेंसी और अन्य क्रिप्टो उत्पादों पर चर्चा करने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले इससे जुड़ी आधार संकल्पनाओं पर विचार किया जाए। क्रिप्टो शब्द ग्रीक 'kryptos' से आया है, जिसका अर्थ है 'छिपा हुआ या गुप्त'। क्रिप्टोकरेंसी को क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग करके एनकोड किया और सुरक्षित रखा जाता है। इसी प्रक्रिया से इसके नाम में क्रिप्टो शब्द आया है। क्रिप्टोग्राफी की तकनीकें डेटा वैल्यू को सुरक्षित फ़ारमैट में स्टोर और अंतरित करने के लिए उन्नत गणितीय कोड का प्रयोग करती है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस डेटा को केवल वही प्राप्त, पढ़ या प्रोसेस कर सकेंगे, जिनके लिए यह भेजा जा रहा है और साथ ही लेनदेन की सत्यता बनी रहेगी।[2] इस क्रम में क्रिप्टोकरेंसी की सरल परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी– "क्रिप्टोकरेंसी एक एनक्रिप्टेड डेटा स्ट्रिंग है, जो करेंसी के एक यूनिट का प्रतिनिधित्व करती है। इसे एक पीयर-टू-पीयर नेटवर्क, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, द्वारा नियोजित किया जाता है और निगरानी रखी जाती है। यह ब्लॉकचेन विभिन्न लेनदेन जैसे– खरीद, बिक्री, अंतरण आदि के लिए एक सुरक्षित लेज़र का भी काम करती है। भौतिक मुद्रा के विपरीत इसे किसी सरकार या वित्तीय प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जाता है। क्रिप्टोकरेंसी को किप्टोग्राफिक एल्गोरिथ्म द्वारा बनाया और सिक्योर किया जाता है, जिसका रखरखाव और पुष्टि 'माइनिंग' नाम की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें कम्प्यूटरों का एक नेटवर्क या विशिष्ट हार्डवेयर जैसे कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट (एएसआईसी) किसी भी लेनदेन को प्रोसेस और वैलिडेट करते हैं। "[3]

ब्लॉकचेन -प्रक्रिया और उपयोग

ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी का आधार है। यह एक संवितरित डेटाबेस है (जब इसपर लेनदेन रिकॉर्ड

---

[1] *वितालिक ब्यूटेरिन. https://lsc.org/gala/vitalik-buterin-1. Accessed 17-07-2022.*

[2] *क्रिप्टोग्राफी.pg.35.https://www.math.nyu.edu/~hausner/cryptography-pdf. Accessed 15-07-2022.*

[3] *क्रिप्टोकरेंसी.https:/trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/cryptocurrency. Accessed 15-07-2022.*

किया जाता है, तब इसे संवितरित या डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र कहते हैं) जो एक कंप्यूटर नेटवर्क के नोड्स में साझा रहती है। इसमें सूचना एनक्रिप्टेड स्वरूप में सुरक्षित और अपरिवर्तनीय रूप से छोटे ब्लॉक में जमा की जाती है। पहले के डेटाबेस में सूचना टेबल आदि रूप में जमा की जाती थी। ब्लॉकचेन का नवाचार यह था कि सूचना एक समूह में जमा की जाती है, जिसे ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक की एक पूर्वनिर्धारित क्षमता होती है, जिसके पूरे होने पर इसे बंद कर दिया जाता है और इससे पिछले ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है। इससे डेटा की एक चेन बन जाती है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। हर ब्लॉक को एक टाइमस्टैम्प दिया जाता है और एक बार डेटा जमा करने पर इसे बदला नहीं जा सकता। हर नए ब्लॉक को जोड़ने के लिए इस गैर-केंद्रीकृत नेटवर्क के बहुमत नोड्स की स्वीकृति चाहिए। इससे कोई एक नोड/व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी गलत लेनदेन को वैलिडेट नहीं कर पाते। (इसी प्रक्रिया के कारण ब्लॉकचेन (डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र) के उपयोग से क्रिप्टोकरेंसी के मामले में 'डबल स्पेंड (दोबारा खर्च)' की समस्या का निदान हो पाया।

नेटवर्क पर मौजूद हर नोड इस डेटा को एक्सेस करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसे बदलने के लिए नहीं। इस प्रकार यह एक पारदर्शी और विश्वसनीय प्रणाली बनाता है। यहाँ हमें यह याद रखना होगा कि हालांकि यह डेटा नेटवर्क पर सबके देखे जाने के लिए उपलब्ध है, इसके पीछे का नोड/व्यक्ति बेनामी होता है, क्योंकि यह लेनदेन एक एनक्रिप्टेड एड्रेस द्वारा किया जाता है।

ब्लॉकचेन के अन्य उपयोग

हालांकि ब्लॉकचेन का सबसे महत्वपूर्ण इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी में किया जाता है, लेकिन इस एनक्रिप्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र/डेटाबेस के और भी उपयोग हैं- जैसे कि डीसेंट्रलाइज्ड फ़ाइनेंस या डीफ़ाई, नॉन फंजीबल टोकन्स और स्मार्ट कांट्रैक्ट। इन सभी उपयोगों में डेटा अपरिवर्तनीय रूप में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र पर साझा किया हुआ होता है। जैसे कि एनएफ़टी एक एनक्रिप्टेड कोड है, जिसके पीछे कोई कलाकृति, कोई गीत, कोई भौतिक या डिजिटल आस्ति हो सकती है। जब एनएफ़टी की खरीद-बिक्री की जाती है, तब उस आस्ति को भौतिक रूप से खरीदने-बेचने की बजाय केवल उसके टोकन को खरीदा-बेचा जाता है। जैसे कि नायन कैट, जो एक लोकप्रिय जीआईएफ़ है, को क्रिप्टो आर्ट की तरह फाउंडेशन नाम के प्लेटफॉर्म से बेचा गया।

इसी तरह स्मार्ट कांट्रैक्ट एक ब्लॉकचेन पर दो नोड्स के बीच सीधा करार है, जिसमें एक पूर्वनिश्चित शर्त पूरी हो जाने पर करार का एक भाग पूरा हो जाता है। एक तरह से यह एक ऑटोमेटेड करार है, जिसकी शर्तें पूर्वनिर्धारित और अपरिवर्तनीय हैं। कई क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म जैसे इथेरियम और सोलानो स्मार्ट कांट्रैक्ट की सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

डीफ़ाई की अवधारणा में भी दो महत्वपूर्ण बातें हैं- लेनदेन का समय घटाना और मध्यस्थता खत्म करना। इसमें आपके लेनदेन किसी बैंक या अन्य मध्यस्थ द्वारा न होकर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने वाले किसी प्लेटफॉर्म पर होंगे। यदि आपके पास डिजिटल वॉलेट और इंटरनेट है तो आप कहीं से भी इस प्लेटफॉर्म पर लेनदेन कर सकते हैं, जैसे उधार देना, लेना या विनिमय करना। हालांकि डीफ़ाई पूरी तरह से बेनामी नहीं है। इसमें प्राधिकारियों को ऐक्सेस दिया जा सकता है। साथ ही, इसकी अपनी समस्याएँ भी हैं, जैसे कि इनका विनियमन कौन करेगा और इसकी वैधानिक स्थिति क्या है, आदि।

यहाँ यह रेखांकित किया जा सकता है कि भले ही डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग आज क्रिप्टोकरेंसी के लिए हो रहा है, इसके अन्य उपयोग भी हैं। अतः क्रिप्टोकरेंसी पर विनियामकों के कड़े रुख से, जरूरी नहीं है कि इस भविष्योनमुख तकनीक को नुकसान ही हो। यह और रूपों में इवॉल्व भी हो सकती है।

'डबल स्पेंड' समस्या

सरल शब्दों में कहें तो 'डबल स्पेंडिंग' का मतलब है, एक ही नोट को, एक ही समय में दो बार खर्च करना। ज़ाहिर है, भौतिक मुद्रा में यह संभव नहीं है, क्योंकि एक ही नोट या सिक्का एक बार में दो जगह नहीं हो सकता। डिजिटल बैंकिंग या वॉलेट लेनदेन में वित्तीय मध्यस्थ होने की वजह से एक ही मुद्रा का एक समय में दोबारा संव्यवहार नहीं हो सकता। लेकिन डिजिटल करेंसी के समक्ष यह समस्या बार-बार आ रही थी। बिना किसी विश्वसनीय प्राधिकारी के कौन यह तय करता कि एक ही डिजिटल कोड का डूप्लीकेशन और दोबारा खर्च नहीं होगा। बिटकॉयन में इस डबल स्पेंडिंग समस्या का समाधान डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र से किया गया, जिसमें प्रत्येक लेनदेन सभी के देखने के लिए उपलब्ध है और एक कॉनसेन्सस प्रणाली द्वारा ही किसी लेनदेन को वैलिडेट किया जा सकता है। बिटकॉयन ब्लॉकचेन में लेनदेन टाइमस्टैम्प्ड होता है और अपरिवर्तनीय भी। इस तरह पहले से उपलब्ध ब्लॉकचेन की अवधारणा का व्यवहार में प्रयोग करके बिटकॉयन को विश्वसनीयता दी गई।[4]

क्रिप्टोकरेंसी का संक्षिप्त इतिहास

क्रिप्टोकरेंसी का विचार सबसे पहले 1983 में अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर डेविड चॉम के कॉन्फ्रेंस पेपर में रखा गया था। इसमें केंद्रीकृत संस्थाओं (जैसे बैंक आदि) के बिना डिजिटल रूप में, ट्रेस न की जा सकने वाली करेंसी की बात की गई थी। इसके बाद 1995 में चॉम ने एक प्रोटोटाइप भी बनाया, जिसका नाम डिजीकैश था। फिर 1998 में निक साबो ने डिजीगोल्ड नाम की क्रिप्टोकरेंसी बनाई, जिसे बिटकॉयन का सीधा पूर्ववर्ती माना जाता है। इसमें भागीदार को क्रिप्टोग्राफिक पहेलियां सुलझाने के लिए कंप्यूटर पावर लगानी होती थी और सफल होने के लिए रिवार्ड दिया जाता था। लेकिन इसमें 'डबल स्पेंड' की समस्या बरकरार थी।

[4] *https://river.com/learn/how-bitcoin-solves-the-double-spend-problem. Accessed 15-07-2022.*

इसके एक दशक बाद 31 अक्तूबर, 2008 को सातोशी नाकोमोटो, एक बेनामी व्यक्ति/व्यक्तियों/संस्था, ने एक वाइट पेपर प्रकाशित किया– 'बिटकॉयन – अ पीयर टू पीयर एलेक्ट्रोनिक कैश सिस्टम'। सातोशी ने ब्लॉकचेन (डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र) तकनीक के प्रयोग से डबल स्पेंड की समस्या का निदान किया था। 03 जनवरी, 2009 को बिटकॉयन नेटवर्क का पहला ब्लॉक माइन किया गया, जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहा गया। इसमें 50 बिटकॉयन माइन किए गए और अगले एक वर्ष तक इसकी कीमत कुछ सेंट ही रही। इसके बाद फोर्ब्स में क्रिप्टो पर छपी एक खबर के बाद फरवरी 2011 में पहली बार इसकी कीमत एक डॉलर से ऊपर गई। इसके बाद ऑनलाइन ड्रग डीलिंग में इसके उपयोग से संबंधित खबरों के बाद इसकी कीमत में इजाफा हुआ, लेकिन अस्थिरता बनी रही। इसके बाद कई नई क्रिप्टोकरेंसी बाजार में आई, जिन्हें सामूहिक रूप से ऑल्टकॉयन कहा गया।

बिटकॉयन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है, 22 मई 2010, जब पहली बार किसी रियल-वर्ल्ड लेनदेन के लिए क्रिप्टो का प्रयोग किया गया। और खरीदा क्या गया? दो लार्ज पिज्जा। फ्लॉरिडा के एक प्रोग्रामर लाज़्लो हैनीएज ने 18 मई को एक बिटकॉयन फोरम पर लिखा कि वह बिटकॉयन से दो लार्ज पिज्जा खरीदना चाहता है, और जो भी उसके लिए इसका भुगतान कर देगा, उसे वह 10,000 बिटकॉयन देगा। कई दिन बाद 22 मई को जेरेमी स्टर्डीवेंट नाम के एक छात्र ने दो पिज्जा के लिए लगभग $40 देकर पिज्जा उसे डिलीवर करवा दिये और 10,000 बिटकॉयन ले लिये। आज इस राशि की कल्पना हमें बिटकॉयन की अनिश्चितता को ही बताती है।

जनवरी 2014 में एमटी गॉक्स, जो उस समय का सबसे बड़ा बिटकॉयन एक्सचेंज था, डूब गया और दिवालिया घोषित कर दिया गया। इसने 850,000 बिटकॉयन खो दिये थे। इस धोखाधड़ी की असली वजह और तरीका नहीं जाने जा सके। छोटे-छोटे

क्रिप्टो एक्सचेंज अब भी हैक होते रहते हैं। निवेशकों के लिए क्रिप्टोकरेंसी अपने डिजिटल वॉलेट में रखना अपेक्षाकृत सुरक्षित है।

जुलाई 2015 में इथेरियम के लांच होने से क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता बढ़ी। इथर, इथेरियम ब्लॉकचेन की अपनी करेंसी है। इसने क्रिप्टोकरेंसी में स्मार्ट कांट्रैक्ट की शुरुआत की और अपनी चेन पर और भी प्लेटफॉर्मों को काम करने की सुविधा भी दी। तब से अब तक क्रिप्टो का इतिहास संक्षेप में कहें तो अस्थिरता का रहा है। हालांकि नवंबर 2021 में बिटकॉयन अपने सबसे ऊंचे स्तर $69,000 पर पहुंच गया था, 2022 की शुरुआत से अबतक यह गिरता रहा है।

टीथर जैसे स्टेबलकॉयन के आने से क्रिप्टोकरेंसी का बाजार और भी बढ़ा है। स्टेबलकॉयन आमतौर पर डॉलर के साथ पेग्ड होते हैं। टीथर के लिए कहा गया कि यह अपनी पूरी आपूर्ति के लिए रिज़र्व भंडार द्वारा बैक किया गया है, लेकिन यह भी दावे किये जाते रहे हैं कि यह पूरी तरह से बैक्ड नहीं है और कभी भी इसका पूरा ऑडिट नहीं किया गया है। पूर्णतः अस्थिर होने के बाद भी आज ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $1.05 ट्रिलियन है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, 41.55 प्रतिशत पर, बिटकॉयन का है। इसके बाद इथेरियम और टीथर आते हैं।[5] हालांकि इसकी अस्थिरता की स्थिति यह है कि बाज़ार मूल्य के हिसाब से 2013 में टॉप टेन में रही क्रिप्टोकरेंसियों में से सात ही अब ऑपरेट कर रही हैं।[6]

स्टेबलकॉयन

बिटकॉयन और इथर आदि की अस्थिरता को देखते हुए तथाकथित स्टेबलकॉयन भी वर्चुअल बाज़ार में आये। ये ऐसी क्रिप्टोकरेंसी हैं जो किसी रिज़र्व आस्ति जैसे कि करेंसी (डॉलर या यूरो की तरह) या कमोडिटी (जैसे स्वर्ण) से जुड़ी होती है। इनकी कीमत किसी प्रमुख करेंसी, मुख्यतः अमेरिकी डॉलर से, 1:1 के अनुपात में पेग की गई होती है। चूंकि इनके पीछे कोई आस्ति होती है, सिद्धान्त रूप में इनके अस्थिर होने की संभावना कम होती है।

वर्तमान में लगभग 200 प्रकार के स्टेबलकॉयन उपलब्ध है, तथापि बाजार मूल्य के हिसाब से तीन प्रमुख स्टेबलकॉयन हैं- टीथर, यूएसडी कॉयन और बिनैन्स यूएसडी। निवेशक इन स्टेबलकॉयन में कीमतों में अचानक आनेवाले उतार-चढ़ाव से बचने के लिए निवेश करते है और कई डीफाई प्लेटफॉर्म लेनदेन के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ब्लॉक फाई और सेल्सियस अपने ग्राहकों कॉ उधार देने के लिए स्टेबलकॉयन का प्रयोग करते है। लेकिन वैश्विक रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के परिप्रेक्ष्य में स्टेबलकॉयन के मूल्य में भी कमी आई है। यानी कि बढ़ती अस्थिरता के दौर में जब निवेशक अधिक जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर पारंपरिक कम जोखिम वाले निवेश में लगाते हैं, तब स्टेबलकॉयन की स्थिरता भी प्रभावित हो जाती है।

क्रिप्टोकरेंसी की कार्यप्रणाली

क्रिप्टोकरेंसी अकेन्द्रीकृत है और पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करती है और इसके लेनदेन ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करते हुए इसके चेन पर सार्वजनिक लेज़र में रिकॉर्ड होते हैं। ये सभी प्रविष्टियाँ एनक्रिप्टेड होती हैं, इसलिए सभी के लिए उपलब्ध होते हुए भी इन्हें बदला या ओवरराइट नहीं किया जा सकता। साथ ही एक एनक्रिप्टेड एड्रेस, जिसे डिजिटल पहचान कह सकते हैं, से संव्यवहार किए जाने के कारण इसके पीछे के व्यक्ति/संस्था की पहचान बेनामी होती है। यह क्रिप्टो के सबसे बड़े आकर्षण में से एक है। साथ ही, जाली क्रिप्टोकरेंसी बनाना लगभग असंभव है। ऐसे किसी भी जाली लेनदेन को वैलिडेट करने के लिए ब्लॉकचेन के बहुमत नोड्स को 'सहमत' होना होगा, और फर्जी तौर पर ऐसा करने में इतना

---

[5] *https://coinmarketcap.com.Accessed 24-07-2022.*
[6] *https://www.thetimes.co.uk/money mentor/article/cryptocurrency-good-investment. Accessed 15-07-2022.*

समय और संसाधन लगेगा कि यह व्यावहारिक नहीं रह जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी की खरीद पर क्रेता को प्राइवेट 'की' मिलती है, जो एक कोड है, जिससे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर लेनदेन प्राधिकृत किए जा सकते है, ताकि फंड खर्च किए जा सकें।

नए बिटकॉयन 'माइनिंग' द्वारा बनाए जाते है। इसमें नोड्स (व्यक्ति/संस्थाएं) कम्प्यूटरों या विशिष्ट हार्डवेयर द्वारा कठिन गणितीय पज़ल सुलझाते हैं और रिवार्ड के रूप में बिटकॉयन पाते हैं। ये कोड क्रिप्टोग्राफ़ी द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं जिन्हें हैक करना बहुत कठिन है। हर चार वर्ष में माइन किए जा सकने वाले बिटकॉयन की संख्या आधी हो जाती है। जहां अधिकांश फिएट करेंसियां दशमलव के दो अंक तक विभाज्य होती हैं, जिसे कि 1 रुपया, 100 पैसे तक, वहीं क्रिप्टो की विभाज्यता बहुत अधिक है। जैसे कि बिटकॉयन की विभाज्यता दशमलव के आठ अंक तक है 0.00000001 बिटकॉयन को 'सातोशी' कहते है। इसी तरह इथर को दशमलव के 18 अंकों तक विभाजित किया जा सकता है। इसके सबसे छोटे यूनिट को एक क्रिप्टोग्राफर वेई डाई के नाम पर 'वेई' कहा जाता है। इस विभाज्यता के कारण क्रिप्टो के छोटे-छोटे यूनिट में निवेश करना संभव हो पाता है।

जो निवेशक क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हैं, वे उन्हें क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कॉयनबेस या बिनैन्स पर धारित कर सकते हैं और वहीं पर ट्रेड सकते हैं। लेकिन कई बार क्रिप्टो एक्सचेंज हैक हो जाते हैं और क्रिप्टो गंवा दिये जाते हैं। इसलिए क्रिप्टोकरेंसी को डिजिटल वॉलेट में डाउनलोड करके रखा जा सकता है। ये वॉलेट एक यूनीक क्रिप्टोग्राफिक एड्रेस सृजित करते हैं, जिससे लेनदेन किए जा सकते हैं। इंटरनेट से जुड़े वॉलेट 'हॉट' वॉलेट कहलाते हैं जबकि ऑफलाइन डिजिटल वॉलेट जैसे कि यूएसबी ड्राइव 'कोल्ड' वॉलेट कहलाते हैं। हालांकि ये वॉलेट हैकिंग और डिजिटल चोरी जैसे खतरों से बचते हैं, लेकिन इनके लिए जटिल पासवर्ड और 'सीड फ्रेज' रखना होता है, जिसे भूल जाने पर आपका एक्सेस सदा के लिए बंद हो जाता है।

क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य

क्रिप्टोकरेंसी अपना मूल्य कहाँ से प्राप्त करती है, यह जानने के लिए देखना होगा कि पारंपरिक मुद्रा, करेंसी या आस्तियों से यह किस प्रकार अलग है। करेंसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध भौतिक मुद्रा है। यह बैंकनोट या सिक्कों की शक्ल में होती है। मुद्रा (मनी) एक अप्रत्यक्ष अवधारणा है, यानी कि, बैंक में डिजिटल रिकॉर्ड में उपलब्ध मुद्रा भी मनी है; जबकि करेंसी उसका प्रत्यक्ष (टैंजिबल) रूप है। करेंसी हमेशा किसी केंद्रीय प्राधिकारी, सॉवरेन या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है। इसका या तो कोई अंतर्निहित मूल्य होता है (जैसे कि सोने या चांदी के सिक्कों में उसमें लगे सोने या चांदी का मूल्य) या फिर यह फिएट करेंसी होती है, यानी कि इसका मूल्य सामाजिक स्वीकार्यता और जारीकर्ता के प्रति विश्वास से निर्धारित होता है। साथ ही मुद्रा स्टोर ऑफ वैल्यू और विनिमय का माध्यम भी होती है। किसी देश की लेखा-इकाई भी वहाँ की मुद्रा होती है। यदि इस प्रकार पारंपरिक अर्थों में देखें तो क्रिप्टोकरेंसी अभी तक इनमें से कोई भी कार्य नहीं करता।

- इसका कोई अंतर्निहित वस्तु/मूल्य नहीं है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने फरवरी, 2022 की नीति बैठक के बाद प्रेस को बताया था- "उन्हें *(निवेशकों को)* यह भी जानना चाहिए कि इन क्रिप्टोकरेंसी की कोई अंडरलाइंग नहीं है, ट्यूलिप तक नहीं"।[7] वे स्पेकुलेशन के आधार पर क्रिप्टो में निवेश के प्रति निवेशकों को सजग करने के लिए इसकी तुलना ट्यूलिप के बल्ब (कंद) खरीदने के लिए 17वीं सदी के यूरोप में मची स्पेकुलेशन की आपाधापी से कर रहे थे, जब निवेशक बिना किसी

---

[7]*rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?id=1206.Accessed 15-07-2022.*

सतर्कता के, केवल दाम बढ़ने की उम्मीद पर एक खास तरह के ट्यूलिप बल्ब में अंधाधुंध निवेश करते जा रहे थे। यही कारण है कि एक कमोडिटी या आस्ति के रूप में क्रिप्टोकरेंसी को गंभीरतापूर्वक नहीं देखा जा सकता है और नहीं देखा जाना चाहिए।

- जहां तक इसकी विश्वसनीयता का सवाल है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र की वजह से इसके लेनदेन में पारदर्शिता तो है, लेकिन बिटकॉयन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के बेनामी होने की वजह से इस स्पेस में संदिग्ध लेनदेन की भरमार है। साथ ही इसकी विश्वसनीयता इसके अपने ब्लॉकचेन में ही है। फलस्वरूप अभी व्यापक तौर पर क्रिप्टो में विश्वास नहीं किया जा सकता।

- बिटकॉयन जैसी क्रिप्टोकरेंसी की अस्थिर दरों को देखते हुए इसे विनिमय के साधन के रूप में स्वीकारने से वित्तीय संस्थाओं को भारी एक्सचेंज रेट जोखिम का सामना करना होगा। इस जोखिम को तभी दूर किया जा सकता है जब कोई देश बिटकॉयन को करेंसी के रूप में मान्यता दे दे और लेनदेन में इसके विनिमय की आवश्यकता न हो। लेकिन यह संभावना बहुत कम है कि कोई वित्तीय रूप से विकसित देश इसे करेंसी के रूप में मान्यता दे, क्योंकि तब मुद्रा आपूर्ति पर उसका नियंत्रण नहीं रह जाएगा। बल्कि यही कारण है कि अधिकांश देश केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी लाने पर काम कर रहे हैं, न कि क्रिप्टोकरेंसी को स्वीकार्य बनाने पर।

यहाँ हम एल सल्वाडोर को उदाहरण की तरह देख सकते है। इस सेंट्रल अमेरिकी छोटे देश ने सितंबर 2021 में बिटकॉयन को लीगल टेंडर घोषित किया और सार्वजनिक धन से बिटकॉयन खरीदे। साथ ही, इसने एक नेशनल वर्चुअल वॉलेट 'चीवो' भी शुरू किया और सभी उपयोगकर्ताओं को $30 का प्रोत्साहन भी दिया ताकि वे लेनदेन में बिटकॉयन का प्रयोग करें। उम्मीद यह भी थी कि इस कदम के बाद क्रिप्टो तकनीक आधारित कंपनियाँ एल सल्वाडोर में निवेश करेंगी। लेकिन बिटकॉयन के नवंबर 2021 में $69,000 की दर से अब लगभग $20,000 पर आने के कारण 'कहा जाता है कि बिटकॉयन में एल सल्वाडोर सरकार के 100 मिलियन से अधिक के निवेश का मूल्य आधे से भी कम हो गया है'। [8]

जहां इस देश ने डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए बिटकॉयन को अपनाया था, वहीं बिटकॉयन की अस्थिरता ने विनिमय के माध्यम के रूप में इसे अलोकप्रिय बनाए रखा।

- **लेखा की इकाई** के रूप में भी बिटकॉयन जैसी क्रिप्टोकरेंसी का प्रयोग मुश्किल और अव्यवहारिक है। आज की स्थिति में जब इसका प्रयोग व्यापक तौर पर विनिमय के लिए नहीं हो रहा है और क्रेता तथा विक्रेता के पास इसकी स्वीकार्यता नहीं है, तो ऐसे में इसे लेखा की इकाई के रूप में नहीं लिया जा सकता। साथ ही इसकी अत्यधिक अस्थिरता के कारण किसी वस्तु का मूल्य बिटकॉयन में निर्धारित कर पाना कठिन होगा।

- **मूल्य के भंडार** (स्टोर ऑफ वैल्यू) के रूप में लंबी अवधि में बिटकॉयन जैसी क्रिप्टोकरेंसी ने अच्छे रिटर्न दिये हैं, लेकिन इसकी अनिश्चितता बनी हुई है। 2022 के आरंभ से ही बिटकॉयन की कीमतों में गिरावट आ रही है। कुछ वित्तीय विश्लेषकों ने इसे 'क्रिप्टो

---

[8] *एल सल्वाडोर बिटकॉयन बेट. www.thehindu.com. 22-06-2022.*

विंटर' का नाम दिया है।[9] यहां हमें यह भी देखना होगा कि पारंपरिक स्टोर ऑफ वैल्यू की कुछ उपयोगिता होती है जैसे कि स्वर्ण की स्कार्सिटी वैल्यू (दुर्लभता) या कलाकृतियों की एस्थेटिक वैल्यू। वहीं क्रिप्टो के मूल्य के पीछे मूलतः केवल स्पेकुलेशन की भावना है।

- एक और कारण है इसकी **स्कार्सिटी वैल्यू** होना। 'माइनिंग' जैसे शब्दों का प्रयोग इसे मनोवैज्ञानिक रूप से दुर्लभ धातुओं के समकक्ष रखने का प्रयास ही है। बिटकॉयन की कुल संख्या 21 मिलियन पर पूर्वनिर्धारित है। जनवरी 2022 तक इनमें से 18.9 मिलियन बिटकॉयन माइन किए जा चुके थे। लेकिन चूंकि बिटकॉयन को इस प्रकार प्रोग्राम किया गया है कि प्रत्येक 210,000 ब्लॉक के बाद प्रति ब्लॉक माइन किए जा सकने वाले कॉयन की संख्या आधी हो जाती है, तो 21 मिलियन की संख्या तक पहुंचने में कई वर्ष लग जाने की संभावना है। जब बिटकॉयन शुरू हुआ था तब प्रति ब्लॉक 50 नए बिटकॉयन जेनरेट किए जाते थे, लेकिन मई 2020 तक यह संख्या 6.25 हो गई थी। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जहां स्वर्ण की दुर्लभता नैसर्गिक है, बिटकॉयन या अन्य क्रिप्टो की स्कार्सिटी वैल्यू 'क्रिएटेड' है और इसलिए मूल्य के भंडार के रूप में भी इसका भविष्य अनिश्चित ही है।

क्रिप्टोकरेंसी के जोखिम

जहां क्रिप्टोकरेंसी के तथाकथित लाभ इसका तेज होना, अकेन्द्रीकृत रूप से बिना किसी मध्यस्थ पक्ष के और पहचान जाहिर किये बिना लेनदेन करना संभव हो पाना और लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न दे पाना है, वहीं इसके बहुपक्षीय जोखिम भी हैं, जिनपर चर्चा किया जाना आवश्यक है।

निवेशकर्ताओं के लिए जोखिम

क्रिप्टो का मूल्य बहुत ही अस्थिर है। तथाकथित स्टेबलकॉयंस के मूल्य की भी किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। यदि कंपनियां और अधिकांश निवेशक किसी अन्य क्रिप्टो की ओर आकर्षित हो जाते हैं तो मौजूदा क्रिप्टोकरेंसियों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। साथ ही, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर साइबर हमले होते ही रहते हैं, जिससे निवेशक अपना पूरा निवेश गंवा सकते हैं। क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार किसी वित्तीय विनियामक संस्था के अधीन नहीं है और इसमें किये गए निवेश को किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।

बैंकिंग प्रणाली के प्रति जोखिम

वित्तीय मध्यस्थता को समाप्त करना क्रिप्टोकरेंसी की मूल भावना और उद्देश्य रहे हैं। यदि भविष्य में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग बढ़ता है तो लोग अपना धन बैंक में जमाराशि रखने की बजाय डॉलर या यूरो में परिवर्तनीय क्रिप्टोकरेंसी में रखना चाहेंगे। साथ ही, यह निवेश बेनामी भी होगा। ऐसी स्थिति में बैंकों के पास क्रेडिट देने के लिए निधि उपलब्ध करना कठिन होगा। साथ ही, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से पीयर-टू-पीयर आधार पर दिए गए क्रेडिट पर कोई नियंत्रण भी नहीं होगा। ऐसे लेनदेन बढ़ाने से वित्तीय क्षेत्र में संदिग्ध लेनदेन बढ़ेंगे और कुल मिलाकर प्रणाली की विश्वसनीयता पर बहुत असर पड़ेगा।

केंद्रीय बैंकों/ विनियामकीय और संप्रभु संस्थाओं के प्रति जोखिम

बिटकॉयन के जनक सातोशी नाकोमोटो को 'इलेक्ट्रोनिक कैश का शुद्ध पीयर-टू-पीयर वर्जन' बताया है जो 'एक पार्टी से दूसरी तक ऑनलाइन भुगतान सीधे, बिना किसी वित्तीय संस्था को माध्यम

[9] *www.financialexpress.com/digital-currency/bitcoin-price-prediction-july-2022. Accessed 15-07-2022.*

बनाए बिना करना' संभव बनाता है।[10] परिभाषा से ही बिटकॉयन के दो मूल उद्देश्य दीखते हैं- पीयर-टू-पीयर होना और संस्थापित सस्थाओं/विनियामकों आदि से परे संव्यवहार करना। ऐसे में धनशोधन निवारण/आतंकवाद को वित्तपोषण (एएमएल/सीएफ़टी) नियमों के नियंत्रण से दूर रहना क्रिप्टोकरेंसी के लिए बहुत आसान है। यही कारण है कि विभिन्न प्रकार के आपराधिक/आतंकी/ ड्ग डीलिंग भुगतानों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के प्रयोग की आशंका है।

क्रिप्टोकरेंसी न तो केंद्रीय बैंक/सॉवरीन द्वारा जारी की जाती है, न ही इसके लेनदेन पर इनका नियंत्रण है। ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीतियों द्वारा अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव डालने की उम्मीद की जाती है, वह भी संभव नहीं हो पाएगी। भारत के संदर्भ में देखें तो क्रिप्टोकरेंसी किसी निजी करेंसी की तरह काम करेगी, जिसपर नीतिगत दरों के चढ़ने-उतरने का असर नहीं पड़ेगा। इससे मुद्रास्फीति को लक्षित करना, जो देश की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है, कठिन हो जाएगा। साथ ही, भारत के संदर्भ में देखें तो विदेशी मुद्रा संव्यवहार पर भी क्रिप्टोकरेंसी के प्रयोग से प्रतिकूल असर पड़ेगा।

यदि विदेशी मुद्रा अंतर्वाह और बहिर्वाह क्रिप्टो में होगा, तो देश से पूंजी प्रवाह पर कोई नियंत्रण नहीं रह सकेगा। साथ ही, विदेशी मुद्रा विनिमय दर की अस्थिरता भी बढ़ जाएगी। यदि डॉलर/ यूरो में परिवर्तनीय क्रिप्टो से बेनामी विदेशी लेनदेन संभव हो सकेंगे तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी प्रभाव पड़ेगा।

हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आमतौर पर क्रिप्टोकरेंसियां डॉलर (या यूरो आदि जैसी अन्य मुद्राओं) में मूल्य-निर्धारित होती हैं। इनका प्रयोग बढ़ाने से इन मजबूत मुद्राओं का उपयोग और बढ़ेगा ही। ऐसे में रुपये का उपयोग कम होगा और इसकी स्थिति कमजोर होगी। साथ ही, विकसित अर्थव्यवस्थाएँ क्रिप्टो संबंधी धोखाधड़ी/घोटालों/अपराध आदि का निराकरण करने में विधिक और राजनीतिक रूप से अधिक सक्षम हैं। भारत में अभी वैधानिक प्रावधान इतने मजबूत नहीं हैं कि क्रिप्टो संबंधी जटिल आर्थिक अपराधों का निराकरण कर सकें। फिर भी क्रिप्टोकरेंसी के सकारात्मक पहलुओं पर गौर करते हुए लगभग सभी प्रमुख केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं।

पर्यावरण के प्रति जोखिम

आज जब बैंकिंग क्षेत्र में 'ग्रीन बैंकिंग' की अवधारणा आ रही है और विभिन्न प्रणालियों को पर्यावरण-संवेदी बनाने पर काम किया जा रहा है, क्रिप्टोकरेंसी के कारण अत्यधिक ऊर्जा उपयोग हो रही है और इसके कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही हानिकारी हैं। कहा जाता है बिटकॉयन का कार्बन फुटप्रिंट न्यूज़ीलैंड के बराबर है और दोनों ही लगभग 37 मेगाटन कार्बन डाईऑक्साइड प्रति वर्ष वातावरण में छोड़ते हैं। हालांकि फिएट करेंसी को छापने, स्टोर करने और वितरित करने में भी ऊर्जा उपयोग होता है, लेकिन यह क्रिप्टो की तुलना में बहुत कम है।

उल्लेखनीय है कि क्रिप्टो माइनिंग दिनोंदिन और जटिल होती जाएगी और इसमें ऊर्जा का व्यय भी बढ़ता जाएगा। दिसंबर 2021 में सिर्फ एक इथेरियम लेनदेन का कार्बन फुटप्रिंट 102.38 किलोग्राम था, जो 226,910 वीसा लेनदेन या 17,063 घंटे यूट्यूब देखने के बराबर है। एक इथेरियम लेनदेन का विद्युत ऊर्जा उपयोग एक औसत अमेरिकी घर के लगभग 8 दिन के ऊर्जा उपयोग के बराबर है।[11] इसी तरह नॉन फंजीबल टोकन बनाने, बेचने में भी अतिशय ऊर्जा खर्च होती है। कहना न होगा कि क्रिप्टो क्षेत्र पर्यावरण के लिए बहुत गैर जवाबदेह रहा है।

[10] बिटकॉयन(पीडीएफ़).https://bitcoin.org. Accessed 15-07-2022.

[11] https://downtoearth.org.in/blog/environment-81118.Accessed 17-07-2022.

केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)

सरल शब्दों में कहा जाए तो सीबीडीसी किसी देश की फिएट करेंसी का ही डिजिटल रूप है। इसपर विनियामक/केंद्रीय बैंक और सॉवरिन का नियंत्रण भी होगा। अधिकांश देश अभी इस पर प्रयोगात्मक चरण में ही हैं। जहां करेंसी छापने की लागत कम होने, लेनदेन की लागत कम होने, वित्तीय समावेशन बढ़ाने और तेज भुगतान और निपटान के लिए इसके बहुत लाभकारी होने की संभावना है, वहीं इसे जारी / लागू करने के लिए कई तकनीकी और वैधानिक मुद्दों पर भी विचार जरूरी है। भारत के संदर्भ में देखें तो मुद्रा जारी करने से संबंधित अधिनियमों में परिवर्तन आवश्यक होगा।

साथ ही, सीबीडीसी की कार्यप्रणाली कैसी होगी- यानी इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र होगा या सेंट्रलाइज्ड; इसका निपटान कैसे होगा, इसे खुदरा प्रयोग के लिए जारी किया जाएगा या थोक प्रयोग के लिए; इसके साइबर सुरक्षा संबंधी क्या पहलू होंगे- इन बातों पर भी केंद्रीय बैंकों द्वारा विचार किया जा रहा है। तथापि कहना होगा कि सीबीडीसी अभी नवाचारों का क्षेत्र है और वैश्विक स्तर पर वित्तीय संस्थाएं इसपर कार्य कर रही हैं। क्रिप्टोकरेंसी की खूबियों सहित, लेकिन इसकी अस्थिरता और संदिग्धता के बिना, सीबीडीसी भविष्य की करेंसी के तौर पर अभीष्ट हो सकती है।

***

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा-थोक (ई₹-डब्ल्यू) का प्रायोगिक परिचालन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 अक्तूबर 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से घोषणा की थी कि रिज़र्व बैंक जल्द ही विशिष्ट उपयोग से संबंधित मामलों के लिए डिजिटल रुपया (ई₹) की प्रायोगिक रूप से शुरुआत करेगा। तदनुसार, डिजिटल रुपया- थोक खंड (ई₹-डब्ल्यू) का पहला प्रायोगिक परिचालन 1 नवंबर 2022 से आरंभ किया गया है।

2. इस प्रायोगिक परिचालन के लिए उपयोग से संबंधित मामला सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन का निपटान है। ई₹-डब्ल्यू के उपयोग से अंतर-बैंक बाजार को और अधिक कुशल बनाने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंक मुद्रा में निपटान से, निपटान जोखिम को कम करने के लिए निपटान गारंटी अवसंरचना या संपार्श्विक की आवश्यकता को समाप्त कर लेनदेन लागत को कम किया जाएगा। आगे चलकर, इस प्रायोगिक परिचालन से मिले अनुभव के आधार पर भावी प्रायोगिक परिचालन के लिए अन्य थोक लेनदेन और सीमापारीय भुगतान पर ध्यान दिया जाएगा।

3. इस प्रायोगिक परिचालन में भाग लेने के लिए नौ बैंकों यथा, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी की पहचान की गई है।

4. डिजिटल रुपया – खुदरा खंड (ई₹-आर) का पहला प्रायोगिक परिचालन सीमित उपयोगकर्ता समूहों, जिसमें ग्राहकों और व्यापारियों को शामिल किया जाएगा, के लिए चुनिंदा स्थानों पर एक महीने के भीतर शुरू करने की योजना है। ई₹-आर के प्रायोगिक परिचालन से संबंधित विवरण यथासमय सूचित किया जाएगा।

(स्रोत: आरबीआई वेबसाइट)

भारत में मुक्त बैंकिंग (Open Banking): वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं

- राजेश कुमार
सहायक प्रबंधक, राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

आज हम जिस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं, वह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए नित नये प्रयोगों के सफल परिणामों की ही परिणति है। वर्तमान में मनुष्य के जीवन को प्रौद्योगिकी के जिस घटक ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, वह है इंटरनेट ही है। पूरी दुनिया में फैली कोविड-19 महामारी ने इस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को और भी अनिवार्य बना दिया है। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो प्रौद्योगिकी के कारण ही बैंकिंग और उससे सबद्ध गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने में इसका योगदान अद्वितीय है। प्रौद्योगिकी की मदद से ही आज बैंकिंग और उससे संबंधित सभी काम-काज हम घर में बैठकर बहुत ही सरलता से कर रहें हैं। ग्राहकों की सुगमता और सुरक्षा को ध्यान में रख कर ही बैंक और वित्तीय संस्थाएं अन्य तरीकों के साथ-साथ,ओपन बैंकिंग को खूब बढ़ावा दे रही हैं और ओपेन बैंकिंग के क्षेत्र में नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं।

ओपन बैंकिंग क्या है?

ओपन बैंकिंग को 'ओपन बैंक डेटा' के रूप में भी जाना जाता है। ओपन बैंकिंग एक बैंकिंग प्रक्रिया है जो तीसरे पक्ष (Third party) के वित्तीय सेवा प्रदाताओं को एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (Application Programming Interfaces (APIs) के उपयोग के माध्यम से बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से उपभोक्ता बैंकिंग, लेनदेन और अन्य वित्तीय डेटा तक खुली पहुंच प्रदान करता है। ओपन बैंकिंग उपभोक्ताओं, वित्तीय संस्थानों और तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग के लिए संस्थानों में खातों और डेटा की नेटवर्किंग की अनुमति देता है। ओपन बैंकिंग नवाचार का एक प्रमुख स्रोत बन रहा है जो बैंकिंग उद्योग को नया आकार दे रहा है। मुक्त बैंकिंग (Open Banking) की ये प्रमुख विशेषताएं हैं:

- ओपन बैंकिंग तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों के माध्यम से उपभोक्ता बैंकिंग और वित्तीय खातों तक पहुंच और नियंत्रण की अनुमति देने की प्रणाली है।
- ओपन बैंकिंग में बैंकिंग उद्योग के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य और उपभोक्ता अनुभव को नया रूप देने की क्षमता है।
- ओपन बैंकिंग उपभोक्ताओं के लिए आशाजनक लाभ और गंभीर जोखिम, दोनों की संभावना बढ़ाती है क्योंकि उनका अधिक डेटा अधिक व्यापक रूप से साझा किया जाता है।

ओपन बैंकिंग काम कैसे करता है ?

ओपन बैंकिंग के तहत, बैंक ग्राहकों के व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा को तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं तक पहुंच और नियंत्रण की अनुमति देते हैं, जो आमतौर पर तकनीकी स्टार्टअप और ऑनलाइन वित्तीय सेवा विक्रेता होते हैं। ग्राहकों को आम तौर पर बैंक को इस तरह की पहुंच की अनुमति देने के लिए किसी प्रकार की सहमति देने की आवश्यकता होती है, जैसे ऑनलाइन ऐप में सेवा की शर्तों की स्क्रीन पर एक बॉक्स को चेक करना। तृतीय-पक्ष प्रदाता API तब ग्राहक के साझा डेटा (और ग्राहक के वित्तीय प्रतिपक्षकारों के बारे में डेटा) का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग में ग्राहक के खातों और लेन-देन के इतिहास की तुलना वित्तीय सेवा विकल्पों की एक श्रृंखला से करना, भाग लेने वाले वित्तीय संस्थानों और ग्राहकों के

लिए मार्केटिंग प्रोफाइल बनाने के लिए डेटा एकत्र करना, या ग्राहक की ओर से नए लेनदेन और खाता परिवर्तन करना शामिल हो सकता है।

ओपन बैंकिंग एपीआई क्या है?

ओपन बैंकिंग एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस) तीसरे पक्ष के वित्तीय सेवा प्रदाताओं को वित्तीय डेटा तक पहुंच की अनुमति देता है। इनका उपयोग बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उपभोक्ता बैंकिंग में सुधार के लिए किया जाता है। इसके अलावा, यह अधिक प्रासंगिक सेवाओं के साथ कमाई का एक नया स्रोत बनाने में मदद करता है और ग्राहक अंतर्दृष्टि और फिनटेक नवाचारों की शक्ति को एक साथ लाता है। वित्तीय नियामक और राष्ट्रीय प्राधिकरण वित्तीय डेटा के डिजिटल आदान-प्रदान की आवश्यकता को स्वीकार कर रहे हैं। ग्राहक की अनुमति के माध्यम से डेटा प्राप्त किया जा सकता है और सिस्टम की अक्षमताओं को दूर करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सरल शब्दों में, एपीआई दो सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। यह एक प्रोग्रामिंग कोड है जो दो सॉफ्टवेयर के बीच डेटा ट्रांसमिशन की अनुमति प्रदान करता है। बैंकिंग के परिप्रेक्ष्य में एपीआई तीन प्रकार के हैं:

1. निजी (आंतरिक) एपीआई

निजी/आंतरिक एपीआई का उपयोग उद्यम के भीतर सूचना के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। वे लागत कम करते हैं, सुरक्षा बढ़ाते हैं और परिचालन दक्षता में सुधार करते हैं। बैंक इस प्रकार के एपीआई का उपयोग अपने संचालन को अनुकूलित करने के लिए करते हैं। हालाँकि, ये बंद (Closed) एपीआई हैं जिनका उपयोग बैंक के अपने निजी उपयोग के लिए किया जाता है।

2. पार्टनर एपीआई

पार्टनर एपीआई का उपयोग व्यावसायिक भागीदारों के बीच बेहतर एकीकरण के लिए किया जाता है। यहां, एक बैंक किसी एक रणनीतिक साझेदार के साथ द्विपक्षीय समझौते कर सकते हैं। वे पार्टनर के सिस्टम से जुड़ते हैं और सौदे द्विपक्षीय होते हैं। इन सौदों की अधिकांश पेचीदगियों पर डेवलपर टीमों के बीच चर्चा की जाती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय जानकारी का खुलासा केवल एक रणनीतिक साझेदार को किया जाता है। पार्टनर एपीआई पार्टनर की लागत को कम करने और बैंक या वित्तीय संस्थान में एपीआई मुद्रीकरण को लागू करने में मदद करते हैं।

3. ओपन (सार्वजनिक) एपीआई

ओपन एपीआई में बैंक ग्राहक डेटा साझा करते हैं और अर्थव्यवस्था से संबंधित वित्तीय तंत्र को खोलते हैं। यह अब एक स्व-सेवा तंत्र नहीं है। इसका उपयोग तृतीय-पक्ष समाधान प्रदाताओं के साथ सहयोग करने के लिए किया जाता है। ये नवाचार के अवसर प्रदान करते हैं और बाजार अनुसंधान में सुधार करते हैं। आज कई बैंक खुले बैंकिंग एपीआई वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के उपभोग में अभूतपूर्व वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं।

ओपन बैंकिंग के फायदे

वर्तमान परिदृश्य में ओपेन बैंकिंग के फायदों को हम इस प्रकार रेखांकित कर सकते हैं:

नवाचार **:** ओपन बैंकिंग, बैंकिंग उद्योग में नवाचार की प्रेरक शक्ति है। केंद्रीकरण के बजाय नेटवर्क पर भरोसा करके, ओपन बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के ग्राहकों को अपने वित्तीय डेटा को अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ सुरक्षित रूप से साझा करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, ओपेन बैंकिंग एपीआई, एक बैंक के खाते को दूसरे बैंक में स्विच करने की कभी-कभी कठिन प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकते हैं। एपीआई उपभोक्ताओं के लिए सर्वोत्तम वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहचान करने के लिए उनके लेनदेन डेटा को भी देख सकता है, जैसे कि एक नया बचत खाता जो वर्तमान बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज दर अर्जित करेगा या कम ब्याज दर वाला एक अलग क्रेडिट कार्ड।

ग्राहक आधार में वृद्धि **:** नेटवर्क वाले खातों के उपयोग के माध्यम से, ओपेन बैंकिंग ऋणदाताओं को अधिक लाभदायक ऋण शर्तों की पेशकश करने के लिए उपभोक्ता की वित्तीय स्थिति और जोखिम स्तर की अधिक सटीक तस्वीर प्राप्त करने में मदद कर सकती है। यह उपभोक्ताओं को कर्ज लेने से पहले अपने स्वयं के वित्त की अधिक सटीक तस्वीर प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है। जो ग्राहक घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक खुला बैंकिंग ऐप

स्वचालित रूप से गणना कर सकता है कि ग्राहक अपने खातों की सभी जानकारी के आधार पर क्या खर्च कर सकते हैं । शायद यह भी संभव हो कि वर्तमान में प्रदान किए गए बंधक ऋण, दिशानिर्देशों की तुलना में अधिक विश्वसनीय तस्वीर प्रदान करते हैं।

वैयक्तिकीकरण : एक अन्य ऐप दृष्टिबाधित ग्राहकों को वॉयस कमांड के माध्यम से अपने वित्त को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। ओपन बैंकिंग छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन अकाउंटिंग के माध्यम से समय बचाने में मदद कर सकती है। यह धोखाधड़ी का पता लगाने वाली कंपनियों को ग्राहक खातों की बेहतर निगरानी करने और समस्याओं की जल्द पहचान करने में भी मदद कर सकती है।

बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा : ओपन बैंकिंग, बड़े बैंकों को छोटे और नए बैंकों के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी होने के लिए मजबूर करेगी, जिसके परिणामस्वरूप हमें कम लागत में बेहतर तकनीक और बेहतर ग्राहक सेवा मिलेगी। बड़े बैंकों को उन चीजों को नए तरीके से करना होगा जिन्हें संभालने और नई तकनीक अपनाने के लिए पैसा खर्च करने के लिए वे वर्तमान में तैयार नहीं हैं। हालांकि, बैंक इस नई तकनीक का लाभ ग्राहक संबंधों को मजबूत करने और ग्राहकों को केवल लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के बजाय, अपने वित्त का प्रबंधन करने में बेहतर मदद करके ग्राहक प्रतिधारण को मजबूत कर सकते हैं।

ओपन बैंकिंग के जोखिम

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा मुक्त बैंकिंग पर दिनांक 14 अप्रैल 2021 को दिए गए अभिभाषण के अनुसार उपभोक्ताओं को वित्तीय डेटा और सेवाओं की सलुभता और वित्तीय संस्थानों के लिए कुछ लागतों को सुव्यवस्थित करने के रूप में ओपन बैंकिंग कुछ लाभ दे सकता है। तथापि, इसमें अहम जोखिमों और चिंताओं की संभावनाएं भी हैं:

वित्तीय निजता (प्राइवेसी) और डेटा सुरक्षा

मुक्त (ओपन) बैंकिंग ढाँचों में, खराब सुरक्षा के कारण व्यक्तिगत डेटा के नुकसान या चोरी, डेटा संरक्षा के उल्लंघनों, धन-शोधन (मनी लॉन्डरिंग) और आतंकवादी वित्तपोषण सबंधी चिंताओं से जुड़े जोखिमों से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, आदर्शत: मुक्त बैंकिंग ढांचे को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने के पहले मजबूत डेटा संरक्षण और निजता (प्राइवेसी) कानून आने चाहिए। ऐसे कानून स्वामित्व अधिकारों को संचालित करें और डेटा नियंत्रण और डेटा की सहमति-आधारित उपयोग सुनिश्चित करें। वे तृतीय पक्ष द्वारा उपयोग, चतुर्थ पक्ष को डेटा की डाउन-स्ट्रीमिंग और इसके पुनर्विक्रय के अधिकारों और दायित्वों की सीमाएं भी तय करें। भारत पहले ही इस दिशा में चल पड़ा है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल), 2019 पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था। अब भारत सरकार इस विधेयक को वापस लेकर, नए सिरे से व्यापक फ्रेमवर्क के साथ एक नया बिल पेश करने जा रही है।

ग्राहक दायित्व

ग्राहकों की शिकायतों के निवारण और गलत या कपटपूर्ण गतिविधि के मामले में उनकी उत्तरदेयता को सीमित करने के लिए स्पष्ट व्यवस्था के अभाव में, मुक्त बैंकिंग ढांचे की स्वीकार्यता सीमित रह सकती है। इसलिए, प्राधिकारों को चाहिए कि डेटा तक तृतीय पक्ष के अभिगम के मामले में ग्राहक दायित्व के विषय पर वे ग्राहक सुरक्षा या क्षतिपूर्ति कानूनों के माध्यम से कार्रवाई करने का प्रयास करें। रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2014 में ग्राहक अधिकार-पत्र (चार्टर ऑफ़ राइट्स) जारी किया था जिसमें अन्य बातों सहित 'निजता के अधिकार' को 'शिकायत निवारण और मुआवजे के अधिकार' के साथ सूचीबद्ध किया गया था। निजता के अधिकार के अनुसार अपेक्षित है कि ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी तब तक गोपनीय रखी जानी है जब तक कि वे वित्तीय सेवा प्रदाता को सपष्ट सहमति नहीं देते या कानूनन ऐसी जानकारी देने की आवश्यकता हो या अनिवार्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए दी जाए।

साइबर सुरक्षा और परिचालन जोखिम

मुक्त बैंकिंग ढांचे का उपयोग, जिसका आधार डेटा की अधिक साझेदारी है, साइबर धोखाधड़ी के मैदान को बड़ा कर देता है। चूंकि मुक्त (ओपन) एपीआई आधार-संरचना में रखे लेनदेन और शेष राशि जैसे ग्राहक बैंकिंग डेटा तक निर्बाध पहुँच देता है, यह एक गंभीर साइबर सुरक्षा जोखिम भी पैदा कर सकता है। साइबर घटनाओं के कारण ग्राहकों को हुए नकुसान के लिए

वित्तीय संस्थाओं को ग्राहकों को ऐसे नकुसान की भरपाई करनी होगी। संस्थानों को एपीआई के उपयोग से संबंधित कई संभावित परिचालनीय और साइबर सुरक्षा मुद्दों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें डेटा उल्लंघनों, दुरुपयोग, मिथ्याकरण, सेवा वंचन आक्रमण और आधार-संरचना गड़बड़ी शामिल हैं।

अनुपालन और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम

मुक्त (ओपन) बैंकिंग जहाँ पारंपरिक बैंकिंग के परिदृश्य का विस्तार करती है और कारोबार के अनूठे अवसर देती है, यह संबंधित विवेकपूर्ण नियमों और निजता कानूनों के अनुपालन में अत्यधिक जिम्मेदारियां भी डालती है। पर्यवेक्षी कार्रवाइयों के तौर पर जुर्माना, दंड या दंडात्मक क्षति के साथ-साथ, तृतीय पक्ष के सेवा प्रदाता की भूल-चूक से जुड़े निजी निपटानों की संभावना (के प्रति एक्सपोज़र) के कारण जोखिम उत्पन्न होते हैं।

शिकायत निवारण

मुक्त बैंकिंग मॉडल में वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था में अधिक पार्टियों और बिचौलियों के शामिल होने के कारण, दायित्व निर्धारण अधिक कठिन है। यदि ग्राहक शिकायत निवारण संबंधी विनियम मुक्त बैंकिंग व्यवसाय मॉडल के अनुसार अद्यतन नहीं किए जाते, तो राष्ट्रीय प्राधिकरणों के लिए ग्राहकों को पर्याप्त स्तर की सुरक्षा प्रदान करना मुश्किल हो सकता है। भारत में, रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2019 में डिजिटल लेनदेन के लिए एक अलग लोकपाल योजना लागू की थी। डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) के तहत प्राप्त शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो दर्शाती है कि बैंकिंग के डिजिटल तरीकों को अधिकाधिक अपनाया जा रहा है। अब 'एकीकृत लोकपाल योजना' के अंतर्गत इससे जुड़ी शिकायतें दायर की जा सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव के अनुसार उपरोक्त के अलावा, मुक्त बैंकिंग ढांचे में विनियामकों को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ओपन बैंकिंग में, फिनटेक फर्मों, डेटा एकत्रीकरण में लगी मध्यस्थ फर्मों और अन्य सेवा प्रदाताओं जैसी अनेक प्रकार की तृतीय-पक्ष व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जिनका बैंक के साथ कोई संविदात्मक करार नहीं भी हो सकता है, जिस पर विनियामक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर पाएं। इसके अलावा, संभव है कि इनमें से कई फर्में वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक की विनियामकीय परिधि में ही न आएं। ऐसी स्थितियों में, नियामकों के लिए आवश्यकताओं, विशिष्टताओं को निर्धारित करना और विनियामकीय विधिशास्त्र का प्रयोग कठिन हो सकता है।

भारत में ओपेन बैंकिंग की संभावनाएं

यहां, बैंकों को फिनटेक खिलाड़ियों के साथ सहयोग करने के लिए ओपन बैंकिंग एपीआई की शक्ति का दोहन करने की आवश्यकता है। ऐसे परिदृश्य में, ग्राहक को एक एकीकृत सुविधा तक पहुंच प्राप्त हो सकती है और बैंक ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, बैंक फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग कर सकते हैं ताकि ग्राहक केंद्रित हितों को आगे बढ़ाया जा सके। यह दोनों के लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। इस तरह की प्रतिस्पर्धा को 'बाजार की ताकत' कहा जा सकता है। भारत, अमेरिका, चीन और सिंगापुर में बहुत सारे बैंक ऐसी ताकतों के कारण ओपन बैंकिंग एपीआई में निवेश कर रहे हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि ओपेन बैंकिंग का विकास बाजार की ताकतों या सरकारी नियमों से प्रेरित है या नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के लिए अंतिम परिणाम उच्च नवाचार और मूल्य पारदर्शिता है।

भारत में ओपन बैंकिंग एपीआई

भारत में, ओपन बैंकिंग और एपीआई का विकास काफी हद तक बाजार की ताकतों के कारण है। भारत में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में लाइसेंस प्राप्त मध्यस्थ ग्राहक की सहमति प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, एक खाता एग्रीगेटर (एए) एक लाइसेंस प्राप्त इकाई है जो वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) (जैसे बैंक) को वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) से जोड़ता है। खाता एग्रीगेटर (एए) इन दोनों संस्थाओं को एपीआई के माध्यम से जोड़ता है। ग्राहक के किसी भी व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण को भारत में सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। ग्राहक, एए और वित्तीय सूचना प्रदाताओं के बीच के उपयुक्त अनुबंध हैं। इसके अलावा, डेटा को किसी अन्य उद्देश्य के लिए एग्रीगेटरों द्वारा संग्रहीत या उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी एए को स्पष्ट डेटा सुरक्षा नीतियां और ग्राहक शिकायत निवारण

प्रणाली अपनानी होगी। भारत में ओपन बैंकिंग प्लेटफॉर्म एपीआई के कुछ उदाहरण हैं- Cashfree, YAP, OCEN।

निष्कर्ष

यूके और यूएस जैसे देशों में देखी गई ओपन बैंकिंग पहल के विपरीत, जो या तो पूरी तरह से बाजार संचालित या नियम संचालित हैं, भारत ने एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया है जहां बाजार और सरकार दोनों, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 2016 में, भारत ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लॉन्च किया, जिससे एक व्यक्ति अपने बैंक खातों को पंजीकृत ऐप (जैसे गूगल-पे) से एक्सेस कर सकता है और किसी अन्य बैंक में लेनदेन कर सकता है। एनपीसीआई द्वारा इस तरह की प्रमुख पहलों को बाजार में लाने के साथ, बीएफएसआई क्षेत्र एक एपीआई आधारित सहयोगी मॉडल के रूप में विकसित हो रहा है। इसके अतिरिक्त, नियो बैंक, डिजिटल बैंक और एपीआई एग्रीगेटर्स जैसे खिलाड़ियों का उदय ग्राहकों के लिए जीवन को सरल बना रहा है और नए व्यवसाय मॉडल बना रहा है। हाल ही में, आईसीआईसीआई जैसे बड़े खिलाड़ी भी अपने डेवलपर पोर्टल के रिलीज के माध्यम से खेल में शामिल हुए हैं जिसमें 250 से अधिक एपीआई शामिल हैं। अकाउंट एग्रीगेटर्स के प्रवेश और उधार के लिए नवगठित सेटअप की स्थापना के साथ, OCEN (ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क) पारिस्थितिकी तंत्र विकास के अगले चरण के लिए तैयार है, न केवल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र से बल्कि बीमा और प्रतिभूतियों जैसे क्षेत्रों में भी इसके उपयोग के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, इस क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण, निवेशकों का एक बड़ा वर्ग अब फिनटेक खिलाड़ियों पर केंद्रित है जो ओपन बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हैं। ओपन बैंकिंग एपीआई में नए तकनीकी विकास को बैंक कैसे अपनाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा।

***

आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आर्थिक /बैंकिंग/ वित्तीय विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन और शोध को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार' योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों (यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त) के कार्यरत/सेवानिवृत्त प्रोफेसरों (सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर आदि सहित) द्वारा आर्थिक /बैंकिंग/ वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए पात्रता के आधार पर ₹1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार रुपये) के तीन पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। इस संबंध में पूरा ब्योरा भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जिसे अंग्रेजी में <https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=51680> एवं हिंदी में <https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PressReleases.aspx?ID=43634>लिंक को क्लिक कर डाउनलोड किया जा सकता है।

वर्ष 2020-21 के लिए प्रो. रेनू जटाना, पूर्व अधिष्ठाता, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान और डॉ. सागर सांवरिया, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, नाथद्वारा, राजस्थान द्वारा संयुक्त रूप से लिखित पुस्तक 'वित्तीय प्रबंध' को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।

स्थायी स्तंभ

रेग्युलेटर की नज़र से

- ब्रिज राज
महाप्रबंधक, विनियमन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 07 अप्रैल, 2022 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) को उपरोक्त विषय पर दिशानिर्देश जारी किया है। दिशानिर्देश के अनुसार हाल ही में, पारंपरिक बैंकिंग आउटलेट के साथ-साथ डिजिटल बैंकिंग देश में पसंदीदा बैंकिंग सेवा वितरण चैनल के रूप में उभरा है। रिज़र्व बैंक बैंकिंग सेवाओं के लिए डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता में सुधार के लिए प्रगतिशील उपाय कर रहा है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में तेजी लाने और व्यापक बनाने के प्रयासों के एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की अवधारणा प्रस्तुत की जा रही है।

केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणाओं के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक कार्यदल, जिसमें बैंकों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के प्रतिनिधि शामिल हैं, की सिफारिशों के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका और अनुपालन कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 अप्रैल, 2022 को सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उपरोक्त विषय पर दिशानिर्देश जारी किया है। दिशानिर्देश में भारतीय रिज़र्व बैंक के 22 अक्टूबर, 2021 के परिपत्र संदर्भ.डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 के माध्यम से जारी 'स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर) : एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामकीय ढांचा' पर रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का संदर्भ लिया है। जैसा कि उसमें बताया गया है, उच्च स्तर (एनबीएफसी-यूएल) और मध्य स्तर (एनबीएफसी-एमएल) की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की नियुक्ति करनी होगी।

यह परिपत्र सभी एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल पर लागू होगा। बेस लेयर (एनबीएफसी-बीएल) में एनबीएफसी मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत शासित होती रहेंगी। कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए समग्र संरचना के भाग के रूप में, अनुपालन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तदनुसार, आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल में अनुपालन कार्य के लिए कतिपय सिद्धांतों, मानकों और प्रक्रियाओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल को अनुबंध में दिए गए ढांचे के आधार पर एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की नियुक्ति सहित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और अनुपालन कार्य को क्रमशः 1 अप्रैल, 2023 और 1 अक्टूबर, 2023 तक करना होगा। इस परिपत्र को समयबद्ध तरीके से बोर्ड के पर्यवेक्षण में सूचना और कार्यान्वयन रणनीति तैयार करने के लिए निदेशक मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत करना होगा।

लघु वित्त बैंकों के लिए अधिकृत डीलर श्रेणी-I लाइसेंस पात्रता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 08 अगस्त, 2022 को सभी लघु वित्त बैंकों को उपरोक्त विषय पर दिशानिर्देश जारी किया। दिशानिर्देश के अनुसार एसएफबी को अपने ग्राहकों की विदेशी मुद्रा व्यापार आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि सभी अनुसूचित लघु वित्त बैंक, अधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के रूप में परिचालन को कम से कम दो वर्ष पूरा करने के बाद, दिशानिर्देश में दिए गए पात्रता मानदंडों के अनुपालन के अधीन, अधिकृत डीलर श्रेणी-I लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। पात्र लघु वित्त बैंक, अधिकृत व्यापारी श्रेणी-I लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, अपनी पात्रता और दिशानिर्देश में विनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों के साथ, अपने आवेदनों के साथ विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियों को नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 अगस्त, 2022 को सभी विनियमित संस्थाओं को उपरोक्त विषय पर दिशानिर्देश जारी किया। दिशानिर्देश के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं को सूचित किया है कि आउटसोर्स गतिविधियों की अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही है और इसलिए, वे वसूली प्रतिनिधियों (इसके बाद 'प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) सहित अपने सेवा प्रदाताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। यह देखा गया है कि विनियमित संस्थाओं द्वारा नियोजित प्रतिनिधि वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग को नियंत्रित करने वाले मौजूदा अनुदेशों से चूक रहे हैं। इन प्रतिनिधियो की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली चिंताओं के मद्देनजर, यह सूचित किया जाता है कि विनियमित संस्थाएं कड़ाई से सुनिश्चित करें कि वे या उनके प्रतिनिधि अपने ऋण वसूली प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लें, जिसमें सार्वजनिक रूप से अपमानित करना या देनदारों के परिवार के सदस्यों, निर्देशी और दोस्तों की गोपनीयता में दखल देना, मोबाइल पर या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश भेजना, धमकी देने और / या गुमनाम कॉल करना, लगातार उधारकर्ता को कॉल करना और / या अतिदेय ऋणों की वसूली के उद्देश्य से उधारकर्ता को सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद कॉल करना, झूठे और भ्रामक अभ्यावेदन करना आदि शामिल है।

डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 02 सितंबर 2022 को सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) को डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश जारी किया। दिशानिर्देश में यह दोहराया गया कि एक उधार सेवा प्रदाता (एलएसपी)/डिजिटल लेंडिंग ऐप (डीएलए) के साथ विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा दर्ज की गई आउटसोर्सिंग व्यवस्था आरई के दायित्वों को कम नहीं करती है और वे आउटसोर्सिंग पर मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करना जारी रखेंगे। आरई को सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा नियुक्त एलएसपी और डीएलए (या तो आरई का या आरई द्वारा नियुक्त एलएसपी का) इस परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। साथ में यह भी सूचित किया कि इस परिपत्र में निहित अनुदेश इस परिपत्र की तिथि से 'नए ऋण प्राप्त करने वाले मौजूदा ग्राहकों' और 'नए शामिल हुए ग्राहकों' पर लागू होंगे। हालांकि, एक सुचारु पारगमन सुनिश्चित करने के लिए, आरई को 30 नवंबर 2022 तक का समय दिया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'मौजूदा डिजिटल उधारों' (परिपत्र की तारीख तक स्वीकृत) को भी इन दिशानिर्देशों के अनुरूप अक्षरशः अनुपालन करने के लिए पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं बना सके।

***

घूमता आईना
राष्ट्रीय खंड

- डॉ. करुणेश तिवारी
सहायक महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

आर्थिक संवृद्धि और मुद्रास्फीति में संतुलन की कवायद : केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दर में 4 माह में की 140 आधार अंकों की बढ़ोतरी

भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड के कारण आयी मंदी के बीच से रास्ता निकालते हुए फिर उठ खड़ी हो रही थी कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था के समक्ष नई चुनौतियाँ खड़ी हो गयीं। यूरोपीय देशों सहित पूरी दुनिया में उत्पन्न भू-राजनैतिक तनाव का प्रभाव विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और बढ़ती मुद्रास्फीति के रूप में देखने को मिला है। डालर के मुकाबले विश्व की सभी प्रमुख मुद्राओं के मूल्य में गिरावट देखी गयी है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा की गयी मौद्रिक सख्ती से आर्थिक संवृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ी है। विपरीत वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव भारत पर भी पड़ा है, हालांकि कई अन्य देशों की तुलना में हम अपनी आर्थिक संवृद्धि और महंगाई दर में बेहतर संतुलन बनाने में कामयाब रहे हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल से अगस्त के बीच मौद्रिक नीति के निभावकारी रुख को छोड़कर मौद्रिक सख्ती का रुख अपनाया है और रेपो दर में तीन चरणों में कुल मिलाकर 140 आधार अंकों की वृद्धि की है। इसका परिणाम यह हुआ है कि देश में सीपीआई मुद्रास्फीति जो अप्रैल 2022 में 7.8% थी, वह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर घटकर जून 2022 में 7.0% पर आ गयी। गवर्नर महोदय द्वारा 5 अगस्त 2022 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य में वर्ष 2022-23 के दौरान औसत मुद्रास्फीति 6.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है जो लक्षित बैंड (4%+/-2%) से अधिक है। साथ ही, इस दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है।

आरबीआई का पेमेंट्स विज़न 2025

प्रयोक्ताओं को सुरक्षित, संरक्षित, तीव्रतर, सुविधाजनक, सस्ते ई-भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना ई-पेमेंट्स विज़न 2025 जारी किया है। इसकी थीम है- हर किसी को, हर जगह, हर समय ई-भुगतान सेवा अर्थात् E-Payments for Everyone, Everywhere, Everytime (4Es) । आरबीआई का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक डिजिटल भुगतान लेनदेन की संख्या को तीन गुना करना, पीपीआई (प्रीपेड भुगतान लिखत) में डेढ़ गुना की बढ़ोतरी करना और पीओएस (प्वाइंट ऑफ़ सेल) पर डेबिट कार्ड से होने वाले लेनदेन में 20% का इज़ाफ़ा करना।

पारदेशीय निवेश की नई व्यवस्था लागू

भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला पारदेशीय निवेश भारतीय उद्यमियों को व्यापार-वृद्धि के लिए वैश्विक स्तर पर अनेक अवसर प्रदान करता है। यह उनके कारोबार की मात्रा और उसका दायरा बढ़ाने का कार्य करता है। इससे भारतीय संस्थाएं अधिक प्रतिस्पर्धी बनती हैं और उनकी ब्रैंड वैल्यू में भी इजाफ़ा होता है। पारदेशीय निवेश से विदेशी

व्यापार और प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान को प्रोत्साहन मिलता है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू रोजगार, निवेश और विकास को बढ़ावा मिलता है। इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत जारी किए गए नियमों और विनियमों की उत्तरोत्तर समीक्षा केंद्र सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पारदेशीय निवेश संबंधी एक नई व्यवस्था लागू की गयी है जो भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले पारदेशीय निवेश संबंधी मौजूदा ढांचे को सरल बनाती है। इससे व्यापक आर्थिक गतिविधियों को कवर किया जा सकेगा और विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकताएँ कम हो जाएंगी। इससे अनुपालन का बोझ कम होगा और अनुपालन लागत भी घटेगी। 'रणनीतिक क्षेत्र' की संकल्पना, प्रतिफल के आस्थगित भुगतान की व्यवस्था और रिपोर्टिंग में होने वाले विलंब हेतु 'विलंब शुल्क (एलएसएफ)' का प्रावधान इस नई व्यवस्था के तहत किए गए कुछ प्रमुख सुधार हैं। इस प्रयोजन से भारत सरकार ने 22 अगस्त, 2022 को पारदेशीय नियमावली, 2022 अधिसूचित किया है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पारदेशीय विनियमावली और पारदेशीय निवेश निदेश जारी किए हैं।

दूसरे देशों के साथ भारतीय रुपये (आईएनआर) में व्यापारिक सौदों का निपटान

निर्यात/आयात के इन्वाइस बनाने, भुगतान और निपटान आईएनआर में करने की एक अतिरिक्त व्यवस्था लागू की गयी है। इसका उद्देश्य है- भारत से निर्यात पर जोर देते हुए वैश्विक व्यापार में वृद्धि करना और भारतीय रुपये (आईएनआर) में पूरी दुनिया के व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि को प्रोत्साहित करना। इस प्रणाली को लागू करने से पहले एडी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे मुंबई स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग से इसके लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करें। इस व्यवस्था के तहत सारे निर्यात और आयात का मूल्यवर्ग और उसका इन्वाइस रुपये (आईएनआर) में होगा। व्यापार में साझेदार दोनों देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर बाजार द्वारा तय की जाएगी। व्यापारिक लेन-देन का निपटान निर्धारित प्रकिया के अनुसार आईएनआर में किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय आयातकर्ता आईएनआर में भुगतान करेंगे जिसे विदेशी विक्रेता/आपूर्तिकर्ता द्वारा वस्तुओं अथवा सेवाओं के इन्वाइस प्रस्तुत करने पर व्यापारिक साझेदार देश के स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकर्ताओं को निर्यात से प्राप्य राशि का भुगतान व्यापारिक साझेदार देश के कॉरिस्पॉण्डेंट बैंक के नामित स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में मौजूद शेषराशि में से आईएनआर में किया जाएगा।

बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना

एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एनपीसीआई की आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure) के रूप में मान्यता दी गयी है। यह प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70 के तहत किया गया है। इसका मतलब यह है कि यदि इस अवसंरचना (सीआईआई) को नुकसान पहुँचता है तो उसका विपरीत प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्र की रक्षा और लोगों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।

न्यू डवेलपमेंट बैंक बना गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली संस्था

ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा स्थापित न्यू डिवेलपमेंट बैंक (NDB) ने हाल ही में गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी (Gujrat International Finance Tech City) में अपना कार्यालय खोला है। ब्रिक्स और अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों के अवसंरचना एवं संधारणीय विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए निधि स्रोत जुटाने के उद्देश्य से न्यू डेवेलपमेंट बैंक की स्थापना की गयी थी, जिसने 27 जनवरी, 2016 से पूरी तरह परिचालन प्रारंभ किया। चीन के शंघाई शहर में एनडीबी का मुख्यालय है। आईसीआईसीआई के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और इन्फोसिस लि. के भूतपूर्व चेयरमैन श्री के. वी. कामथ एनडीबी के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरे और वर्तमान चेयरमैन के रूप में ब्राजील के राजनीतिक अर्थशास्त्री श्री मार्कोस ब्राडो ट्रॉयजो कार्यरत हैं। युनाइटेड नेशंस में शामिल कोई भी देश इसकी सदस्यता ले सकता है। वर्ष 2021 में संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश ने इसकी सदस्यता ली है। मिस्र और उरुग्वे इसके सदस्य बनने जा रहे हैं।

यूरोप पहुँचा हमारा UPI

यूपीआई तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। हाल ही में 25 अगस्त, 2022 को NPCI International Payments Limited (NIPL) ने युनाइटेड किंगडम की भुगतान सेवा प्रदाता कंपनी पेएक्सपर्ट (PayXpert) के साथ साझेदारी की है जिसके तहत इन-स्टोर भुगतानों के लिए PayXpert के एंड्रॉयड पीओएस पर यूपीआई के माध्यम से क्यूआर आधारित लेनदेन किए जा सकेंगे। बाद में रूपे कार्ड भुगतानों को भी स्वीकार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि NIPL एनपीसीआई की ही अंतरराष्ट्रीय अनुषंगी है। इसी प्रकार यूपीआई और रूपे भुगतान उत्पादों को स्वीकार करने के संबंध में कुछ ही दिनों पहले फ्रांस की भुगतान समाधान प्रदाता कंपनी लाइरा नेटवर्क्स ने NPCI International Payments Limited (NIPL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते से विशेष रूप से भारतीय विद्यार्थियों और पर्यटकों को यह सहूलियत होगी कि वे लाइरा नेटवर्क्स द्वारा स्थापित टर्मिनलों और मशीनों पर यूपीआई और रूपे कार्डों का इस्तेमाल करके भुगतान कर सकेंगे। सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान और नेपाल में इन भुगतान माध्यमों की स्वीकार्यता पहले से है। यूपीआई की बात करें तो यह एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 2016 में लांच किया गया था जबकि रूपे कार्ड भी एनपीसीआई का ही उत्पाद है जो 2012 में लाया गया था। अब तक 70 करोड़ कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो-सूचकांक CRE8

जून 2022 में क्रिप्टो आस्ति क्षेत्र की यूनिकॉर्न कंपनी CoinSwitch ने भारतीय रुपये में देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया। कंपनी यह दावा करती है कि भारतीय रुपये के हिसाब से क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए यह भारत का पहला बेंचमार्क इंडेक्स है। यह सूचकांक आठ प्रमुख क्रिप्टो आस्तियों के कारोबार का आकलन करते हुए बनाया जाता है। क्वाइन स्विच का कहना है कि क्रिप्टो क्वाइंस के कुल कारोबार का 85% इन्हीं आठ क्वाइंस द्वारा किया जाता है। आज की तारीख में 1.8 करोड़ से ज्यादा यूज़र्स CoinSwitch के ऐप पर पंजीकृत हैं। क्वाइन स्विच यह दावा करती है कि रुपये में मूल्य दर्शाने वाला CRE8 भरोसेमंद और अद्यतन आकलन प्रस्तुत करता है जिससे यूज़र्स इन आस्तियों में निवेश समझदारी के साथ कर सकें। वर्तमान में क्रिप्टो कारोबार से जुड़े अधिकांश इंडेक्स अमेरिका के हैं जो भारतीय रुपये में क्रिप्टो की कीमतें नहीं बताते। माँग और आपूर्ति से जुड़ी अनिश्चितताओं, वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ावों एवं आईएनआर की विनिमय दरों की अस्थिरता के कारण भारतीय निवेशकों को अपने निवेश निर्णय लेने में होने वाली मुश्किलों को अब कम किया जा सकेगा। यह ध्यान दिए जाने योग्य है कि CRE8 ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है। भारतीय क्रिप्टो बाज़ार के उतार-चढ़ाव को समझने के लिए ही इस सूचकांक को तैयार किया गया है। www.coinswitch.co/crypto-index पर जाकर CRE8 क्रिप्टो इंडेक्स को देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों ने ही कई मौकों पर क्रिप्टो आस्तियों में निवेश से जुड़े जोखिमों के बारे में भारतीयों को आगाह किया है और इसे कर के दायरे में लाया गया है। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि क्रिप्टो कोई करेंसी नहीं बल्कि आस्ति है।

स्टार्ट-अप इंडिया: नियोबैंक OPEN को मिला भारत का 100वाँ यूनीकॉर्न बनने का गौरव

विगत 5 वर्षों से भारत में स्टार्ट-अप इंडिया अभियान तेजी पकड़ता जा रहा है। अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों में अब तक 100 से ज्यादा स्टार्ट-अप यूनीकॉर्न की शक्ल ले चुके हैं। यूनीकॉर्न अर्थात ऐसे उद्यम जिनकी बाजार मालियत 1 बिलियन डालर या अधिक है। मई 2022 में ओपन को देश की 100वीं यूनीकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ओपन एशिया के एसएमई, स्टार्ट-अप और फ्रीलांसरों के लिए एक नियो बैंकिंग प्लेटफार्म बन कर उभरी है। इसने पिछले 12 महीनों में अपने ग्राहक आधार को 2.3 मिलियन तक बढ़ा लिया है। नियोबैंक मूल रूप से एक फिनटेक फर्म होती है जो भुगतान, डेबिट कार्ड, मनी ट्रांसफर, उधार और ऐसी ही अनेक डिजिटल और मोबाइल-फर्स्ट सेवाएं प्रदान करती है। बहुत कम नियोबैंकों के पास बैंकिंग लाइसेंस हैं। नियोबैंक पारंपरिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और नए युग के ग्राहकों की नई अपेक्षाओं के बीच के अंतराल को भरने का कार्य करते हैं। पारंपरिक बैंकों में ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ भौतिक शाखाएं भी होती हैं। डिजिटल बैंक जहाँ पारंपरिक बैंकों की ही डिजिटल शाखाएँ होते हैं, वहीं

नियोबैंक पूरी तरह से डिजिटल होते हैं। अपने उत्पादों का बीमा करने के लिए, नियोबैंक आमतौर पर पारंपरिक बैंकों के साथ साझेदारी करते हैं। जहाँ तक भारत में स्टार्ट-अप व्यवस्था में हुई प्रगति का प्रश्न है, देश में 29 अगस्त, 2022 की स्थिति के अनुसार 77,000 डीपीआईआईटी मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप हैं जो 656 जिलों में फैले हुए हैं। ये स्टार्ट-अप देश के 56 अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी चुनौतियों और समस्याओं का समाधान उपलब्ध करा रहे हैं। 07 अगस्त, 2022 के आंकड़ों के अनुसार, देश में यूनीकॉर्न स्टार्ट-अप की संख्या 107 हो चुकी है। इनमें से 41 यूनीकॉर्न वर्ष 2021 में विकसित हुईं जबकि वर्ष 2022 में अब तक 21 उद्यम यूनीकॉर्न बन चुके हैं। आज यूनीकॉर्न बनने वाली विश्व की हर 10 कंपनियों में से एक भारत की है। इससे इस क्षेत्र में हो रही अभूतपूर्व प्रगति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की नवोन्मेषी पहल: 'फ़िन्क्लूएशन'

वित्तीय समावेशन भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर जीवन-यापन कर रही जनता को जब तक हम बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ नहीं दे पाते, तब तक देश के समावेशी विकास का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकेगा। इस दिशा में स्टार्ट-अप क्षेत्र भी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने एक नया अभियान- फिन्क्लूएशन - प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य है फिनटेक से जुड़े विभिन्न स्टार्ट-अप को एक ऐसा प्लैटफॉर्म उपलब्ध कराना जिस पर सहभागी बनकर वे बाजार की ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलित उत्पाद और सेवाएँ तैयार करें। इन उत्पादों को इंडिया पेमेंट्स बैंक द्वारा अपने व्यापक ग्राहक आधार का लाभ लेते हुए आम जनता तक पहुँचाया जाएगा। ये उत्पाद और सेवाएँ ऐसी होंगी जो अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाने में कारगर होंगी। यह अपने तरह का पहला प्रयास है।

बीपीसीएल बनी गैर-इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की सुविधा देने वाली पहली कंपनी

आरबीआई द्वारा हाल ही में ऐसे बैंकिंग ग्राहकों के लिए, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है, यूपीआई आधारित भुगतान सुविधा UPI123PAY का शुभारंभ किया गया था। इस सुविधा का लाभ लेते हुए बीपीसीएल ने अपने ग्राहकों को वाइस आधारित डिजिटल भुगतान सुविधा प्रदान करने की शुरुआत की है। इस सुविधा के तहत भारत गैस के उपभोक्ता अपने गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने किया निर्यात (NIRYAT) सूचना पोर्टल का शुभारंभ

सरकार द्वारा व्यापार के वार्षिक विश्लेषण हेतु राष्ट्रीय आयात-निर्यात NIRYAT पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पर जाकर आयातक और निर्यातक विदेशी व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी तत्काल प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल पर 200 से अधिक देशों को निर्यात किए जाने वाली 30 से अधिक प्रकार की वस्तुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। इस बात के प्रयास भी किए जा रहे हैं कि पोर्टल पर अति शीघ्र जिले-वार जानकारी भी दी जा सके। उल्लेखनीय है कि भारत का वैश्विक निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लक्ष्य 400 अरब डॉलर के मुकाबले 448 अरब डॉलर रहा था।

***

घूमता आईना

अंतरराष्ट्रीय खंड

- डॉ. गौतम प्रकाश
महाप्रबंधक, प्रवर्तन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

ओमान के केंद्रीय बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निर्मित जोखिम के बारे में चेतावनी दी

मुख्यतः तेल निर्यात पर निर्भर करने वाले देश ओमान के केंद्रीय बैंक ने बताया है कि जलवायु परिवर्तन उसकी वित्तीय स्थिरता के लिए एक चुनौती बनकर उभर रहा है। इस बात का उल्लेख उसने जुलाई महीने में प्रकाशित वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में किया। केंद्रीय बैंक के अनुसार जलवायु परिवर्तन के परिणामों की दो श्रेणियाँ हैं – पहला, इसके कारण आधारभूत संरचना या सम्पत्ति पर आघात, और दूसरा, वह नुकसान जो बदलाव लाने की प्रक्रिया में हो सकता है। यह बदलाव जलवायु नीति, तकनीकी क्षेत्र एवं उपभोगताओं की प्रतिक्रियाओं से संबंधित हो सकते हैं। इस बीच अबू धाबी के खलीफा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पाया है कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर से लगे क्षेत्रों में ऊष्णकटिबंधीय चक्रवातों से बहुत क्षति होने की संभावना है। ओमान के शहरी क्षेत्र – जहाँ उसकी 80% आबादी रहती है - सागर तट से लगे हैं और उनकी औसत ऊंचाई ज़्यादा नहीं है।

अन्य देशों की तरह ओमान ने भी जलवायु परिवर्तन से जूझने के लिए योजनाएँ बनायी हैं जिसमें उसने तेल जैसे पदार्थों का प्रयोग कम करने की बात कही है। लेकिन क्योंकि ओमान की अर्थव्यवस्था तेल के निर्यात पर बहुत निर्भर है, तेल की खपत कम होना उसके लिए अपने आप में एक जोखिम है। अतः अर्थव्यवस्था में मौलिक बदलाव लाने होंगे। रिपोर्ट में ओमान के केंद्रीय बैंक ने जलवायु परिवर्तन से संबन्धित जोखिम को भलीभाँति समझने को सर्वोच्च महत्ता देने पर ज़ोर दिया है।

मिस्र के केंद्रीय बैंक द्वारा पॉलिमर बैंक नोट जारी किए गए

गत जुलाई माह में मिस्र के केंद्रीय बैंक ने 10/- लीरा के पॉलिमर नोट जारी किए। इसके साथ ही मिस्र विश्व के लगभग 20 देशों में शामिल हो गया जहां पूर्णतया या आंशिक रूप से पॉलिमर नोट जारी होते हैं। पॉलिमर पदार्थ का निर्माण तथा उस पर मुद्रण का काम बैंक ने ब्रीटेन की कंपनी "डे ला रू" को सौंपा है। नोट की अगली तरफ मिस्र के सबसे विशाल मस्जिद (अल-फतह अल-अलीम) की छवि है और पिछली तरफ प्राचीन मिस्र के सम्राट हत्शेपूत की छवि है। पॉलिमर नोट जारी करने की योजना 2019 में बनाई गई थी। इन्हें वर्ष 2020 में जारी किया जाना था परंतु कोरोना संक्रमण आड़े आ गई।

विश्व में ऑस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने 1988 में पॉलिमर नोट जारी किए थे। 1996 तक ऑस्ट्रेलिया में केवल पॉलिमर नोट ही जारी किए जाने लगे। न्यूज़ीलैंड और वियतनाम जैसे चंद और देशों ने भी पूरी तरह से पॉलिमर नोटों को जारी करना प्रारम्भ कर दिया। इनके अलावा 2019 तक लगभग बीस और ऐसे देश थे जिनमें आंशिक रूप से पॉलिमर नोट जारी किए जा रहे थे। कागज़ पर छापे नोटों की तुलना में पॉलिमर नोट ज़्यादा समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मोड़े जाने से उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। कीटाणु इत्यादि उनका कम ही नुकसान कर पाते हैं। एटीएम

और नोट गिनने वाली मशीनों में भी वे बेहतर चल पाते हैं। लेकिन उनके उत्पादन का खर्च अधिक होता है।

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के शासनादेश में परिवर्तन की बात की

लिज़ ट्रस हाल तक ब्रिटेन की विदेश मंत्री थीं। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन के पद से हटने के बाद ट्रस प्रधानमंत्री बन गई हैं। उन्होंने 03 अगस्त को एक भाषण के दौरान यह आश्वासन दिया था कि यदि वे प्रधान मंत्री बनीं तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के शासनादेश में अवश्य परिवर्तन लाएँगी जिससे वह मुद्रास्फीति का मुक़ाबला और भी प्रभावशाली तरीके से करने में सक्षम हो सकेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि केंद्रीय बैंक के शासनादेश में 1997 के पश्चात कोई फेरबदल नहीं किया गया है, लेकिन तब से लेकर अब तक परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। 1997 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी का शासन था और वित्तमंत्री श्री गॉर्डन ब्राउन थे। उस समय बैंक ऑफ इंग्लैंड को मौद्रिक नीति तय करने के लिए स्वतन्त्रता प्रदान की गयी थी और मुद्रास्फीति के लक्षित दर को 2% प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था। ट्रस ने कहा कि बढ़ती मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने में बैंक ऑफ इंग्लैंड नाकामयाब रहा है और उसे जापान के केंद्रीय बैंक से सीख लेनी चाहिए। जानकारों ने टिप्पणी की है कि ब्रिटेन में केंद्रीय बैंक की मुख्य समस्या महंगाई को बढ़ना से रोकना रहा है जबकि जापान में बैंक ऑफ जापान की मुख्य समस्या मंदी के चक्रव्यूह से अर्थव्यवस्था को निकालना है। वहाँ मुद्रास्फीति दर को बढ़ाकर लक्षित दर तक लाना ज़रूरी है। दोनों की परिस्थितियों में काफी फर्क है।

ज़िम्बाब्वे में बढ़ती मुश्किलें

एक समय हाइपर-मुद्रास्फीति जैसी गहन समस्या से पीड़ित ज़िम्बाब्वे में अब पुनः मुद्रास्फीति का प्रकोप बढ़ रहा है। गत जुलाई माह में मुद्रास्फीति की दर 257% थी और अगस्त माह के पहले सप्ताह तक यह दर बढ़ कर 595% तक पहुँच गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाज़ार में साल की शुरुआत से लेकर अब तक ज़िम्बाब्वे के डॉलर ने अमरीकी डॉलर की तुलना में 75% गिरावट दर्ज किया है। मुद्रास्फीति का मुक़ाबला कर रहे केंद्रीय बैंक ने जून 2022 में ब्याज की दर को 120% बढ़ाकर 200% कर दिया। वर्ष 2021 के प्रारम्भ में ब्याज-दर 35% हुआ करती थी जो साल के अंत तक 80% कर दी गयी थी। मई 2022 में देश के राष्ट्रपति ने सभी बैंक ऋणों पर प्रतिबंध लगा दिया था और रिज़र्व मुद्रा की वृद्धि दर को 0% पर रखने का आदेश दिया था, लेकिन केवल दस दिनों के बाद ही इसमें ढील देनी पड़ गयी। जानकार बता रहे हैं कि देश के पास इस समय दो रास्ते हैं – एक, यह कि देश एक 'करेंसी बोर्ड' की स्थापना करे और दूसरा, यह कि देश अपनी मुद्रा का त्याग करे और अमरीकी डॉलर को ही आदान-प्रदान में इस्तेमाल करे। यदि 'करेंसी बोर्ड' बनाई जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि मुद्रा दर एक तय स्तर पर रहेगी और प्रत्येक ज़िम्बाब्वे डॉलर के बदले 'करेंसी बोर्ड' को एक अमरीकी डॉलर कोश में रखना ही होगा। 'करेंसी बोर्ड' ऋण का निर्माण नहीं कर सकती है, जिसका अर्थ है कि सरकार को भी अपनी आय में सीमित रह कर ही व्यय करना पड़ेगा। इससे अलग, यदि ज़िम्बाब्वे डॉलर का त्याग कर अमरीकी डॉलर को ही पूरी तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो भी मुद्रास्फीति पर काबू पाया जा सकता है। इस सदी के पहले दशक में, जब ज़िम्बाब्वे हाइपर-मुद्रास्फीति से ग्रस्त था, तब 2009 से लेकर 2019 तक उसने यही किया था। वर्ष 2019 में जाकर नवीन ज़िम्बाब्वे डॉलर को जारी किया गया था।

चीन के केंद्रीय बैंक ने आश्वासन दिया कि वह मुद्रा की बाढ़ नहीं आने देगा

चीन के केंद्रीय बैंक के सामने आज दो चुनौतियाँ हैं– एक, सकल घरेलू उत्पाद की बढ़त को सहारा देना और दो, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना। उसने आश्वासन दिया है कि आर्थिक मंदी से लड़ने के लिए वह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बाढ़ नहीं आने देगा, क्योंकि इसमें महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। चीनी केंद्रीय बैंक का आकलन है कि वह इस वर्ष महंगाइ को 3% के लक्ष्य तक सीमित रख लेगा परंतु उसे सचेत रहना पड़ेगा क्योंकि अर्थव्यवस्था में मौलिक रूप से महंगाई बढ़ाने वाले स्रोत कार्यशील हो सकते हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि जुलाई माह में पिछले साल के मुक़ाबले महंगाई की दर 2.7% रही है, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों, विशेषकर सूअर के मांस के बढ़ते दाम रहे हैं। निकट भविष्य में भी खाद्य सामग्री और ईंधन के दामों में वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। भविष्य की मुद्रास्फीति के बारे में अनुमान लगाना कठिन होता जा रहा है। इसके कारण हैं- महामारी और उसके प्रभाव, जलवायु परिवर्तन और बदलते सामरिक समीकरण। फिर भी केंद्रीय बैंक

उत्पादन-संबंधित क्षेत्रों को सहारा देने के लिए तत्पर है। उनके लिए ऋण भी उपलब्ध कराये जाएंगे और मुद्रा को ज़्यादा जारी किया जाएगा। लेकिन उसकी बाढ़ न आने पाये, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा।

तुर्की के केंद्रीय बैंक का विवादास्पद निर्णय

तुर्की में मुद्रास्फीति की दर गत जुलाई माह में 80% प्रति वर्ष के निकट पहुँच गयी और अगस्त में और बढ़ गई। परंतु वहाँ के केंद्रीय बैंक ने अपनी मुद्रा नीति कमेटी की बैठक में ब्याज दर को 1% घटाने का निर्णय लिया। आम तौर पर महंगाई बढ़ने पर केंद्रीय बैंक उस पर नकेल लगाने के लिए ब्याज दर को बढ़ा देते हैं। इससे ऋण पर आधारित निवेश और व्यय पर नकेल लगती है और बाज़ार में दाम कम बढ़ते हैं। ध्यान रहे कि तुर्की का केंद्रीय बैंक भी भारतीय रिज़र्व बैंक की तरह एक मुद्रास्फीति पर फोकस करने वाला बैंक है और उसका मुद्रास्फीति लक्ष्य 5% प्रति वर्ष है। बैठक के बाद जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति में कमेटी ने यह तो माना कि मुद्रास्फीति की दर अधिक है परंतु इसका कारण समूची दुनिया में बढ़ती कीमतों (विशेषकर विभिन्न पदार्थों में) को बताया। उसने यह भी बताया कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर पर काले बादल मंडराते दिख रहे हैं। कमेटी ने अपने निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि आंकड़ों को देखकर उसे यह लगा कि निकट भविष्य में आर्थिक मंदी के आसार ज़्यादा हैं। इस हैरतंगेज़ निर्णय के बाद विदेशी मुद्रा बाज़ार में तुर्की कि मुद्रा लीरा में अमरीकी डॉलर के मुक़ाबले गिरावट आई, परंतु 1% से कम की। जानकारों का मानना है कि इस निर्णय का कारण अगले साल के आम चुनाव हो सकते हैं क्योंकि ब्याज दर कम होने से सरकार की लोकप्रियता बढ़ सकती है।

ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने निजी क्षेत्र के अर्थशास्त्रियों का पैनल गठित किया

रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने निजी क्षेत्र के अर्थशास्त्रियों के एक पैनल का गठन किया है जो समसामयिक आर्थिक विषयों पर अपने सुझाव केंद्रीय बैंक को देगा। साल में कम-से-कम दो बार पैनल की बैठक होगी। इसके अलावा बैंक ने एक अन्य पैनल की सदस्यता को बढ़ाने का निर्णय किया है, जिसमें अकादमिक अर्थशास्त्री होते हैं। इस पैनल की बैठक भी साल में कम-से-कम दो बार होगी। प्रत्येक पैनल में 12 सदस्य होंगे। इन पैनेलों का एक काम भविष्य में उत्पन्न होनेवाली स्थिति और उचित मुद्रा नीति पर चर्चा करना और सुझाव देना भी होगा। केंद्रीय बैंक के गवर्नर दोनों पैनेलों के अध्यक्ष होंगे। यह बात ध्यान देने लायक है कि थोड़े दिनों पहले, देश के वित्त मंत्री ने रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक बहु-आयामी समीक्षा का ऐलान किया था। नब्बे के दशक के बाद यह ऐसा पहला कदम होगा। समीक्षा का संदर्भ यह है कि हाल के दिनों में केंद्रीय बैंक ने बढ़ती महंगाई को काबू में करने में विलंब कर दी है। मुद्रास्फीति की दर साल के अंत तक शायद 7.5% तक पहुंच जाएगी। महंगाई के इस दौर से ठीक पहले बैंक आर्थिक वृद्धि को सहारा देने में लगा था और उसने घोषणा की थी कि वर्ष 2024 तक वह ब्याज दर को 0.1% प्रति वर्ष पर ही रखेगा। लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण इस वर्ष मई के महीने में उसे इस नीति का त्याग करना पड़ा और ब्याज दर में वृद्धि लानी पड़ी थी। शायद नए पैनल भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे।

पाकिस्तान में केंद्रीय बैंक के गवर्नर की नियुक्ति

अगस्त माह में पाकिस्तान की सरकार ने श्री जमील अहमद को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर नियुक्त किया। वे इस पद पर पाँच वर्षों तक आसीन रह सकेंगे। इस वर्ष मई माह में पूर्व गवर्नर श्री रज़ा बकीर ने अपना त्यागपत्र तब दे दिया था जब सरकार ने उन्हें पुनः गवर्नर नियुक्त करने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। वर्ष 2019 में जिस सरकार ने श्री रज़ा की नियुक्ति की थी वह मई 2022 तक गिर चुकी थी। मई से लेकर अगस्त माह तक श्री मुर्तजा सईद ने गवर्नर की जिम्मेदारियों को संभाले रखा। ध्यान देनेवाली बात यह है कि इस साल के प्रारम्भ में पाकिस्तान सरकार ने संसद में एक कानून पारित किया था जिसके तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन लाये गए थे, जिनमें सरकार से केंद्रीय बैंक की स्वतन्त्रता को बढ़ाना, सरकारी बजट के घाटे की भरपाई केंद्रीय बैंक द्वारा अतिरिक्त नोटों की छपाई से नहीं करना और गवर्नर के कार्यकाल को तीन साल से बढ़ाकर पाँच साल करना प्रमुख थे। वर्ष 2018 से 2021 के दौरान श्री अहमद केंद्रीय बैंक के उप-गवर्नर का कार्यभार संभाल चुके हैं और इससे पहले वे कार्यपालक निदेशक के पद पर आसीन थे। नए गवर्नर को अनेक चुनौतियों से दो-दो हाथ करना होगा। देश में मुद्रास्फीति की दर लगभग 25% है। पाकिस्तानी रुपया भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाज़ार में गिर रहा है।

रूस 'स्विफ्ट' प्रणाली के विकल्पों की खोज में प्रयत्नशील

रूसी केंद्रीय बैंक ने घोषणा की है कि वर्ष 2024 तक सभी रूसी बैंक 'डिजिटल रूबल' से संपर्क साधने में सक्षम हो सकेंगे। इसके पश्चात अन्य मित्र देशों की डिजिटल मुद्राओं से संपर्क साधकर रूस 'स्विफ्ट' प्रणाली से निष्कासित किए जाने वाले नुकसान से उबर सकेगा। बैंकों के अलावा, डिजिटल रूबल से शेयर बाज़ार और वित्तीय कम्पनियाँ भी संपर्क साध सकेंगी। यह सब शायद वर्ष 2025 तक हो सकेगा। बैंक के उप गवर्नर श्री अलेक्सेई जबोत्किन ने बताया कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा कड़े प्रतिबंध लगाए गए, जिनमें 'स्विफ्ट' प्रणाली से रूसी बैंकों का बाहर किया जाना अत्यधिक कष्टप्रद था। प्रतिबंधों ने वित्तीय स्थिरता पर एक सवालिया निशान लगा दिया क्योंकि देश की मुद्रा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाज़ार में गिरने लगी, देश में बढ़ती महंगाई का खतरा मंडराने लगा, जमाकर्ता बैंकों में अपने खाते से पैसे निकालने लगे और उपभोगताओं द्वारा की जाने वाली मांग बहुत बढ़ने लगी। साल की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पादन लगभग 4% गिर गया। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फरवरी माह में रूसी केंद्रीय बैंक ने कुछ समय पहले से चल रहे डिजिटल रूबल प्रोजेक्ट को तेज़ करने का निर्णय लिया। बारह प्रमुख बैंक इसमें साझेदार भी बनाए गए। यह अनुमान है कि अगले वर्ष के अप्रैल माह तक डिजिटल रूबल का इस्तेमाल सीमित रूप से, एक प्रयोग की तरह, उपभोगता भी कर सकेंगे। डिजिटल रूबल के अतिरिक्त, रूस ने 'स्विफ्ट' प्रणाली से बिल्कुल मिलती-जुलती एक प्रणाली पहले ही तैयार कर ली थी, जिसका नाम "सिस्टम फॉर ट्रान्सफर ऑफ फ़ाइनांशियल मेसेजेस" है। इसे कुल बारह देश इस्तेमाल कर रहे हैं।

म्यांमार में केंद्रीय बैंक के गवर्नर बदले

म्यांमार में सत्ता में काबिज सेना ने घोषणा की है कि देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब श्री थान थान स्वे होंगे। म्यांमार में पिछले साल फरवरी में सेना ने तख़्तापलट किया था और सत्ता में काबिज होते ही केंद्रीय बैंक के तत्कालीन गवर्नर श्री थान न्याइन को पदच्युत कर दिया था। श्री स्वे सेना के समर्थक माने जाते हैं और गत अप्रैल माह में सरकार के विरोधियों ने उन पर जानलेवा हमला भी किया था, लेकिन वे जीवित बच गए। उस समय केंद्रीय बैंक ने देशवासियों के लिए यह आदेश जारी किया था कि वे एक दिन में ही विदेशी मुद्रा को स्वदेशी मुद्रा में बदल लें और वह भी सरकार द्वारा मानित दरों पर, जो कि मुद्रा बाज़ार की दरों से काफी कम थी। सेना के सत्ता में काबिज होने ले पश्चात, देश की अर्थव्यवस्था की दुर्दशा बढ़ती ही जा रही है। अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति की दर 17.8% तक आ चुकी थी और मुद्रा बाज़ार में देश की मुद्रा (क्यात) अमरीकी डॉलर की तुलना में 40% गिर गया था।

***

सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग की शुरूआत होती है आपसे।

लेन-देन में सतर्कता अपनाएं।

- अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी आदि किसी को ऑनलाइन या फ़ोन पर न बताएं।
- एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक न करें।

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस : 29 जून

सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस (P. C. Mahalanobis) के उल्लेखनीय योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार 29 जून को 'राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस' (National Statistics Day) के रूप में मनाती आ रही है। पी. सी. महालनोबिस का जन्म 29 जून, 1893 को हुआ था और उन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। इस वर्ष सांख्यिकी दिवस, 2022 का मुख्य विषय 'सतत विकास के लिए डेटा (Data for Sustainable Development)' था। इस वर्ष सांख्यिकी दिवस का मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) सभा केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा सप्ताह भर चलने वाले 'आजादी का अमृत महोत्सव' के एक हिस्से के रूप में भी मनाया गया जो भारत की आजादी के 75वें वर्ष को मनाने के लिए भारत सरकार की एक खास पहल है।

पी. सी. महालनोबिस पश्चिम बंगाल के भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद् थे। उन्हें आजाद भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य और 'महालनोबिस दूरी' (Mahalanobis Distance) नाम की सांख्यिकीय संकल्पना के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने 1950 में भारतीय नमूना सर्वेक्षण, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की थी। महालनोबिस का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी के कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में ही उनकी शुरुआती शिक्षा हुई, जहाँ कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रेसिंडेंसी कॉलेज में उन्हें जगदीश चंद्र बसु और प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे महान शिक्षक मिले। मेघनाथ साहा और सुभाषचंद्र बोस, कॉलेज में उनके जूनियर थे। भौतिकी में स्नातक की डिग्री पाने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। इंग्लैंड में उन्होंने कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में पढ़ाई की, जहाँ उनकी मुलाकात भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन से हुई। कुछ दिन के लिए भारत लौटने के बाद महालनोबिस फिर इंग्लैंड लौटे, जहाँ सांख्यिकीय जर्नल 'बायोमेट्रिका' से उनका परिचय हुआ। इस जर्नल से वे बहुत प्रभावित हुए और उसकी प्रतियों का पूरा सेट भारत ले आए।

महालनोबिस ने मौसम विज्ञान और मानव विज्ञान की समस्याओं में सांख्यिकी की अहम भूमिका की खोज की और उन पर काम भी करने लगे। कोलकाता में उनके कई साथी भी सांख्यिकी में रुचि लेने गए और उन्होंने अनौपचारिक सांख्यिकी प्रयोगशाला की स्थापना की। 1931 में उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute) की स्थापना के लिए अथक प्रयास किए और अप्रैल 1932 में उसका औपचारिक पंजीयन भी करा लिया।

महालनोबिस के योगदान में सबसे प्रमुख 'महालनोबिस दूरी है'। यह खास तरह का मापन होता है जिसमें बहुत आयामों के मापन में किसी बिंदु का वितरण में अपसारण मापा जाता है। इसे महालनोबिस ने वर्ष 1930 में सबसे पहले बताया था। उन्होंने पश्चिमी देशों के कई सांख्यिकीय अध्ययनों में जातिगत आँकड़ों के उपयोग में खामियाँ भी उजागर की थीं। महालनोबिस ने भौतिक मानव विज्ञान (Anthropometry) में भी विशेष रुचि दिखाई और मानव खोपड़ी (Human Skull) के सटीक मापन के लिए उन्होंने प्रोफाइलोस्कोप नाम का विशेष उपकरण भी विकसित किया। उनका सबसे बड़ा योगदान विशाल पैमाने पर किए जाने वाले नमूने सर्वेक्षणों से संबंधित था। उनहोंने पायलट सर्वे की अवधारणा से परिचय करवाया और नमूना-पद्धतियों की उपयोगिता की वकालत की। 1968 में पद्मविभूषण से सम्मानित महालनोबिस का देहांत 28 जून, 1972 को कोलकाता में हुआ।

प्रस्तुति: ***राहुल राजेश***

(सभी जानकारी और चित्र इंटरनेट से साभार)

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता, 2021-22 – परिणाम

बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ-सदस्य (राजभाषा अधिकारियों और अनुवादकों को छोड़कर) भाग लेते हैं। वर्ष 2021-22 में आयोजित इस प्रतियोगिता के परिणाम निम्नानुसार हैं:

भाषिक क्षेत्र 'क' (मातृभाषा हिंदी, मैथिली, उर्दू)		
स्थान	**प्रतिभागी का नाम व पदनाम**	**पता**
प्रथम	पवन कुमार, वसूली अधिकारी	बैंक ऑफ बड़ौदा, वाराणसी
द्वितीय	रवि कुमार साहू, चपरासी	पंजाब नैशनल बैंक, लखनऊ
तृतीय	हेमा भाटिया, वरिष्ठ प्रबंधक	यूको बैंक, बद्दी
प्रोत्साहन 1	राम कृष्ण, कनिष्ठ अभियंता	भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली
प्रोत्साहन 2	बरुन कुमार, अधिकारी	केनरा बैंक, कासगंज
भाषिक क्षेत्र 'ख' (मातृभाषा मराठी, पंजाबी, सिंधी, कोंकणी, गुजराती)		
स्थान	**प्रतिभागी का नाम व पदनाम**	**पता**
प्रथम	हरगोविंद सी. मकवाना, अधिकारी	पंजाब नैशनल बैंक, अहमदाबाद
द्वितीय	शिखा भण्डारी, संकाय सदस्य	केनरा बैंक, गुरुग्राम
तृतीय	रमण वशिष्ठ, प्रबंधक	सिडबी, लखनऊ
प्रोत्साहन 1	सुचेता मिननाथ झोडगे, वरिष्ठ प्रबंधक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे
प्रोत्साहन 2	विजय रामदास, प्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रानिबेन्नूर
भाषिक क्षेत्र 'ग' (मातृभाषा समूह 'क' और 'ख' को छोड़कर)		
स्थान	**प्रतिभागी का नाम व पदनाम**	**पता**
प्रथम	पुर्णिमा आर. नायडु, उप प्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली
द्वितीय	रमेश चन्द्र भट्ट, प्रबंधक	पंजाब नैशनल बैंक, घरौंड़ा
तृतीय	सी. ग्रेस ज़ेबा रानी, लिपिक	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, कोयंबटूर
प्रोत्साहन 1	मृदुल रंजन शर्मा, सहायक	भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी
प्रोत्साहन 2	भावना ए. के., लिपिक	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, पालक्कड़

नोट: इस प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को भेजी जाती है। बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता के बारे में वे अपने स्टाफ-सदस्यों को अवगत कराएँ और इसमें भाग लेने के लिए उन्हें अधिकाधिक प्रोत्साहित करें।

लेखकों से / पाठकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं है। हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए।

बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाजार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा-बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण, मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। लेखकों से यह भी अनुरोध है कि वे प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :

1. क. आपके द्वारा भेजा गया लेख बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है। यह भी सुनिश्चित करें कि लेख मौलिक विचारों पर आधारित हो अथवा किसी विचारधारा की मौलिक समीक्षा हो।

ख. लेख में किसी समसामयिक बैंकिंग समस्या पर प्रतिपक्षात्मक (कॉन्ट्रारियन) विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं बशर्ते प्रतिपक्षात्मक विचारधारा का उद्देश्य आलोचनात्मक न होकर, समीक्षात्मक हो या समस्या के बहुपक्षीय आयामों की संभावनाओं से जुड़ा हुआ हो।

ग. लेख बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी किसी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल प्रैक्टिस पर आधारित हो ताकि नवोन्मेष (इनोवेशन) को प्रोत्साहन मिले।

घ. लेख ऐसी बैंकिंग विचारधारा, व्यवस्था या पद्धति पर आधारित हो, जिससे भारतीय बैंकिंग ग्लोबल स्तर पर स्पर्धात्मक बने।

ङ. लेख भारतीय बैंकिंग में अपनाई गई ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में हो जिसका अन्य देश अनुकरण कर सकें।

2. लेख में नवीनतम और अद्यतन तथ्यों एवं आँकड़ों का उपयोग करें और उनके स्रोत/संदर्भ/वेबपेज/साइट/लिंक आदि का एकदम स्पष्ट उल्लेख करें।

3. क. लेख न्यूनतम 05 पृष्ठों के हों तथा **यूनिकोड मंगल फॉन्ट (12 प्वाइंट)** में ही टंकित हों। **पीडीएफ़ के साथ वर्ड फ़ाइल भी संलग्न करें।**

ख. वह कागज की एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित हो।

ग. लेख में यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया हो और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हों। **भाषा सरल-सहज हो और व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियाँ बिल्कुल न हों।**

घ. लेख chintananuchintan@rbi.org.in / rajbhashaco@rbi.org.in नामक ई-मेल आईडी पर ही भेजने की व्यवस्था की जाए।

4. इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है। प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि जब तक लेख की अस्वीकृति सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।

5. लेखक अपने पत्राचार का पता, फोटो, ई-मेल आईडी एवं टेलीफोन / मोबाइल नंबर अवश्य दें।

***

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

सदस्यता फार्म

प्रबंध संपादक
'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

महोदया/महोदय,

मैं तीन वर्षों के लिए 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का ग्राहक बनना चाहता/चाहती हूँ। आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित ब्योरे के अनुसार मुझे नियमित रूप से पत्रिका भेजें।

सदस्यता क्रमांक (यदि पहले से सदस्य हैं) : ....

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी ....

पता (स्पष्ट अक्षरों में) : ....

....

केंद्र .... पिन कोड ....

मोबाइल नं. .... टेलीफोन नं. (कार्यालय) .... निवास..........................

फैक्स नं. .... एसटीडी कोड ....

ई मेल पता: ....

दिनांक: ....

भवदीय/या

(हस्ताक्षर)

(स्रोत: आरबीआई वेबसाइट)